राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 09/02/2023 को सम्पन्न 448वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

---00---

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 448वीं बैठक दिनांक 09/02/2023 को डॉ. बी.के. गोस्वामी, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एम.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विकास सिंह ठाकुर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद शाहिद खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री डी. राहुल वेंकट, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: 447वीं बैठक दिनांक 25/01/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 447वीं बैठक दिनांक 25/01/2023 को सम्पन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजनाओं एवं अन्य परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स रियल इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-हथखोज, तहसील-भिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1886)

आवेदन – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2014 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। कार्यालय के दिनांक 25/07/2022 के पत्रक से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्त क्रमांक 14 "In case of any deviation or

alteration in the proposed project from those submitted to the SEIAA, Chhattisgarh for clearance, a fresh reference should be made to the SEIAA, Chhattisgarh to assess the adequacy of the condition(s) imposed and to add additional environment protection measures required, if any. No further expansion or modifications in the plant should be carried out without prior approval of the Ministry of Environment and Forests, Government of India/SEIAA, Chhattisgarh." संशोधन अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 7[illegible], दिनांक 15/06/2018 द्वारा प्लाट नं. 14-ए, बी, सी, एल एवं 15(पार्ट) हैवी इण्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई में कुल क्षेत्रफल 20 एकड़ में क्षमता विस्तार के तहत् इनगट / बिलेट — 30,000 टन प्रतिवर्ष से — 90,000 टन प्रतिवर्ष (पूर्व स्थापित इण्डक्शन फर्नेस 2 गुणा 5 टन + क्षमता विस्तार के तहत् 2 गुणा 10 टन), रोलिंग मिल क्षमता — 90,000 टन प्रतिवर्ष एवं ऑक्सीजन गैसीफायर — 1 नग क्षमता 6,750 घनमीटर प्रतिदिन / प्लांट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:—

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के ज्ञापन क्रमांक 887, दिनांक 08/08/2022 द्वारा एम.एस. पाईप फैब्रिकेशन, क्षमता — 1,80,000 टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति जारी की गई है। तदानुसार उक्त यूनिट की स्थापना एवं संचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित प्रक्रिया ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत शेड्यूल के किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत शामिल नहीं है। अतः पाईप फैब्रिकेशन यूनिट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी कैटेगरी के अनुसार यह फैब्रिकेशन एवं इंजीनियरिंग यूनिट के तहत् "व्हाइट कैटेगरी" के अंतर्गत वर्गीकृत है, जिसकी प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. उक्त प्रक्रिया में माइल्ड स्टील शीट को फैब्रिकेशन कर (केवल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पद्धति द्वारा वेल्ड कर) एम.एस. पाईप के रूप में फैब्रिकेट किया जाएगा। प्रक्रिया का विवरण (manufacturing process for MS Pipe Fabrication) प्रस्तुत किया गया है।
5. इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के ईंधन का उपयोग नहीं होगा। अतः वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण नहीं होगा। उत्पन्न स्क्रैप को उद्योग परिसर में ही इण्डक्शन फर्नेस में रिसाईकल कर लिया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 1[illegible]वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में संशोधन उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 18/10/2022

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर **सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 09/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आवेदन पर विचार कर आवश्यक अनुमति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स ओटेबंद लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री दिलीप जैन), ग्राम–ओटेबंद, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1622)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 204823/2021, दिनांक 20/03/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने के कारण ज्ञापन क्रमशः दिनांक 28/03/2021 एवं 20/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी क्रमशः दिनांक 13/12/2021 एवं 13/07/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है, जो ग्राम–ओटेबंद, तहसील–भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 22/1, कुल क्षेत्रफल–3.076 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–28,317.94 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 16/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप जैन, प्रोप्राईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 22/1, कुल क्षेत्रफल–3.076 हेक्टेयर, क्षमता – 28,101.10 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 04/07/2022, 17/07/2022 एवं 28/10/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर में आवेदन दिनांक 30/08/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 415/खनि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	33,398
2018–19	31,738
2019–20	20,729
2020–21	20,330
2021–22	2,880

v. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा जारी उपरोक्त उत्पादन पत्र अनुसार वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता – 28,101.1 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्खनन किया जाना पाया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन संबंधी जानकारी विभिन्न वर्षों में होने के कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के उत्खनन क्षमता से अधिक प्रतिवेदित हो गयी है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज अधिकारी/विभाग से प्राप्त कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी पुनः प्रस्तुत किया जाना बताया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ओटेबंद का दिनांक 26/07/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 10 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन एवं क्षमता की बढ़ोत्तरी के संबंध में ग्राम पंचायत का आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान, प्रोग्रेसिव माइन क्लोज़र प्लान एवं खनन योजना प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1124/खनि/लीज-1/2018 बलौदाबाजार, दिनांक 05/11/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 415/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 416/खनि/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, श्मशान, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री दिलीप जैन के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 26/04/2006 से 25/04/2016 तक की अवधि हेतु दी गई थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 26/04/2016 से 25/04/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, रायपुर वनमण्डल, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./ट/586 रायपुर, दिनांक 08/03/2006 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-ओटेबंद 2 कि.मी., स्कूल ग्राम-ओटेबंद 2 कि.मी. एवं अस्पताल भाटापारा 23 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17.5 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 2.2 कि.मी. दूर है। हावड़ा मुम्बई रेल लाइन 240 मीटर एवं रेलवे स्टेशन-निपनिया 12 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** — जियोलॉजिकल रिजर्व 3,18,263 टन, माईनेबल रिजर्व 2,18,229 टन एवं मिनरल रिजर्व 1,86,406 टन है। लीज़ की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,054.88 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज़ क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी / ओवर बर्डन की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,316.41 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। लीज़ क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 1,500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग प्रस्तावित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	15,553.58	षष्टम	26,317.94
द्वितीय	28,101.10	सप्तम	16,320.48
तृतीय	21,382.38	अष्टम	16,304.90
चतुर्थ	20,783.82	नवम	11,726.61
पंचम	20,526.11	दशम	18,468.59

12. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** — लीज़ क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 4800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज़ क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का क्रय, रोपण, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्ष का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — लीज़ क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 5,004.88 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 415.14 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई एवं 541.28 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्टोन क्रशर माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VII.ii के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रस्तुत अनुमोदित खदान प्लान, इ-प्रोग्रेसिव रिक्लेमेशन प्लान एवं खदान क्लोजर प्लान के कॉन्सेप्चुअल प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान में प्रस्तुत क्षेत्र का क्षेत्रफल लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पारस्परिक ओवर लैप (Overlap) का उल्लेख पाया है, जबकि अनुमोदित खदान प्लान के रिपोर्ट की चेप्टर (Chapter 4) में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) एवं अन्य का क्षेत्रफल भिन्न-भिन्न दर्शाया गया है। समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को छोड़कर, लीज क्षेत्र में अन्य के क्षेत्रफल को प्रतिबंधित करते हुए रिपोर्ट की वास्तविक गणना का संशोधित अनुमोदित खदान प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी जिला खनिज विभाग से प्राप्त कर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्पादन क्षमता – 28,101.1 टन प्रतिवर्ष से अधिक उत्खनन किये जाने के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर व्यवस्थित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्यावरण व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) को संरक्षण एवं लीज क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रफल को प्रतिबंधित करते हुए पिलर्स की वास्तविक स्थिति सहित संशोधित अनुमोदित खनन प्लान प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पर्यावरण एवं संभावित व्यय का विवरण सहित उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित मात्रानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज रियायत नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् मासिक रिटर्न्स द्वारा उत्खनन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

15. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के सुधारात्मक उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिए समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

16. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

प्रेषित, नया उपयुक्त अद्यतन पत्र की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज सहित पुनः प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/02/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि प्रस्तावित माईनिंग प्लान में उत्पादन (क्षमता निर्धारण) में परिवर्तन किया गया है। अतः पुनः नये संशोधित माईनिंग प्लान के अनुसार आवेदन किया जाएगा। उक्त कारणों से प्रकरण को वापस किये जाने का अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर**

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /281096/2022, दिनांक 01/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान एवं बेनिफिसियेशन प्लांट है। खदान ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर स्थित वन कक्ष क्रमांक 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 एवं 265, कुल रकबा-192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर को घटाकर 56.26 हेक्टेयर (कुल-91 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता-2.86 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं बेनिफिसियेशन प्लांट-1.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.के. पाण्डेय एवं श्री एस.के. वर्मा, पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः ही परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सर्वसम्मत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आवश्यक समस्त जानकारी / दस्तावेज सहित तकनीकी प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुभाष कुमार मोहता, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी एवं पर्यावरण सलाहकार की तरफ से श्री [illegible] कुमार गुप्ता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
   - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 02/08/2019 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 142.25 हेक्टेयर हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।
   - ii. पूर्व में वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 18/01/2007 को जारी स्टेज-II फारेस्ट क्लीयरेंस (क्षेत्रफल-38.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 142.25 हेक्टेयर में से 38.74 हेक्टेयर, उत्खनन और (मुख्य खनिज) उत्पादन क्षमता बढ़ाने-0.26 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.80 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
   - iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-[illegible] के ज्ञापन क्रमांक 318/खनिज/टी.ले./2020-21 [illegible], दिनांक 08/11/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्ष 2017 से सितम्बर, 2021 तक में किये गये उत्खनन की मात्रा निरंक है।
2. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 08/07/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार कुछ शर्तों का आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन किया जाना पाया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को आंशिक पालन एवं अपूर्ण पालन को पूर्ण कर प्रतिवेदन दिनांक 05/08/2022 को प्रेषित किया गया है। साथ ही प्रस्तुतीकरण के दौरान निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है:-
   - i. गारलैण्ड ड्रेन, चेक डेम्स एवं सीप ड्रेन्स का निर्माण किया जाना बताया गया है। अतः गारलैण्ड ड्रेन चेक डेम्स एवं सीप ड्रेन्स के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   - ii. वृक्षारोपण किये जाने के संबंध में फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - iii. भू-जल स्त्रोतों का संवर्धन किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
   - iv. पिजोमीटर का निर्माण नहीं किया गया है।
   - v. वन्य प्राणी संरक्षण योजना के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना विभाग वन, छत्तीसगढ़ सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) तथा मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से अनुमोदन की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   - vi. परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु स्टेशन की स्थापना का कार्य पूर्ण का फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   - vii. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के दिनांक 28/06/2022 द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 के तहत् जारी प्राधिकार की प्रति प्रस्तुत की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 27/06/2027 तक है।
   - viii. जल हेतु सक्षम [illegible] प्रस्तुत नहीं किया गया है।
   - ix. वेब साइट हाईलाईटिंग के संबंध में डिस्प्ले बोर्ड का निर्माण किया गया है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय (वन संरक्षण विभाग) द्वारा पत्र दिनांक 01/02/2022 के माध्यम से मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील व जिला-नारायणपुर को स्टेज-II फॉरेस्ट क्लीयरेंस (Forest clearance stage-II for 55.20 Ha), अतिरिक्त क्षेत्रफल-55.20 हेक्टेयर हेतु जारी की गई है।

4. जल एवं वायु सम्मति –

i. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 8073/TS/CECB/2021 नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 02/11/2021 द्वारा आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन क्षमता क्रमशः- 0.26 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु संचालन सम्मति जारी की गई, जिसकी सम्मति 1 वर्ष (From the first date of month of commissioning of the mining) तक की अवधि हेतु है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन में प्रस्तावित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. उत्खनन योजना – भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय के ज्ञापन क्र. नारायणपुर/लौह/खयो-1326/2022-रायपुर/100, दिनांक 27/05/2022 द्वारा [illegible] खनिज रियायत नियम 2016 के नियम 17(2) एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 23 के अंतर्गत प्रस्तुत निवार ग्राम-छोटेडोंगर, तहसील-नारायणपुर, जिला-नारायणपुर में स्थित छोटेडोंगरा लौह अयस्क खान क्षेत्रफल-192.25 हेक्टेयर कि खनन योजना का उपांतरण सह प्रगतिशील खान बंद करने की योजना की प्रति प्रस्तुत की गई है।

6. लीज का विवरण – लीज मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 21/06/2008 से 20/06/2038 तक की अवधि हेतु किया है।

7. लैण्ड यूजिंग स्टेटमेंट –

LAND USE PATTERN				
Operational & post operational Land use as per the Modified mine plan				
Land Use	Total Area (Ha.)			
	Area Proposed (Original)	Actual Area Utilised	End of first five year as per current mine plan (2021-2026)	At the end of lease period
Area Under Pits	15.56	2.41	25.00	133.00
Area Under Utility Service (road+ infrastructure)	4.24	7.21	17.48	21.00
Area Under Mineral Storage	0.50	0.40	0.00	0.00
Area Under Over Burden/Waste Dump	0.50	0.02	1.39	0.00
Area Under Plantation	0.00	0.00	0.00	32.25
Area for Garland Drain/Rain water Harvesting	0.60	0.10	0.40	6.00
Surface Water Bodies	0.00	0.00	0.00	0.00
Settlements	0.00	0.00	0.00	0.00
Top soil stacking	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficiation Plant & Tailing Waste Disposal	4.50	0.00	2.73	0.00
Undisturbed area after 5 years for utilization at later period	10.42	26.27	43.81	0.00
Total Project Area	36.14	36.14	91.00	192.25

8. कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-173/1227 रायपुर, दिनांक 31/05/2022 द्वारा "Proposal involving non-forestry use of 91.00 ha. (192.250 ha) of forest land in favour of M/s Jayaswal Neco Industries limited for mining of iron located in village chhote dogar, district Narayanpur (Chhattisgarh)." बाबत् संशोधित पत्र जारी किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-छोटेडोंगर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। नदी/नाला 2 कि.मी. दूर है।

10. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,42,10,960 टन, माईनेबल रिजर्व 4,80,23,205 टन है। ओपन कास्ट मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 38 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की कुल मात्रा 732 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 8 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 18 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2022-23	19,00,478
2023-24	29,22,384
2024-25	29,49,079

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ऊपरी मिट्टी के भंडारण हेतु 0.03 हेक्टेयर क्षेत्र, ओवरबर्डन/वेस्ट के भंडारण हेतु 0.32 हेक्टेयर क्षेत्र एवं मिनरल्स के भंडारण हेतु 3 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाएगा, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 330 घनमीटर प्रतिदिन होती है, जिसमें से बेनिफिसिएशन प्लांट हेतु जल की मात्रा 240 घनमीटर प्रतिदिन है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। कमिटी का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी (3-tier plantation) में प्रथम वर्ष में ही वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का व्ययवार लागत का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 22/03/2021 में अधिरोपित शर्तें अनुसार लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के आधार पर सी.ई.आर. के तहत् विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त के संबंध में कमिटी का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् कुल लागत का 2 प्रतिशत राशि का आस-पास के क्षेत्रों में हेल्थ पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् बहुवर्षीय उद्यान (फलदार एवं छायादार सहित) वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का व्ययवार लागत का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि–

i. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 22/08/2018 के माध्यम से कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु टी.ओ.आर. जारी की गई थी।

उल्लेखनीय वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिनांक 19/01/2007 को जारी स्टेज-II फारेस्ट क्लीयरेंस (क्षेत्रफल–38.74 हेक्टेयर) के आधार पर भारत

सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्पादन क्षमता–0.05 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.95 मिलियन टन प्रतिवर्ष सह बेनिफिसिएशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

ii. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के Specific conditions में (xx) As the Public Hearing has been carried out for the entire 192.25 Ha, PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.26 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha, may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan.

iii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 अनुसार "7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects: (a) All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects." उल्लेखित है।

उक्त अधिसूचना के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवंटित खदान में लीज एरिया एवं उत्पादन क्षमता में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित नहीं है। साथ ही पूर्व में बेसलाइन डाटा एकत्रित कर मॉनिटरिंग का कार्य कुल क्षेत्रफल 192.25 हेक्टेयर हेतु ही किया गया था। चूंकि पूर्व में स्टेज–2 फॉरेस्ट क्लीयरेंस 35.74 हेक्टेयर हेतु ही जारी किया गया था, तदनुसार ही पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पृथक से टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित), ई.आई.ए. मॉनिटरिंग डाटा की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है। तत्संबंध के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा (यदि आवश्यक हो तो) भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

10. **डॉ. बी.पी. सोनवाने, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि:–**

i. पूर्व में 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से जारी की गई थी। परियोजना प्रस्तावक को कुल लीज क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस स्टेज–2 जारी की गई है। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल–192.25 हेक्टेयर में से 35.74 हेक्टेयर के साथ 55.26 हेक्टेयर (कुल–91 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

ii. परियोजना प्रस्तावक को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज–II फॉरेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर क्षेत्रफल 35.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज–II फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त अतिरिक्त 55.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरण स्वीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है। अतः यह पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रफल (**Increase in mine lease area**) में वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत् प्रस्ताव विस्तार का प्रकरण है। अतः अध्यक्ष महोदय का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव विस्तार के अंतर्गत नवीन ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

17. समिति के सदस्यों का निम्नानुसार अभिमत है–

i. **श्री डी. राहुल शेखर**, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का मामला है अथवा नहीं के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।

ii. **डॉ. नीलेश कुमार जाखड़**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का मामला है अथवा नहीं के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जाना है।

iii. **श्री एस.के. चन्द्राकर**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण में क्षमता एवं माईनिंग लीज एरिया में विस्तार नहीं होने कारण डि-लिस्ट/ डिलिस्ट करने की अनुशंसा हेतु अध्यक्षीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की गई है।

iv. **डॉ. शशीर कुमार कौशल**, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का अभिमत है कि आवेदित प्रकरण निम्न कारणों से क्षमता विस्तार का नहीं है–

- कुल माईनिंग लीज एरिया 182.25 हेक्टेयर हेतु एल.ओ.आई. जारी की गई है।
- उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हो रही है।
- लोक सुनवाई एवं ई.आई.ए. कुल माईनिंग लीज एरिया 182.25 हेक्टेयर हेतु कराया गया है।
- उक्त कारणों से यह क्षमता विस्तार का प्रकरण नहीं है, किन्तु आवेदित प्रकरण के संबंध में संशोधन अथवा क्षमता विस्तार का है अथवा नहीं? बाबत् भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि–

i. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत माईनिंग के परियोजनाओं हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में माईनिंग लीज एरिया या उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

ii. पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत माईनिंग लीज, माईनिंग प्लान एवं स्टेज–I फॉरेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) क्षेत्रफल 182.25 हेक्टेयर हेतु जारी की गई थी।

iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल क्षेत्रफल 182.25 हेक्टेयर हेतु लोक सुनवाई तथा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

iv. स्टेज–II फॉरेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर आवेदित प्रकरण को पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/62/2019-IA.II(M) दिनांक 22/03/2021 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 182.25 हेक्टेयर में से 26.74 हेक्टेयर, आयरन ओर (हेमेटाइट) उत्पादन क्षमता–0.65 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष विद बेनिफिकेशन प्लांट 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में Specific conditions में (iv) As the Public Hearing has been carried out for the entire 182.25 Ha, PP after taking Stage-II Forest Clearance for remaining area i.e. 55.25 Ha and Stage-I Forest Clearance for balance 101.25 Ha, may again approach the Ministry for undertaking mining in the remaining area with the proper mining plan. का उल्लेख है।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पूर्व में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस के आधार पर क्षेत्रफल 38.74 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। वर्तमान में स्टेज–II फारेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त अतिरिक्त 58.26 हेक्टेयर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन आवेदन किया गया है।

उपरोक्त के संदर्भ में आवेदित प्रकरण पूर्व में जारी 192.25 हेक्टेयर में से 38.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन का है? अथवा पूर्व में जारी माईनिंग क्षेत्रफल 38.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 58.26 हेक्टेयर की वृद्धि होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23/11/2016 के "7(ii) (a)" के तहत् अथवा विस्तार का है? इस आशय के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु लेख किया जाए।
भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स ईरा ब्रिक्स अर्थ क्वारी (प्रो.– श्रीमती [illegible] देवी [illegible]), ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2132)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नंबर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288868/2022, दिनांक 17/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–ईरा, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 580/1(पार्ट), 581(पार्ट), 583(पार्ट), 584/1, 585/2(पार्ट), 586/3, 586/4(पार्ट), 587/1(पार्ट), 587/2(पार्ट) एवं 588/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 2.13 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,844 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 18,44,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवप्रसाद [illegible], अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान एवं पत्र दिनांक 29/11/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 06/02/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवराज पखवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही गई, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 548/1, 550(पार्ट), 551(पार्ट), 553, 554/1, 554/2, 555/2, 555/3, 555/4, 557, 558/2, 559(पार्ट), 560(पार्ट), 561(पार्ट), 577(पार्ट), 578(पार्ट), 581/1(पार्ट) एवं 581/2(पार्ट) कुल क्षेत्रफल-4.471 हेक्टेयर, अधिकतम उत्पादन क्षमता-4,600 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 25/03/2020 के अनुसार जिन परियोजनाओं एवं कार्यकलापों को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15/03/2020 से 30/04/2020 के मध्य समाप्त हो रही है। उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक वृद्धि की गई है। तदानुसार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक थी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 108/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 13/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016-17	2,800
2017-18	3,400
2018-19	3,300
2019-20	3,360
2020-21	880
2021-22	निरंक

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30/06/2020 तक होने के कारण वर्ष 2020-21 में 880 घनमीटर उत्खनन कार्य किया गया है, जो दिनांक 30/06/2020 तक की अवधि में किया गया है। इस संबंध में समिति का मत

है कि वर्ष 2020-21 में विगत [illegible] उत्खनन की वास्तविक मात्रा की मात्रात्मक जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 24/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **खनन योजना** – खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), [illegible], [illegible] तथा [illegible], [illegible] जिला-[illegible] के ज्ञापन क्र. 4054/खनि. 02/म.प्र.अनुमोदन/[illegible]08/2018(?) [illegible], दिनांक 04/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1246/खलि02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 08/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवंटित 1 खदान, क्षेत्रफल 2.84 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1246/खलि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 08/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रेल लाईन, भवन, धार्मिक स्थल, श्मशान, स्कूल, पुल, सड़क, बांध, नल जल योजना एवं जलाशय आदि अधिसूचित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती [illegible] के नाम पर है। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/01/2007 से 21/01/2012 तक की अवधि हेतु दिया गया था। लीज का प्रथम नवीनीकरण 5 वर्षों के लिए 22/01/2012 से 21/01/2017 तक किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/01/2017 से 21/01/2037 तक विस्तारित की गई है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि [illegible] के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./10-1/12[illegible], राजनांदगांव, दिनांक 13/12/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 1.7 कि.मी., स्कूल ग्राम-[illegible] 1.7 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-[illegible] 3.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12.2 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 120 मीटर एवं पुल 1.6 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 38,000 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 29,870 घनमीटर है। सीमा की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल [illegible] हेक्टेयर है। खनन खुला मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.218 हेक्टेयर क्षेत्र में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है जिसकी चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। भट्ठे में एफ.सी.बी.टी.के. (FCBTK) से ईंट निर्माण किया जाता है। प्रस्तावित ईंट का निर्माण जिग–जैग (Zig-Zag) पद्धति का उपयोग किया जाएगा। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। प्रति 1,00,000 नग ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयले की आवश्यकता होती है, जिससे 2–2.5 टन ऐश निर्मित होती है जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाता है। खदान की संभावित आयु 18 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित खनन प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	प्रस्तावित ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,944	19,44,000
द्वितीय	1,944	19,44,000
तृतीय	1,944	19,44,000
चतुर्थ	1,944	19,44,000
पंचम	1,944	19,44,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 1.8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से लगी ओर 1 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा से लगी ओर 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (छः प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का व्ययवार व्यय का विवरण सहित लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में कुछ निर्माण होने के कारण लीज क्षेत्र के भीतर [illegible] हेक्टेयर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् संशोधित निम्नानुसार लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30.78	2%	0.61	Following activities at	

			Gram Panchayat Bhawan Village - Era	
			Portable Drinking Water Facilities (with 5 year maintenance)	62,000
			Total	62,000

17. सी.ई.आर. प्रस्ताव हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. ईंट निर्माण हेतु 20 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. ईंट निर्माण हेतु जिग-जैग तकनीक का उपयोग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. लीज क्षेत्र के चारों ओर (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र में) वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयले की आवश्यकता होगी एवं उससे निकलने वाली राख का उपयोग आगामी ईंट निर्माण करने हेतु एवं चिमनी विभाग का उपयोग पहुँच मार्गों के रख-रखाव एवं बंड निर्माण में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं होने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर की पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. वर्ष 2020-21 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की माहवार जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. प्रस्ताव हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु 8 से 9 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवित दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कार्ययोजना व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की

अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

तत्पश्चात वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को भी प्रेषित किया जाए।

8. **मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ग्राम-सोण्डरा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1534)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/63768/2021, दिनांक 14/02/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/63768/ 2021, दिनांक 01/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यस्थल की स्थिति ग्राम-सोण्डरा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 404, 405/1, 405/2, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409/3, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412, 413, 414, 415, 416/1, 416/4, 416/5, 416/6, 416/7, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 417/6, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 419, 454/1, 454/2, 458, 459, 463/1, 463/2, 463/3, 463/4, 463/5, 463/6, 463/7, 463/8 एवं 464/1, कुल रकबा – 11.84 हेक्टेयर से 18.8 हेक्टेयर (46.5 एकड़) में इण्डक्शन फर्नेस विथ एल.आर.एफ. से एम.एस. बिलेट, इन्गाट्स/हॉट बिलेट्स – 36,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,80,000 टन प्रतिवर्ष, न्यू रोलिंग मिल (री-हीटिंग फर्नेस/रॉड/स्ट्रक्चरल स्टील/वायर रॉड) – 1,80,000 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यस्थल के उत्पादन विनिर्माण का कुल लागत 22 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 646, दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टेण्डर्ड टीओआर (फॉर प्राइमरी मेटलर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन फेरस)) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 06/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 06/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक

में प्रस्तुतिकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की आगामी बैठक दिनांक 08/02/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री [illegible], [illegible] एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एन्वायरो इन्फ्रा सॉल्यूशन एवं कंसल्टेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही गई प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:—

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर से स्पंज आयरन क्षमता–60,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष, डब्ल्यू.एच.आर.बी. आधारित कैप्टिव पॉवर प्लांट–6 मेगावॉट, एफ.बी.सी. आधारित कैप्टिव पॉवर प्लांट–2.8 मेगावॉट एवं इण्डक्शन फर्नेस/बिलेट्स क्षमता–36,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 08/04/2021 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।
   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा परियोजना में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार शर्त क्रमांक 6 का अपूर्ण पालन होना बताया गया है एवं शेष सभी शर्तों का पूर्ण पालन किया जाना बताया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि अपूर्ण शर्त का पूर्ण पालन करने के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. भूमि स्वामित्व/भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज [illegible] सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**
   - समीपस्थ आबादी ग्राम–सोण्ढरा 400 मीटर एवं शहर रायपुर 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम अस्पताल 2.8 कि.मी., स्कूल 2.3 कि.मी. दूर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 22 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है। खारून नदी 2.6 कि.मी., [illegible] नाला 1.2 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड/सीवियरली प्रदूषित क्षेत्र या पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड यूसेज स्टेटमेंट** – वर्तमान में इकाई 11.44 हेक्टेयर में स्थापित है। क्षमता विस्तार हेतु 0.75 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित की गई है। कुल क्षेत्रफल 12.6 हेक्टेयर (30.2 एकड़) है, जिसमें से डीआरआई किल्न (डब्ल्यू.एच.आर.बी.) का क्षेत्रफल 3 एकड़, इण्डक्शन फर्नेस का क्षेत्रफल 2 एकड़, रोलिंग मिल का क्षेत्रफल 2 एकड़, एफ.बी.सी. आधारित पॉवर प्लांट का क्षेत्रफल 1.8 एकड़, स्टोरेज एरिया 6 एकड़, आंतरिक मार्ग का क्षेत्रफल 3 एकड़, ऑफिस का क्षेत्रफल 1 एकड़, वाटर रिजर्वायर एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का क्षेत्रफल 2.5 एकड़, प्रस्तावित बिल्डिंग का क्षेत्रफल 0.20 एकड़, ओपन एरिया 7.46 एकड़ तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 10.4 एकड़ है।

5. **रॉ–मटेरियल** –

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Sources	Mode Of Transport
1	For Steel Melting Shop (MS Billets/ Ingots) – 1,80,000 TPA			
A	Sponge iron	1,52,000	Own generation & Open market	By road (through covered trucks)
B	MS Scrap / Pig iron	23,000	Chhattisgarh	By road (through covered trucks)
C	Ferro alloys	3,000	Open market	By road (through covered trucks)
2	For Rolling Mill through Hot charging (Rolled Products) – 1,50,000TPA			
A	Hot billets / MS Billets / Ingots	1,55,000	Own generation & Open market	By road (through covered trucks)
3	Gasifier for Rolling mill (2,000 Nm³/hr)			
A	Coal (Indian)	3,840	SECL Chhattisgarh / MCL Odisha	By rail & road (through covered trucks)
B	Coal (Imported)	3,600	Indonesia / South Africa / Australia	Through sea route, rail route & by road

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी** –

S. No.	Unit (product)		Existing Operating Plant	Proposed Expansion project	After Expansion project
1	DRI Kilns (Sponge iron)		90,000 TPA (3 x100 TPD)	-	90,000 TPA (3 x100 TPD)
2	Induction Furnace (MS Billet / Ingot)		66,000 TPA (3 x8 T)	1,14,000 TPA (Replacement of 3x8 T with 3x10 T IF & installation of new 2x15MT IF with matching LRF)	1,80,000 TPA (3x10 T & 2x15 T)
3	Rolling mill (Re-rolled product bar/structural steel/wire rod)		-	1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) (1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace)	1,50,000 TPA (1 x 500 TPD) (1,27,500 TPA through hot charging & 22,500 TPA through Reheating furnace)
4	Power Plant	WHRB	9 MW	-	9 MW
		FBC	2.5 MW	-	2.5 MW

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु साइड सक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर एवं 2 नग 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत इण्डक्शन फर्नेस में फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम (कैनोपी टाईप) के साथ बैग फिल्टर एवं चिमनी की

पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। [illegible] में [illegible] नियंत्रण हेतु [illegible] प्रस्तावित है। [illegible] के लिए प्रस्तावित [illegible] व्यवस्था में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से घटाकर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर [illegible] प्रस्तावित है। [illegible] में 30 मीटर ऊंची चिमनी प्रस्तावित है। [illegible] उत्सर्जन नियंत्रण हेतु [illegible] नियंत्रण व [illegible] किया जाएगा।

8. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Capacity (TPA)		Method of disposal
		Existing	Proposed	
1	Ash from DRI	16,200	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
2	Dolochar	27,000	-	Is being used as fuel for FBC based power plant.
3	Kiln Accretion slag	810	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
4	Wet scraper sludge	4,140	-	Is being utilized in road construction & used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
5	SMS Slag	3,600	11,400	Slag from SMS is being crushed and iron is being recovered & remaining non-magnetic material being inert by nature is used as sub base material in road construction/ used in two brick manufacturing units operating in plant premises. The same will be continued even after expansion also.
6	Mill scales from rolling mill	—	3,000	Will be given to near by ferro alloy units.
7	End cutting from rolling mill	—	4,000	Will be recycled back as raw material in induction furnace.
8	Ash from power plant (with 100% Indian coal)	7,518	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with 100% imported coal)	1,200	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with Dolochar + Indian coal)	17,843	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
	OR			
	Ash from power plant (with Dolochar + imported coal)	15,448	-	Is being used in two brick manufacturing units operating in plant premises.
9	Municipal Solid Waste			
a	Construction debris generated during construction phase			Used for land fill within the plant site and Recyclables will be given to authorized recyclers.
b	Canteen waste			Used in composting/ vermiculture, used as manure for greenbelt

		development
2.	Recyclables	Given to SPCB authorized dealers

6. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 960 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 940 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 1,200 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 1,170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से 12 लाख लीटर (1,200 घनमीटर) प्रतिदिन के लिये अनुमति लिया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 160 घनमीटर प्रतिदिन एवं प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उत्पन्न दूषित जल की कुल मात्रा 176 घनमीटर प्रतिदिन होगी। उत्पन्न दूषित जल का पुनःचक्रण कर उपयोग में लाया जाता है। साथ ही उत्पन्न दूषित जल के उपचारण हेतु इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् उपरोक्त व्यवस्था अपनाई जाएगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचारण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। घरेलू दूषित जल के उपचारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। गैसीफायर से जनित फिनोलिक दूषित जल को राख के पूर्ण से स्थापित स्थान आधारित सिस्टम में उपचारण किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जाएगी। समिति का मत है कि उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता हेतु जानकारी (डिजाइन, ड्राइंग सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) कुल एवं स्वच्छ जलापूर्ति को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।
  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकालने हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 3,034 घनमीटर प्रति वर्ष है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 8 नग रिचार्ज पिट (चौड़ाई 2 मीटर, गहराई 6 मीटर) निर्मित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल 12 नग रिचार्ज पिट (चौड़ाई 4 मीटर, गहराई 6 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ का रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** — खनिज में परियोजना हेतु 10 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता है। इसका विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 17 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी जिसकी से 5.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति सी.एस.पी.डी.सी.एल. एवं 11.5 मेगावॉट विद्युत की आपूर्ति कैप्टिव पॉवर प्लांट से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या, क्षमता एवं जिसकी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** — परियोजना में 1.72 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। प्रस्तावित क्षमतावर्धन उपरांत उचित परियोजना के विस्तार हेतु कुल क्षेत्रफल के 18.4 एकड़ (7.45 हेक्टेयर) 40.00 प्रतिशत क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के चारों तरफ 20 मीटर की चौड़ी ग्रीन पट्टी में एवं एप्रोच रोड की तरफ 40 मीटर की चौड़ी ग्रीन पट्टी में वृक्षारोपण कार्य किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 2,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर एवं उद्योग क्षेत्र से लिंक सड़क में भी वृक्षारोपण हेतु 5 से 8 फीट लंबाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कार्यकलाप व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि 40 प्रतिशत क्षेत्रफल में पौधे रोपित किया जाना आवश्यक है।

12. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** — मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च, 2021 से 30 जून, 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण स्तर–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	38.6	52.6	60
PM_{10}	64.1	87.5	100
SO_2	8.9	25.6	80
NO_2	9.1	33.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये डेटा अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण पेयजल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	46.2	69.8	75

Night L_{eq}	[illegible]	[illegible]	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:-** भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:-

Status	PCU / Day
Before operation of the expansion project	15,960.5
After operation of the Proposed expansion project	17,397.5

विस्तार के पश्चात भी पी.सी.यू./प्रतिदिन के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वहन क्षमता निर्धारित मानक (As per IRC: 73-1980 carrying capacity 20,000 PCU per day for National Highway) की सीमा में है।

13. लोक सुनवाई दिनांक 18/04/2022 प्रातः 11:00 बजे स्थान – सीएसआईडीसी भवन के परिसर, औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, सिलतरा, जिला-रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 12/05/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

14. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न **सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

i. स्थानीय बेरोजगारों को योग्यतानुसार रोजगार प्रदान किया जाए। साथ ही रोड मेंटेनेंस, गांव के विकास, पानी, नाली के निर्माण आदि में भी सहयोग प्रदान किया जाए।

ii. उद्योग के विस्तार से प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। गाड़ियों से डस्ट उत्सर्जन अत्यधिक मात्रा में होती है।

iii. उद्योग की गाड़ियों के आवागमन से आस-पास के सड़क मार्ग प्रभावित होते हैं, जिससे ग्राम वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

iv. उद्योग के अंदर वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. वर्तमान में उद्योग में लगभग 350 से 400 लोग काम कर रहे हैं जिनमें से 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। स्थानीय ग्राम के समय-समय आसपास ग्रामों में विकास कार्य किया जायेगा।

ii. उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर की स्थापना की गई है जिससे पर्यावरण प्रभावित न हो। सड़कों की सफाई के लिए मशीन लगा हुआ है एवं वॉटर टैंकर से जल छिड़काव किया जाता है।

iii. क्षतिग्रस्त सड़कों का मरम्मत किया जायेगा। साथ ही सड़कों में वाहनों के आवागमन से होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव का कार्य किया जायेगा।

iv. वृक्षारोपण हेतु 30 एकड़ में से 11.50 एकड़ भूमि में पौधे रोपित किये गये हैं जिसमें लगभग 14,000 पौधे लगे हुए हैं एवं भविष्य में अतिरिक्त अधिक

प्रस्तावित करने की कोशिश करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं प्रस्तावित पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
2700	1%	27	Following activities at: **Village-Bhalamuda**	
			Eco-Park Nirman	28.26
			Total	**28.26**

सी.ई.आर. के अन्तर्गत "ईको पार्क निर्माण" हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 3,500 नग पौधों के लिए राशि 7,17,500 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,00,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 1,75,000 रुपये, रख-रखाव के लिए राशि 1,64,250 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 16,56,750 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 11,69,250 रुपये हेतु रखरखाव व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत भैंसमुडा से सहमति उपरान्त सार्वजनिक स्थान (खसरा क्रमांक 22/1(क), रकबा 2.6 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत कुल लागत की 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही ईको पार्क निर्माण के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भूमि स्वामित्व/भूमि आवंटन संबंधी दस्तावेज नक्शा सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्पन्न औद्योगिक दूषित जल अनुसार इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट एवं घरेलू दूषित जल अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता हेतु जानकारी (ड्राइंग सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित ... की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा/गुणवत्ता, अपशिष्टों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. विद्युतीय व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की संख्या क्षमता एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उद्योग में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

6. उत्खनन परिसीमा के चारों ओर एवं उत्खनन क्षेत्र से निकट स्थान में भी अर्थात् (33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 5 से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवित दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।

7. कॉम्प्लेक्स में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन अनुसार शर्त क्रमांक 5 के अपूर्ण पालन का पूर्ण पालन करने के संबंध में कार्ययोजना एवं जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत कुल लागत के 2 प्रतिशत अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही [illegible] पानी निर्माण के लिए विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) व अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

9. उत्खनन परिसीमा के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) कम से कम 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को समस्त रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

14. कॉम्प्लेक्स में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार शर्तों का पूर्ण पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स [illegible] (प्रो.- श्री रामकुमार साहू), ग्राम-खरहा, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2136)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81577/2022, दिनांक 20/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 24/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (ईंट निर्माण) प्रकरण है। खदान ग्राम–[illegible], तहसील–[illegible], जिला–[illegible] स्थित खसरा क्रमांक 1214 एवं 1220, कुल रकबा–1.8 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित मिट्टी उत्पादन क्षमता–1,200 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 08/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 08/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्संबंध सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 45वीं बैठक दिनांक 08/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 1214 एवं 1220, कुल रकबा–1.8 हेक्टेयर, क्षमता–1200 घनमीटर (10,00,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–[illegible] द्वारा दिनांक 16/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात दिनांक 15/03/2022 तक थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 15/03/2023 तक वैध रहेगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित कार्यक्रमानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1487/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2016	निरंक
2017	5,00,000
2018	5,70,000
2019	5,50,000
2020	5,00,000

समिति का मत है कि दिनांक 31/01/2021 से आवेदन दिनांक तक किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (मिट्टी उत्खनन एवं ईंट उत्पादन) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 22/08/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – परियोजना हेतु खदान उत्खनन योजना प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2037/खनिज/खनि2/2022 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 10/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1488/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 3 खदानें, रकबा 6.21 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1486/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट एवं अन्य आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज की समयावधि [illegible] हो चुका है। लीज अवधि 15 वर्ष अर्थात् दिनांक 09/01/2002 से 08/01/2017 तक की अवधि हेतु वैध

की। तदनुसार लीज डीड 15 वर्ष अवधि दिनांक 09/01/2017 से 08/01/2032 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि की उपलब्धता हेतु [illegible] है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, [illegible] वनप्रभाग, जिला-[illegible] के पत्रांक [illegible]/[illegible]/61 [illegible], दिनांक 04/01/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 5.5 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-[illegible] 1 कि.मी. एवं अस्पताल [illegible] 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 700 मीटर एवं रेलवे स्टेशन 8 कि.मी. दूर है। [illegible] नदी 7 कि.मी., नहर 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 31,800 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 24,920 घनमीटर एवं मिनरलेबल रिजर्व 23,874 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 446 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी चिमनी की ऊंचाई 22 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। भट्ठा की अनुमानित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयले की आवश्यकता होती है। भट्ठा में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित खनन प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (संख्या)
प्रथम	1,000	10,00,000
द्वितीय	1,000	10,00,000
तृतीय	1,000	10,00,000
चतुर्थ	1,000	10,00,000
पंचम	1,000	10,00,000

आगामी वर्षो का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
प्रथम	1,000	10,00,000
द्वितीय	1,000	10,00,000
तृतीय	1,000	10,00,000
चतुर्थ	1,000	10,00,000
पंचम	1,000	10,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.54 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकरों के माध्यम से की जाती है। ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – परियोजना में लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 88 नग वृक्षारोपण किया गया है एवं इसके के अतिरिक्त 241 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

15. लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 646 वर्गमीटर क्षेत्र है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत केएमएल फाईल से कुछ भाग उत्खनित प्रतिलक्षित हो रहा है। अतिक्रमित 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1489/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 3 खदानें, क्षेत्रफल 6.21 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) का रकबा 1.8 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) को मिलाकर कुल रकबा 8.01 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सुरक्षा पट्टी के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) की संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग गतिविधियों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर उचित उपचार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटिज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) सह माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC, Raipur.

iv. Project proponent shall submit the revised project cost breakup.

v. Project proponent shall submit production detail (in cubic meter and Number of Bricks) from 01/01/2021 to till date from the mining department.

vi. Project proponent shall submit the consent letter from the land owners.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs. Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 1 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 1 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 1 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तद्नुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

7. मेसर्स सुनील स्टील्स (ए यूनिट ऑफ सुनील री–रोलर्स एण्ड स्टील प्रा. लि.), उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2785)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1/ 402837/2022, दिनांक 15/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. 360(पार्ट) एवं 360बी, कुल क्षेत्रफल – 1.06 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत एम.एस.इंगोट्स (इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 50,000 टन प्रतिवर्ष तथा रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 14,000 टन प्रतिवर्ष (री–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल) को विस्थापित कर 51,580 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल) हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल लागत 8.3 करोड़ रूपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 440वीं बैठक दिनांक 08/12/2022

प्रस्तुतिकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 07/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतिकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्संबंध सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 08/02/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री सुनील अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी. एण्ड एम. सॉल्यूशन की ओर से श्री सुनील कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जल एवं वायु सम्मति** –

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा री–रोल्ड प्रोडक्ट 14,000 टन प्रतिवर्ष एवं एम.एस. इंगोट्स 15,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 24/01/2023 को जारी की गई है, जो दिनांक 30/06/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।
- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 28/08/2022 के पैरा 4(B)(v)) के अनुसार "Self-certified Compliance Report for the latest CTO shall be sufficient if the project proponent applies for expansion within a period of one year from

the grant/renewal of CTO. If such application is submitted beyond the period of one year from the grant/renewal of CTO, CCR shall be required for the latest CTO." उल्लेखित है। तद्नुसार जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- समीपस्थ आबादी सिलतरा 380 मीटर, सिलता-नगर 800 मीटर, बेन्द्री बाहु रायपुर 850 मीटर एवं ई.सी.आई.पी. अनुमानित 2.48 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 4.23 कि.मी. एवं नजदीकी विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय, भवन, रायपुर 16.12 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.48 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3.86 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लैण्ड यूटिलिटी स्टेटमेंट –

S.No.	Particular	Area (Sq.Ft)
1	Rooftop/ buildup area	54,023
2	Area under road and paved	9,490
3	Green belt (41%)	47,139
4	Open area	4,298
	Total	1,14,950

4. **भूमि संबंधी विवरण** – सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 12,000 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 88,800 वर्गमीटर एवं 560(बी), क्षेत्रफल 34,300 वर्गमीटर को मेसर्स [illegible] इस्पात लिमिटेड, रायपुर के पक्ष में लीज जारी किया गया है। प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 12,000 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 560(पार्ट) की लीज विस्तार दिनांक 20/09/2091 तक, प्लॉट नं. 560(पार्ट), क्षेत्रफल 88,800 वर्गमीटर की लीज विस्तार दिनांक 31/01/2080 तक एवं 560(बी), क्षेत्रफल 34,300 वर्गमीटर की विस्तार दिनांक 08/11/2100 तक है।

5. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है–

Product	Facility	Existing Capacity (TPA)	Proposed Production & Capacity (TPA)	After Expansion Capacity (TPA)
MS Ingot/ Billets	Induction Furnace with CCM	(2×7T) 15,500 (MS ingot)	Modification of existing (2×7T) to (2×9T) 40,000 (Induction Furnace with CCM)	55,000 (Induction Furnace with CCM i.e. MS Ingot/Billet) (2×9T)
Re-rolled steel product	Re-rolling mill with Billet / Ingot Reheating Furnace	14,000	Complete Dismantle the Re-Heating Furnace	Nil
	Re-rolling mill	Nil	51,500	51,500

	with online hot charging through Induction Furnace of semi finished steel i.e. Mill ingot/ Billet			

6. रॉ-मटेरियल :-

Material Balance (in TPA) For Induction furnace, CCM and in expansion hot charging rolling			
Name of Raw Material	Existing	Proposed	After Proposed Expansion
Sponge Iron	23,040	35,360	58,400
Scrap	4,400	4,400	8,800
Ferro Alloys	180	420	600
Ingot moulds	140	0	Nil
Coal	400	0	Nil
Total	28,160	40,180	67,800

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – परियोजना में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु रि-हीटिंग फर्नेस और इण्डक्शन फर्नेस में बैग हाउस एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखी गई है। पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर है। क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग हाउस के साथ [illegible] एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त व्यवस्था से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर होगा। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। रॉ-मटेरियल को कवर्ड शेड में स्टोर किया जाएगा।

8. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** –

S.No	Name of waste	Existing (TPA)	Proposed (TPA)	After Proposed Expansion (TPA)
1.	Mill Scale (IF+RM)	425	1,075	1,500
2.	Slag	2,250	6,000	8,250
3.	End cutting and Miss Rolls	425	1,075	1,500
	Total	**3,100**	**8,150**	**11,250**

प्रतिवर्ष 2 किलोलीटर यूज्ड ऑयल या वेस्ट ऑयल उत्पन्न होगा जिसे अधिकृत रिसाइकलर को दिया जाएगा। लेड एसिड बैटरी या ड्राई बैटरी अधिकृत रिसाइकलर को दी जाएगी। इण्डक्शन फर्नेस से रि-लाइनिंग से उत्पन्न रिफेक्टरी वेस्ट को रिफेक्टरी इकाइयों को रिसाइक्लिंग के लिए दिया जाएगा। इण्डक्शन फर्नेस स्लैग को मेटल रिकवरी यूनिट्स को दिया जाएगा। रोलिंग मिल में उत्पन्न मिल स्केल को फेरो एलॉय प्लांट को विक्रय किया जाएगा। अतिरिक्त एण्ड कटिंग/मिस रोल और मिसकास्ट का इण्डक्शन फर्नेस में पुनः उपयोग किया जाएगा।

9. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल स्त्रोत एवं खपत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 14 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 12 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यक्षमता उपरांत परियोजना हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 27 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 8.8 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। शेष जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से निवेदन किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि शेष जल की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग पिट से कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्षमता हेतु अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यक्षमता उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 1 घनमीटर प्रतिदिन होगी। परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जाएगी। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यक्षमता हेतु अपनाई जाएगी।

- **भू-जल उपयोग प्रभाव** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार:-

  (अ) उद्योग एवं व्यवसाय इकाईयों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) वाणिज्यिक जल निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में छतों के पानी का कुल रनऑफ 6,832.7 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (व्यास 1.5 मीटर एवं गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** – कम्पनी द्वारा स्थापित क्षमता में उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार पश्चात उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 6.750 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से उक्त उत्सर्जन की मात्रा 8.730 कि.ग्रा.

उत्सर्जन होगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल उत्पन्न होगा, जिसे सेटलिंग टैंक से कूलिंग उपरान्त प्राप्त दूषित जल को संग्रह कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा तथा शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् कुल 11,280 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा। उत्पन्न सभी ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन उपयोगितानुसार किया जाएगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरान्त (1) प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाले पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा में कमी, (2) उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होगी जिसे पुनःउपयोग/विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा तथा (3) जल उपयोग की मात्रा में आंशिक वृद्धि होना संभावित है।

11. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 3.8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरान्त परियोजना हेतु 8 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की क्षमता सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 47,108 वर्गमीटर (41 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि उद्योग परिसर के चारों ओर 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु 6 से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कार्ययोजना व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत विकास ग्रामीण/ईकोपार्क निर्माण हेतु ग्राम पंचायत में आयोजन किया जाना बताया गया है। साथ ही ग्राम के संबंध में भूमि हेतु सीएसआईडीसी से भी बात की जा रही है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् प्रस्ताव का निर्माण हेतु ग्राम पंचायत अथवा सीएसआईडीसी से भूमि प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. रॉ वाटर की आपूर्ति हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की क्षमता सहित एवं चिमनी संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रस्तावित उद्योग परिसर के चारों ओर 50 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण हेतु 6 से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का रोपण (80 प्रतिशत जीवन दर सहित), सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कार्ययोजना व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्ताव का निर्माण हेतु ग्राम पंचायत अथवा सीएसआईडीसी से भूमि प्राप्त कर विस्तृत प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना के दौरान शासन द्वारा वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) का प्रतिशत सुनिश्चित किए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिए जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/स्थान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स जी.एस. टेक्नोलॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसेलिटी), ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 1254)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 52327/2020, दिनांक 15/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी /एमआईएस/ 298076/2022, दिनांक 28/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित कॉमन मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसेलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक पार्ट ऑफ 208, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित था। वर्तमान में **स्थान परिवर्तन कर** परियोजना ग्राम–बरबसपुर, तहसील व जिला–कोरबा स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 208/2, कुल एरिया–1 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना के अंतर्गत इंसीनरेशन पायरोलाइटिक क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा **के स्थान पर** डायरेक्ट–फायर्ड कंट्रोल्ड एयर क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा किये जाने हेतु टी.ओ.आर. में संशोधन के लिए आवेदन किया गया है। शेष ऑटोक्लेव क्षमता – 150 लीटर/बैच एवं श्रेडर क्षमता–150 किलोग्राम/घण्टा में कोई भी परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 866, दिनांक 27/08/2020 द्वारा प्रकरण बी–1 कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में कॉमन हजार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फेसेलिटी (टीएसडीएफएस) (Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)) हेतु वर्णित श्रेणी 7(डी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (जैसा कि लागू हो) New Bio Medical Waste Treatment Facility (CBMWTF) के अंतर्गत इंसीनरेशन पायरो

पायरोलाइसिस क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा, ऑटोक्लेव क्षमता – 100 लीटर/बैच एवं श्रेडर क्षमता–100 किलोग्राम/घण्टा हेतु जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/02/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री … डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स … इन्वायरोटेक एवं इंजीनियर्स प्रा.लि. की ओर से श्री … उपस्थित हुए। समिति द्वारा मेसर्स प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. जारी टी.ओ.आर. में निम्नानुसार संशोधन चाहा गया है–

Sr. No.	Amendment proposed in	Previously Proposed	After proposed amendment
1.	Location of Plant	Part of Khasra Number 359 (Total 1 Acre), Village Barbaspur, District Korba, Chhattisgarh	Part of Khasra Number 359/2 (Total 1 Acre), Village Barbaspur, District Korba, Chhattisgarh
2.	Type of Incinerator	Induction Plasma Pyrolysis **(Electricity based)** (100 Kg/hr)	"ALFA-THERM" Controlled Air **Oil Fired (LDO)** (100 Kg/hr)
3.	Total Fuel (LDO) requirement	For DG Set (150 KVA) 20 Liters/hr	For DG Set (100 KVA) 15 Liters/hr
		For Incinerator (100 Kg/hr) 2 Liters/hr	For Incinerator (100 Kg/hr) 20 Liters/hr
4.	Electricity Requirement	150 KVA (120 KW)	100 KVA (80 KW)
5.	Capacity of D.G. set	150 KVA	100 KVA
6.	Stack Height of D.G. set	12 meter	4 meter

2. **भूमि संबंधी दस्तावेज –**

- पूर्व में कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा पत्र दिनांक 05/06/2021 के माध्यम से भूमि खसरा क्रमांक 359 में से रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) भूमि को जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान के लिए इंसीनरेटर स्थापना हेतु भूमि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा को आवंटन किया गया था। जिसका अनुबंध मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा एवं … बायोमेडिकल …, छत्तीसगढ़ के मध्य किया गया है। यह अनुबंध 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 01/10/2020 से दिनांक 30/09/2050 तक की अवधि हेतु वैध है।
- वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 1317/वाचक/अति.तह./2022 कोरबा, दिनांक 12/08/2022 द्वारा 359/2 रकबा 29.526 में से रकबा 0.405 हेक्टेयर (1 एकड़) भूमि के सीमांकन हेतु जाँच प्रतिवेदन, पटवारी नक्शा एवं खसरा पंचसाला बी–1 की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- समिति का मत है कि आवेदक द्वारा नगर पालिक निगम, कोरबा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा को आवंटित भूमि संबंधी दस्तावेज तथा भूमि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरबा से छत्तीसगढ़ प्रशासन को आवंटित भूमि / लीज अनुबंध संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. लैण्ड यूटिलिटी स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	As Per New Layout		As Per Old Layout	
		Area (m^2)	Area (%)	Area (m^2)	Area (%)
1	Incinerator Plant Area	720	17.7	208	5.1
2	Shredder Room and sterilization area	84	2	108	2.6
3	Collection & Segregation area	70	1.7	120	3
4	Yellow Waste Storage Area	42	1	28	0.7
5	Red Waste Storage Area	42	1	28	0.7
6	Other Waste Storage Area	42	1	28	0.7
7	Hazardous Waste Storage room	56	1.4	54	1.3
8	Treated Waste room	42	1	80	2
9	E.T.P.	70	1.7	55	1.3
10	Vehicle wash	86	2.1	66	1.6
11	parking area	54	1.3	165	4
12	Admin Building	140	3.4	69	1.7
13	Green Belt	1454.4	35.6	1,340	33
14	Roads Area and open space area and other area	1,181.5	28.9	1,718	42.3
	Total Area	**4,082**	**100**	**4,082**	**100**

4. ट्रीटमेंट कैपेसिटी –

- **<u>Brief Specifications Of Alfa Therm Controlled Air Oil Fired Incinerator</u>**

S.No.	Specifications	
1	Type of Incinerator	"ALFA-THERM" controlled air Oil Fired Incinerator Model BMW 250
2	Type of Waste	Biomedical Waste
3	Burning Capacity	100 Kg/Hr
4	Auxiliary Fuel	Diesel
5	Type of Burner Operation	Monoblock/Split type fully automatic burners
6	Temperature 1. Primary Chamber 2. Secondary Chamber	 800 ± 50°C 1050 ± 50°C
	Primary Chamber	
1	Type	Static Solid Hearth
2	Material of Construction	Mild Steel, 12-16 mm thick
3	Refractory thickness	300 mm thick

4.	Temperature resistance	1400°C
5.	Insulation thickness	115 mm thick
6.	Material	Insulation bricks confirming to IS 2042
7.	Waste Charging	Automatic through Hydraulic Ram Pusher
8.	Ash Removal	Manual
	Secondary Chamber	
1.	Type	Static Furnace connected to primary furnace
2.	Material of Construction	Mild Steel, 10 mm thk
3.	Refractory thickness	115 mm Thk insulation brick and 115 mm x 2 layer of fire brick
4.	Material	Refractory bricks confirming to IS-8
5.	Temperature resistance	1200°C
6.	Insulation thickness	115 mm
7.	Material	Insulation bricks confirming to IS-2042
8.	Residence time for flue gases	2 seconds
Venturi Scrubber-		
1.	Type	High Pressure Drop Type
2.	Material of Thickness	Stainless Steel 316L, 5mm thick
3.	Refractory Thickness	115 mm thick
4.	Material	Refractory bricks confirming to IS-8
5.	Temperature resistance	75-80°C
6.	Scrubbing Media	Water with 5% Caustic
Packed Bed Scrubber-		
1.	MOC	Mild Steel rubber lined
2.	Water re-circulation pump with motor	Provided
3.	Interconnecting piping	PPR
4.	Packing media	Intalox Saddles/Pall rings
5.	Interconnecting ducting	Mild Steel Rubber lined
6.	Scrubbing Media	Water
I.D. Fan-		
1.	Type	High Pressure Centrifugal type
2.	MOC	Stainless Steel impeller and Mild Steel Rubber lined casing
3.	Drive	Belt Driven
Combustion Fan-		
1.	Type	Centrifugal
2.	Modulation	Manual damper control
3.	MOC	Mild Steel / SS316
4.	Drive	Direct drive
Burners-		
1.	No. of burners	As per standard design of incinerator
2.	Type	Monoblock fully automatic
3.	Fuel	Diesel
4.	Make	"Alfa Therm"
Height of chimney 30 m-		
1.	MOC	Mild Steel
2.	Type	Self-supporting
3.	Height	30 m from ground level
4.	Other Standard Accessories	Aviation lamp, lightening arrestor, stack drain, inspection platform, sampling port
5.	Paint	The chimney is painted externally with two

		coats of heat resistant aluminum paint
5	Ladder	To be provided

5. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** — ALFA THERM Controlled Air Oil Fired Incinerator में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पोस्ट कोम्बशन चेम्बर, वेन्चुरी स्क्रबर, पैक्ड बेड स्क्रबर, आईडी फैन के साथ एक्टिवेटेड कार्बन इंजेक्शन एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट में चिमनी की ऊंचाई 4 मीटर रखी। स्वचालित सतत उत्सर्जन निगरानी हेतु यंत्र विस्थापन किया जाना प्रस्तावित है।

6. **वृक्षारोपण की स्थिति** — भूमि में कुल क्षेत्रफल में से लगभग 1,380 वर्गमीटर (लगभग 33.33 प्रतिशत) में 325 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में संशोधन उपरांत कुल क्षेत्रफल में से 1,484.5 वर्गमीटर (लगभग 35.8 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 365 पौधों के लिए राशि 73,000 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,91,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,74,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 7,28,000 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु पर्यावरण प्रबंधन का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना हेतु पूर्व निर्धारित खसरा क्रमांक 358 एवं वर्तमान में प्रस्तावित नवीन खसरा क्रमांक 356/2 के मध्य की दूरी 375 मीटर है। पूर्व निर्धारित खसरा हेतु बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 16 अक्टूबर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 के मध्य किया गया था। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त तथ्यों/दूरी के दृष्टिगत उक्त बेसलाईन डाटा को मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। जिससे समिति सहमत हुई।

8. [illegible] के कारण Induction Plasma Pyrolysis (Electricity based) के स्थान पर "ALFA THERM" Controlled Air Oil Fired (LDO) किया जाना बताया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि कार्यालय नगर पालिक निगम, कोरबा से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-कोरबा को आवंटित भूमि संबंधी दस्तावेज तथा भूमि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला-कोरबा से परियोजना प्रस्तावक को आवंटित भूमि/लीज अनुबंध संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-3. **परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स रामनगर [illegible] माईन एण्ड [illegible] (प्रो.- श्री [illegible] कुमार जायसवाल), ग्राम-रामनगर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2112)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/266946/2022, दिनांक 28/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (साधारण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1258/2 एवं 1258/3, कुल क्षेत्रफल – 0.8 हेक्टेयर में है। खदान की अपेक्षित उत्पादन क्षमता – 840.75 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 4,51,344 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी उत्खनन खदान खसरा क्रमांक 1258/2 एवं 1258/3, कुल क्षेत्रफल–0.8 हेक्टेयर, क्षमता–840.75 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 4,51,560 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 18/12/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 15/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर में आवेदन दिनांक 15/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार 150 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1805/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 22/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
2017	545	4,50,000
2018	386	3,20,000
2019	509	4,20,000

ब. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुल्तानपुर के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनिज/2022 सुल्तानपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक 18/12/2019 से स्वीकृत क्षेत्र [illegible] उत्खनन कार्य पूर्णतः बंद है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 24/01/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–[illegible] के ज्ञापन क्रमांक 808/खनिज/खनि.2/2016, [illegible], [illegible], दिनांक 05/08/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुल्तानपुर के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनिज/2022 सुल्तानपुर, दिनांक 22/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सुल्तानपुर के ज्ञापन क्रमांक 1808/खनिज/2022 सुल्तानपुर, दिनांक 22/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, पिक लाईन, नहर, बांध, एनीकट, तालाब, स्कूल, अस्पताल, [illegible], [illegible], मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट, ऐतिहासिक स्मारक इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज की भूमि [illegible] के नाम पर है। लीज अवधि 03 वर्ष अर्थात् दिनांक 18/09/2013 से 17/09/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज अवधि 27 वर्ष अर्थात् दिनांक 18/09/2016 से 17/09/2043 तक निर्धारित की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – खसरा क्रमांक 1299/2 की [illegible] व की [illegible] एवं खसरा क्रमांक 1299/3 की [illegible] व की [illegible] के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, [illegible] वनमण्डल, [illegible] के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3126 [illegible], दिनांक 06/08/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 600 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 2.8 कि.मी. एवं अस्पताल [illegible] 5.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 19.45 कि.मी. दूर है। [illegible] नदी 2.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र एवं घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 14,282 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 9,0[illegible] घनमीटर एवं मिनरेबल रिजर्व 8,208 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 12,080 घनमीटर एवं मिनरेबल रिजर्व 8,428 घनमीटर शेष है। सीमा की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 338.[illegible] वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। खनन क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में ईंट निर्माण हेतु भट्ठा (FCBTK) स्थापित है, जिसकी चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। जिग-जैग (Zig-Zag) पद्धति प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत भराई राख का उपयोग किया जाता है। खदान की प्रस्तावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	840.51	4,51,413	षष्ठम	840.75	4,51,544
द्वितीय	840.33	4,51,378	सप्तम	840.75	4,51,544
तृतीय	834.66	4,48,271	अष्टम	840.75	4,51,544
चतुर्थ	840.75	4,51,544	नवम	840.75	4,51,544
पंचम	840.75	4,51,544	दशम	708.88	3,80,547

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.44 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाता है। इस बावत केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 180 नग वृक्षारोपण किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विवरण में चार्ट अनुसार निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17	2%	0.34	Following activities at Nearby Govt. Primary School, **Village-Adrapara-Ramnagar**	

			Drinking water arrangement with filter & its AMC	
			UV water filter AMC	0.215
			Running Water Arrangement in Toilet	
			Water tank Pipeline & Installation	0.150
			Total	0.365

16. सी.ई.आर. की तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. परियोजना से भिन्न-भिन्न खदानों से बहुदिशीय प्रवाह उत्पादित होगा, उन खदानों पर निर्धारित जल निकासी की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. चहुँदिश लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी के रास्ते सीमांकन कराकर खदान की सीमा क्षेत्र में नियमानुसार स्तम्भ स्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. आवेदित खदान में निकलने वाली मिट्टी को 2 वर्ष के भीतर भिन्न-भिन्न पद्धति से प्रतिस्थापित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जावे।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की [illegible] बैठक दिनांक [illegible]/03/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1946, दिनांक 12/01/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तर के संबंध में प्रतिवेदन अप्राप्त है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/11/2022 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को प्रेषित अनुरोध पत्र की प्रति प्रेषित की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ /एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।
3. डी.एस.आर. एवं क्लस्टरिंग कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (कलेक्टर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही डी.एस.आर. एवं क्लस्टरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 1406/खनिज/2022 सूरजपुर, दिनांक 22/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 1 खदान, क्षेत्रफल 2.4 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का क्षेत्रफल 0.9 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की पाई गई।

2. समिति द्वारा लिया जाने वाला अभिमत के आलोक में — मेसर्स [illegible] स्टोन माईन एवं [illegible] (प्रो.— श्री [illegible] कुमार [illegible]) को ग्राम—[illegible], तहसील व जिला—[illegible] के खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3 में स्थित [illegible] उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—0.8 हेक्टेयर, क्षमता—[illegible] घनमीटर (कुल उत्खनन मात्रा 4,51,344 घनमी.) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट—01** में वर्णित शर्तों के अधीन जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] कार्यालय, [illegible] से प्राप्त कर की एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अवलोकन हेतु प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स जामुनाही स्टोन माईन (ए–2) (प्रो.– श्री सुरेन्द्र सिंह), ग्राम–जामुनाही, तहसील–जोगी, जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2176)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409811/2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित पत्थर खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–जामुनाही, तहसील–जोगी, जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 62/1, कुल क्षेत्रफल–2.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी नहीं से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित पत्थर उत्खनन क्षमता – 34,012 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 15/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – पत्थर उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जामुनाही का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **वनांचलित/नॉनवनांचलित** – वनमंडलाधिकारी कार्यालय, [illegible] से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान [illegible] वन क्षेत्र से पृथक है।
4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्र. [illegible]/खनि/पत्थर/उत्खनन प्लान/2022, दिनांक 14/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 586/खनि-03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 586/खनि-03/2022 मुंगेली, दिनांक 18/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि-03/2022 मुंगेली, दिनांक 21/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 150 मीटर, स्कूल ग्राम-[illegible] 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल [illegible] 5.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 24.4 कि.मी. एवं राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। नहर 750 मीटर, नाला 340 मीटर, तालाब 140 मीटर, पुल 540 मीटर, एनीकट 4.25 कि.मी. एवं खुड़िया बांध 8.7 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 98 मीटर, न्यूनतम 42 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई – अधिकतम 1,194 मीटर, न्यूनतम 1,088 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 41 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर दर्शाई गई है। खदान की पूर्वी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 44 मीटर, न्यूनतम 4 मीटर एवं पश्चिमी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 18 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.19 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 35,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वास्तव में उपलब्ध रेत परत की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उनकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.187 मीटर है। रेत की

वास्तविक गहराई हेतु प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई 3 मीटर से अधिक है। समिति का मत है कि प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वेक्षण में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह की लेवलिंग** — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स Levels लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **नॉन माइनिंग क्षेत्र** — नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 40 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से लगी हुई है। रेत खनन दिशा निर्देश के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। तदनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी छोड़ते हुए 1,200 वर्गमीटर नॉन माइनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 3.56 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त का उल्लेख माइनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के बाद उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.96	2%	0.379	Following activities at nearby, Village-Ghanaghath	
			Plantation with fencing on periphery of village pond area	0.40
			Total	0.40

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 25 नग पौधों का रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में 5 नग पौधे तालाब के किनारे पर हैं। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं करंज) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 16,800 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 22,800 रुपये तथा आगामी वर्षों में कुल राशि 17,800 रुपये हेतु कार्ययोजना प्लान का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामपंचायत प्रस्ताव (खसरा क्रमांक 64, क्षेत्रफल 1.366 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्संबंध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि–

1. एम.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित खदान पर वर्तमान में डेड रोक (Dead Rock) के ऊपर अवशेषित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(4) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा मांगी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक को संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक/804/खनि 02/रेत/[Index 7]/न.क्र.28/1966 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/02/2023 द्वारा एम.ओ.आई. जारी की गई है, जिसके अनुसार "पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त कर उत्खनन पट्टा प्रदान करने हेतु आशय पत्र को छः माह की अतिरिक्त समयावधि (अर्थात दिनांक 28/03/2023 तक) प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान पर 4 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर पंचनामा दिनांक 09/02/2023 का प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार गड्ढे में पानी आने की वजह से आगे खुदाई नहीं की जा सकी तथा रेत की गहराई 2.5 मीटर होने की संभावना होने का लेख किया गया है।
3. समिति का मत है कि डी.एस.आर. एवं पुनर्भरण अध्ययन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (एसईआईएए/एसईएसी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही डी.एस.आर. एवं पुनर्भरण का कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी में है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जाये।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी जानकारी का समावेश नहीं किया गया है। [illegible] नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. आवेदित खदान (क्षेत्र-अनुमति) का रकबा 2.7 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** — वृक्षारोपण (नदी तट एवं पहुँच मार्ग पर कुल 740 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 7,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 92,500 रूपये, खाद के लिए राशि 37,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 1,75,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,11,900 रूपये प्रथम वर्ष में एवं द्वितीय वर्ष कुल राशि 2,12,000 रूपये हेतु पर्यावरण प्रबंध योजना का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में सिल्टेशन स्टडी अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय जलस्रोत, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** —

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व समोच्चरेखानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं से माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा उसका लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जावेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े जुलाई 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स जमुनाही सेण्ड माईन्स (टी–2) (प्रो.– श्री सुरेन्द्र सिंह), खसरा क्रमांक 42/1, ग्राम–जमुनाही, तहसील–ओड़गी, जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्रफल 3.7 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 12,000 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 2.50 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 34,010 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से अधिकृत वाहनों तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग

गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

x. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स भैंसो डोलोमाईट खदान (प्रो.– श्री संतोष सिंह राजपूत), ग्राम–भैंसो, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 1344)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 160604/2020, दिनांक 06/07/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 75117/2018, दिनांक 26/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का विवरण – यह प्रकरण विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भैंसो, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1652/1, कुल क्षेत्रफल–4.497 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–1,00,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1936, दिनांक 04/02/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटिज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टेण्डर्ड टीओआर (पब्लिक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री संजय सिसोदिया, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स [illegible] एण्ड टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री [illegible] उपस्थित एवं सूची अनुसार बैठक में उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**
   i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 1652/1, कुल क्षेत्रफल–4.497 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता–88,266 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/01/2017 को जारी की गई।

ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, [illegible] के पत्र दिनांक 09/08/2022 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कुल [illegible] शर्तों (बिन्दु क्रमांक 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 22, 26 एवं 27) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।

iii. एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन करने पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण शर्तों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना बताया गया:-

- उत्खनन कार्य प्रारंभ करने के तीन माह के भीतर [illegible] पिट/[illegible] का निर्माण कर लिया जाएगा, जिससे लीज क्षेत्र के बाहर जल का निस्तारीकरण नहीं होगा। उत्खनन के दौरान खदान में उपलब्ध जल को [illegible] संग्रहण एवं वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा।
- [illegible] हेतु निर्धारित जल का विश्लेषण किया जाएगा।
- परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। परिवेशीय वायु गुणवत्ता उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर के अन्दर रहे, इस हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
- निर्धारित [illegible] एवं गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण किया गया है।
- खदान में निकासी कार्य प्रारंभ करने के तीन माह के भीतर [illegible] वृक्षारोपण किया जाएगा।
- कर्मियों के लिए हेल्थ चेकअप [illegible] वर्ष में दो बार आयोजित किया जाएगा एवं हेल्थ चेकअप रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. निर्धारित मापदंडानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

v. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-[illegible] के पत्र क्रमांक 2496/[illegible]/2020-21 [illegible], दिनांक 08/10/2020 द्वारा जारी उत्पादन पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	1,050
2019-20	400
2020-21 (30/09/2020 तक)	निरंक

vi. समिति का मत है कि विगत वर्षों (जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक से) में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत सेमरी का दिनांक 15/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाइड माइनिंग प्लान एलांग विथ माइनिंग क्लोजर प्लान एवं इन्वायरमेन्टल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, अटल नगर रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 5326/माईनिंग-2/क्यू.पी./एम-184/2019 अटल नगर रायपुर, दिनांक 03/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 1083/गौण खनिज/न.क्र./2020-21 जांजगीर, दिनांक 04/07/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 2 खदानें, क्षेत्रफल 4.827 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्र. 2487/गौण खनिज/खलि./न.क्र./2020-21 जांजगीर, दिनांक 08/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, तालाब, बांध, एनीकट, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट, स्टॉप डेम एवं अन्य आबादी स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की स्वीकृति सिंह राजपूत के नाम पर है। लीज डीड 50 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/03/2018 से 21/03/2068 तक की अवधि हेतु किया है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2586 चांपा, दिनांक 18/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 600 मीटर की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-सेमरी 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम-सेमरी 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल पामगढ़ 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 700 मीटर एवं राज्यमार्ग 300 मीटर दूर है। लीलागर नदी 8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 15,73,950 टन, माईनेबल रिजर्व 4,37,520 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,93,813 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.808 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी-मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में पानी

क्रमशः

गिट्टी की गहराई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,000 घनमीटर है। क्षेत्र की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसकी क्षमता 1,000 घनमीटर है। क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वॉटर स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	72,660
द्वितीय	1,00,089
तृतीय	1,00,553
चतुर्थ	70,238
पंचम	66,520

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर से) हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र के मध्य से ग्रामीण सड़क गुजरने के कारण सड़क मार्ग के दोनों तरफ कुल 2.4086 हेक्टेयर क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर नॉन माईनिंग क्षेत्र में 6,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम वर्ष में 1,500 नग एवं आगामी 4 वर्षों में 1,250 नग पौधों का वृक्षारोपण हेतु विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के भीतर नॉन माईनिंग क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर से) हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – बेसलाईन डाटा 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल

मुताबिक (सात) 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल:-

Concentration level (μg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (μg/m³)	Maximum (μg/m³)	CPCB Standard (μg/m³)
$PM_{2.5}$	16.30	30.58	60
PM_{10}	28.20	52.53	100
SO_2	3.12	11.24	80
NO_2	5.90	18.54	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार कलरयुक्तता, टर्बिडिटी, सल्फेट, क्लोराइड, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	38.5	56.5	75
Night L_{eq}	30.5	47.8	70

जो रहवास क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– अतिरिक्त में इस प्रस्तावित परियोजना उपरांत भारी वाहनों / कमर्शियल हैवी वाहनों को शामिल करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. परिगणना एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 26/11/2021 को समय 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत मैदा के हाई स्कूल परिसर, "लोकल युवा बैठक", ग्राम-मैदा, तहसील-पामगढ़, जिला-जांजगीर-चांपा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 15/02/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में बिन्दुवार प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि जन सामान्य की सुविधानुसार बिन्दुवार प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ग्राम पंचायत मैदा की 1 से 2 एकड़ भूमि में 1,500 नग पौधरोपण के आधार पर कुल 5 वर्षों में 7,500

पर्ण वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर से) हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पारदर्शक एवं समयबद्ध व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपयोग भूमि के खसरा क्रमांक एवं नक्शा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

23. लीज क्षेत्र में प्रस्ताव के चारों ओर वृक्षारोपण किये जाने, डस्ट संरक्षण हेतु जल छिड़काव किये जाने एवं नाला के चारों ओर 8 मीटर की लाइन स्थापित किये जाने बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना की कुल लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों (उनकी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक से) में किये गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर चिह्नांकित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की हरित पट्टी में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर से) हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पारदर्शक एवं समयबद्ध व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर से) हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पारदर्शक एवं समयबद्ध व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही

लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. परिवहन के पूर्व प्रस्तावित परियोजना उत्पादन भारी वाहनों / कम्पोनेन्ट्स हैवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू., कैपेसिटी एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) सहित) प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में तालिकाबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं जन सामान्य की सुविधानुसार तालिकाबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

9. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान एवं कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

10. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (90 प्रतिशत की जीवन दर को) हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कार्यक्रम एवं समयबद्ध व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपयुक्त भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

11. कन्ट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता दर (Survival rate) का प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कराई गई निर्देशों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, नाला, नदी, तालाब में नहीं किये जाने एवं इसका पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट में सर्वेक्षण टीम की संलग्नता प्रस्तुत किया जाए।

18. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करवाकर जानकारी प्रस्तुत की जाए।

19. खदान में आने वाले समस्त खसरों के लिए पिट्स सहित इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खसरों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

20. खदान में आने वाली खसरों की सतत् परिवेशिता से पर्यावरणीय पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु खदान में आने वाले समस्त खसरों को शामिल करते हुए, खदान हेतु समेकित इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किए जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु सलाहकार, राज्यस्तरीय, प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के प्रकरण के उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 08/02/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना की कुल लागत का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना की कुल लागत रूपये 88 लाख है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 33/खलि./उ.प./2023 जांजगीर, दिनांक 23/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2022 तक मिट्टी का उत्खनन 600 मीट्रिक टन किया गया है।
3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 7,000 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी (संरक्षण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) एवं नॉन माइनिंग (2.0388 हेक्टेयर) क्षेत्र में पौधारोपण वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।
4. ग्राम की अनापत्ति हेतु ग्राम पंचायत बैठक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 888 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 33,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, गड्ढा खुदाई तथा खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 25,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 1,33,400 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव आदि के लिए कुल राशि 1,00,000 रूपये आगामी चार वर्ष हेतु पांचवर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. लीज क्षेत्र के भीतर नॉन माइनिंग क्षेत्र में 4,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, गड्ढा खुदाई तथा खाद के लिए राशि 2,00,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 50,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 4,35,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव आदि के लिए कुल राशि 3,00,000 रूपये आगामी चार वर्ष हेतु पांचवर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही

लीज क्षेत्र के भीतर गैर माईनिंग क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. प्रस्तुत ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में बाईक स्कूटर से 5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा तथा बिलासपुर–पामगढ़ रोड में 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत पी.सी.यू. प्रतिघंटा में होने वाली वृद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिससे की विकास के उपरांत भी लेवल–ऑफ–सर्विस / रोडकन्जेशन के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में एवं प्रस्तावित परियोजना उपरांत भारी वाहनों / कामर्शियल जैसी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:-

Status	PCU / Hr	V/C ratio
Existing	5	0.0025
Proposed	51	0.003

विकास के उपरांत भी लेवल–ऑफ–सर्विस / रोडकन्जेशन के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

8. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध रूप हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

   i. हमारी ग्राम पंचायत मेरी की जमीन में खदान नहीं खोलना चाहते क्योंकि हमारे ग्राम के निजी खातेदार किसानों की जमीन को प्रभावित करेगा, धूल, शोर एवं प्रदूषित होगा इससे गांव के किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अतः हमारे ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों को खदान खोलने से आपत्ति है।

   ii. प्राथमिकता के आधार पर प्रभावित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

   i. सभी प्रकार नियमों का पालन करते हुये और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा–निर्देशों के अनुसार संचालित किया जायेगा। परियोजना क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सुरक्षा क्षेत्र पर लगभग 1,33,400 की वार्षिक लागत पर वृक्षारोपण किया जायेगा। धूल नियंत्रण के लिए लीज सड़कों और पहुंच क्षेत्र के भीतर दिन में दो बार पानी का छिड़काव एवं सुखाई के लिए दो बार छिड़काव का उपयोग किया जायेगा।

   ii. निर्धारित कैटेगरी की योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

9. क्लस्टर में शामिल (कुल 3) खदानों हेतु संचित इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत प्रस्तुत जानकारी में केवल प्रादेशिक खदानों के संबंध में ही जानकारी प्रस्तुत किया गया है। अतः संचित इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही संचित इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने

जाने आदि में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टेनेंस फण्ड के तहत् निर्धारित राशि का उपयोग कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेन्टेनेंस फण्ड के कार्यों में ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
65	2%	1.3	Following activities at nearby Village-Bhainsha	
			Paudha Van Nirman	3.01
			Total	3.01

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पौधा वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2000 नग पौधों के लिए राशि 1,21,150 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 15,200 रूपये, सिंचाई, खाद तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 75,200 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,21,150 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 80,000 रूपये हेतु परामर्श व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भैंसा से सहमति उपरांत प्रस्तावित स्थल (खसरा क्रमांक 1784/1 रकबा 2 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

11. [illegible] किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज रियायत नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कानूनी निकायों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किया जायेगा एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

16. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट में संलग्न फोटो की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

18. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुपात अनुसार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

19. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

20. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. प्रस्तुत ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार खदान के माईन साईट में 8 पी.सी.यू. प्रतिघंटा तथा बिलासपुर–पामगढ़ रोड में 10 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत पी.सी.यू. प्रतिघंटा में होने वाली वृद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

2. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुपात अनुसार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मेंहदी डोलोमाईट क्वारी (प्रो.– श्री राम्पू दयाल मिश्रा), ग्राम–मेंहदी, तहसील–पामगढ़, जिला–जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़ का नस्ती क्रमांक 1260)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 161606/2020, दिनांक 14/07/2020 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74841/2018, दिनांक 28/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह खनन परियोजना का प्रस्ताव है। यह पूर्व से स्वीकृत लाइमस्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-जांजगीर-चांपा स्थित खसरा क्रमांक 1652/1, कुल क्षेत्रफल-4.83 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता-2,58,377 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1464, दिनांक 28/12/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 433वीं बैठक दिनांक 17/11/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री [illegible], अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स [illegible] एण्ड टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री [illegible] एवं [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में लाइमस्टोन खदान खसरा क्रमांक 1652/1, कुल क्षेत्रफल-4.83 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता-14,850 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-जांजगीर-चांपा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 28/01/2017 को जारी की गई।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी/सर्टिफाइड क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 09/08/2022 से प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार कुल 10 शर्तों (बिन्दु क्रमांक 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 22, 26 एवं 27) का अपूर्ण पालन होना बताया गया है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report) प्रस्तुत की गई है।

   iii. एक्शन टेकन रिपोर्ट (Action Taken Report) का अवलोकन करने पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपूर्ण शर्तों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना बताया गया–

      - उत्खनन कार्य प्रारंभ करने से तीन माह के भीतर सेटल पिट/रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कर लिया जाएगा, जिससे लीज क्षेत्र के बाहर जल का निस्सारण नहीं होगा। उत्खनन के दौरान खदान में उत्पन्न जल को डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा।
      - [illegible] प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु निर्धारित स्थल का चिन्हांकन किया जाएगा।

- परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन एवं परिवेशीय ध्वनि स्तर रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। परिवेशीय वायु गुणवत्ता खनन क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम रहे, इस हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी।
- कार्टिंग रोड/ट्रांसपोर्टेशन रोड पर [illegible] का निर्माण किया गया है।
- खदान में खनन कार्य प्रारंभ करने के एक वर्ष के भीतर [illegible] सहित वृक्षारोपण किया जाएगा।
- श्रमिकों के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प समय-समय पर आयोजित किया जाएगा एवं हेल्थ चेकअप रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा।
- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

ix. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

x. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-[illegible] के प्रपत्र क्रमांक 2488/खनि अभि/[illegible]/2020-21 [illegible], दिनांक 06/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	1,000
2019-20	600
2020-21 (30/09/2020 तक)	निरंक

समिति का मत है कि विगत वर्षों (जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक से) में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 15/12/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – [illegible] प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक, [illegible] के प्रपत्र क्रमांक 5340/माईनिंग-2/क्यू.पी./एम.पी.83/2015 [illegible], दिनांक 03/10/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-[illegible] के प्रपत्र क्र. 1032/खनि अभि/[illegible]/2020-21 [illegible], दिनांक 04/07/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 2 खदानें, क्षेत्रफल 8.544 हेक्टेयर है।

5. **250 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-[illegible] के प्रपत्र क्र. 2488/खनि अभि/[illegible]/2020-21 [illegible], दिनांक 06/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 250 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक

क्षेत्र जैसे कॉरिडोर, मंदिर, मस्जिद, श्मशान घाट, पुरातत्व, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, एयरपोर्ट, नदी, नाले एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज की सम्पूर्ण ... लीज अवधि 50 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/03/2018 से 21/03/2068 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, ... वनमण्डल, ... के पत्र क्रमांक/मा.चि./2686, दिनांक 16/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-... 1.0 कि.मी., स्कूल ग्राम-... 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ... 4.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 750 मीटर एवं राजमार्ग 360 मीटर दूर है। ... नदी 8 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 18,80,800 टन, माईनेबल रिजर्व 11,80,980 टन एवं मिनेबल रिजर्व 10,78,288 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,758 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमीमेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,862 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,38,710
द्वितीय	2,00,365
तृतीय	2,12,213
चतुर्थ	2,22,143
पंचम	2,32,377

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** — लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,150 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर की) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार एवं मदवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **गैर माइनिंग क्षेत्र** — लीज क्षेत्र के समीप नाला होने के कारण 1.104 हेक्टेयर एवं लीज क्षेत्र के समीप वन क्षेत्र होने के कारण 2.282 हेक्टेयर क्षेत्र इस प्रकार कुल 3.386 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर गैर माइनिंग क्षेत्र में 840 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 42,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये तथा खाद, उर्वरक, मिट्टी, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 75,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 1,42,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव आदि के लिए कुल राशि 40,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** — मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2021 से 31 मई 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सारांश लेखन–**

Concentration level (μg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (μg/m³)	Maximum (μg/m³)	CPCB Standard (μg/m³)
$PM_{2.5}$	16.89	36.58	60
PM_{10}	28.20	62.53	100
SO_2	3.12	11.24	80
NO_2	5.90	15.54	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, क्लोराइड्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)

Day L_{eq}	38.9	50.5	75
Night L_{eq}	30.5	47.9	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

ड. **पी.सी.यू. की गणना**— परियोजना से उत्पादित खनिज के परिवहन वाले वाहनों / अतिरिक्त हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू. कैलकुलेशन एवं वी/सी अनुपात (VC ratio) सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 29/11/2021 को प्रातः 11:00 बजे स्थान – ग्राम पंचायत भैंसी के हाई स्कूल परिसर, "..." (ग्राम ... केन्द्र), ग्राम-भैंसी, तहसील-..., जिला-... में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 05/02/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में कालमवार प्रारूप अंग्रेजी (tabular form in english) में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। समिति का मत है कि उक्त संबंध में सुविधानुसार कालमवार प्रारूप हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **खदान हेतु अंतिम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – अंतिम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं अंतिम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमति का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ग्राम पंचायत भैंसी की 1 से 2 एकड़ भूमि में 1,500 नग पौधों के अनुसार पर कुल 5 वर्षों में 7,500 नग वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर) हेतु फेंसिंग, कंपोस्ट, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का कार्ययोजना एवं बजटवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति उपलब्ध भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उपरोक्त कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. परियोजना की कुल लागत का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

2. विगत वर्षों (जबसे पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक से) में किए गए उत्पादन की वास्तविक मात्रा की प्रमाणित जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।

3. ऊपरी मिट्टी के रख–रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्थानांतरित कर संग्रहित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर की) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का पूंजीगत एवं आवर्ती व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. वर्तमान में एवं प्रस्तावित परियोजना उत्पादन भारी वाहनों / ट्रैक्टर-ट्रॉली हैवी वाहनों को सम्मिलित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू., क्षमता एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) सहित) प्रस्तुत किया जाए।

7. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में तालिकाबद्ध प्रारूप अंग्रेजी (tabular form in english) में एवं आम जनमानस की सुविधानुसार तालिकाबद्ध प्रारूप हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

8. अतिरिक्त इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं संशोधित इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की प्रतिबद्धता का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त कार्य पूर्ण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रथम वर्ष में ही पूर्ण वृक्षारोपण किये जाने तथा आगामी 4 वर्षों में वृक्षारोपण (80 प्रतिशत की जीवित दर की) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का पूंजीगत एवं आवर्ती व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत की सहमति, उपलब्ध भूमि के खसरा क्रमांक एवं रकबा का उल्लेख करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अन्दर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं छोड़े जाने एवं इसके संग्रहण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

15. कलस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करारनामा जानकारी प्रस्तुत की जाए।

16. कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

17. कलस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निवेदित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की आगामी बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना की कुल लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना की कुल लागत रूपये 62 लाख है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर-चांपा के ज्ञापन क्रमांक 332/ख.लि./उ.प./2022 जांजगीर, दिनांक 23/01/2023 द्वारा जारी उत्पादन पत्र अनुसार अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2022 तक डोलोमाइट का उत्पादन 640 मीट्रिक टन किया गया है।

3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 18,860 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 8,788 वर्गमीटर) एवं गैर माईनिंग (3,366 वर्गमीटर) क्षेत्र में वैज्ञानिक पुनर्स्थापन के लिए उपयोग किया जाएगा। समिति का मत है कि 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी एवं गैर माईनिंग क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 12,125 वर्गमीटर है तथा ऊपरी मिट्टी कुल मात्रा 18,860 घनमीटर है। अतः अधिकतम 1 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी को वैज्ञानिक पुनर्स्थापन किया जाए। तदानुसार शेष ऊपरी मिट्टी की प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत सेमरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रपत्र अनुसार पौधों के लिए राशि 60,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, गड्ढा निर्माण तथा खाद के लिए राशि 60,000 रुपये, सिंचाई एवं रख–रखाव के लिए राशि 40,000 रुपये इस प्रकार कुल राशि 2,40,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव आदि के लिए कुल राशि 2,32,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रस्तुत ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में माईन साईट से 5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा तथा बिलासपुर–रायगढ़ रोड में 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत पी.सी.यू. प्रतिघंटा में होने वाली वृद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जिससे की विस्तार के उपरांत भी री–क्लासिफिकेशन / डीग्रेडेशन के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक की सीमा है अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में एवं प्रस्तावित परियोजना उपरांत भारी वाहनों / मालवाहक हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार–

Status	PCU / Hr	V/C ratio
Existing	5	0.0025
Proposed	51	0.093

विस्तार के उपरांत भी री–क्लासिफिकेशन / डीग्रेडेशन के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) की सीमा है।

7. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में उक्त संस्थान के सुविधानुसार सारणीबद्ध रूप में हिन्दी (tabular form in hindi) में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. प्रस्तावित खदान खुलने से यहां के पास के गांवों के लिए उपयोगी है वो सुरक्षित नहीं हो पायेगा एवं इससे डस्ट उत्सर्जन होगा और इसका प्रभाव खेतों, कुएँ पर पड़ेगा।

ii. खदान क्षेत्र के आस–पास किसानों का खेत लगा हुआ है, डस्ट उत्सर्जन से फसल नुकसान होगा तथा ब्लास्टिंग से मकान क्षतिग्रस्त होगा, बच्चों एवं बुजुर्गों के शरीर एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

iii. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. प्रस्तावक की पारम्परिक खदानों वाली भूमि खनन हेतु आवंटित की गई है, ग्रामीणों की मांग को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव में चारागाह भूमि विकास कार्यक्रम के लिए 2,82,000 रुपये का बजट प्रावधानित किया है। ग्राम पंचायत के सहयोग से चारागाह भूमि विकास कार्य भी किया जायेगा।

ii. डस्ट उत्सर्जन को रोकने के लिए लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण किया जाएगा, सड़कें पक्की लगाई जाएगी एवं दिन में दो बार छिड़काव का उपयोग किया जाएगा। खनिज का परिवहन

विस्फोटन से प्रकम्पन की उत्पत्ति। ब्लास्टिंग के एक घंटे पूर्व पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी एवं ब्लास्टिंग जोन में चेतावनी की अनुमति होगी। शोर को कम करने के लिए शार्ट डिले विस्फोट का उपयोग किया जाएगा।

ब. विभिन्न बेरोजगारी की समस्या के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।

8. आवेदन में शामिल (कुल 5) खदानों हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् प्रस्तुत जानकारी में केवल प्रस्तावित खदानों के संबंध में ही जानकारी प्रस्तुत किया गया है। अतः कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, साथ ही कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों में परियोजना प्रस्तावक की भागीदारी का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निर्धारित बजट का उपयोग कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के कार्य में ही किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
52	2%	1.04	Following activities at nearby Village-Bhainsa	
			Pavitra Van Nirman	3.51
			Total	3.51

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (करंज, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, जामुन, अमलतास, कदम आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 2,020 नग पौधों के लिए राशि 1,01,150 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, सिंचाई, खाद तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 75,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,51,150 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 60,000 रूपये हेतु आवश्यक व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत भैंसा के सहमति उपरांत शासकीय खसरा (खसरा क्रमांक 1784/1 रकबा 2 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता दर (Survival rate) का 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम Minerals Concession Rules के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसका संधारण किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध अनुसार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

17. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, उपसंचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र से तदानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तुत ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में माईन साईट से 5 पी.सी.यू. प्रतिघंटा तथा बिलासपुर-रायपुर रोड में 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत पी.सी.यू. प्रतिघंटा में होने वाली वृद्धि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए।
3. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध अनुसार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्रीजी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री देवेन्द्र चन्द्राकर), ग्राम–भोथी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (परियोजना का नस्ती क्रमांक 5711)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 215708/2021, दिनांक 18/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288878/2022, दिनांक 12/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भोथी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1033/1, 1036, 1043, 1053/1, 1054/1, 1054/2, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1061, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1063, 1064, 1065, 1066, 1070, 1076, 1077, 1078 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल–4.86 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–30,071.68 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवेन्द्र चन्द्राकर, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सोल्यूशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुनील विश्वकर्मा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत फाईनल ई.आई.ए. आवेदन में खसरा क्रमांक 1066 का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म–1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्संबंध सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म–1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 30/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 452वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म–1 में त्रुटि सुधार करने हेतु

ऑनलाईन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. **मेसर्स मोहभट्ठा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (परियोजना का नस्ती क्रमांक 2064)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नंबर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/275298/2022, दिनांक 26/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित ऑर्डिनरी स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 758, 793, 940, 953/1, 953/2, 954, 958/2, 962, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 938, 976, 977, 986/2, 990 एवं 921, कुल क्षेत्रफल–4.87 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–84,335 टन प्रतिवर्ष है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 27/07/2022 को संपन्न [illegible] बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की [illegible] बैठक दिनांक 28/04/2022 में किये गये अनुशंसा के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन की [illegible] के आधार पर प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त प्रकरण को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की नियमानुसार आयोजित बैठक में नियमानुसार रखे जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 421वीं बैठक दिनांक 24/08/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 19/12/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान, प्रोग्रेसिव माइन क्लोज़र प्लान एवं खदान क्लोज़र प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1304/खनि/ओ.सी.माइन/प्र.यो./2020 बिलासपुर, दिनांक 20/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 801/खनि-03/2020, मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य ओपनकास्ट खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 800/खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 29/10/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, एनीकट एवं अन्य [illegible] आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – पूर्व में एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/515/खनि 02/गौ.ख. 02/2020-21 मुंगेली दिनांक 28/07/2020 द्वारा जारी की गई थी, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1664/खनि 02/गौ.ख. 02/2020-21, मुंगेली दिनांक 27/01/2022 द्वारा जारी की गई, जो 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/07/2022) तक वैध थी। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि समाप्त हो गई है।

7. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु खनिज विभाग में समय आवेदन किया गया है। आवेदन को स्वीकार करते हुए कार्यालय कलेक्टर, जिला-मुंगेली द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु अनुशंसा पत्र क्रमांक 481/खनिज02/गौ.ख.02/2022-23 मुंगेली, दिनांक 20/07/2022 को संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर, जिला-मुंगेली द्वारा आशय पत्र के वैधता वृद्धि सुनिश्चित कर दी गई है। अतः समिति से अनुरोध है कि मेरे प्रकरण में प्रस्तुतिकरण के समय उक्त बताए गए स्पष्टीकरण को मान्य करते हुए मेरे प्रकरण में आशय पत्र की वैधता के संदर्भ में सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की गई है। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 842, 745, 746/1 श्रीमती [illegible] अग्रवाल, खसरा क्रमांक 746/2, 748 श्री [illegible], खसरा क्रमांक 747 श्रीमती [illegible] अग्रवाल, खसरा क्रमांक 758, 940 श्री गोविन्द लाल अग्रवाल, खसरा क्रमांक 853/2 श्रीमती उषा अग्रवाल, खसरा क्रमांक 753, 856/2, 876, 877, 886/2 श्री मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 853/1 श्री मनीष कुमार अग्रवाल एवं अन्य, खसरा क्रमांक 884 श्री मोहन अग्रवाल एवं अन्य, खसरा क्रमांक 830, 831 मेसर्स [illegible] पार्टनर मनीष कुमार अग्रवाल, खसरा क्रमांक 982 मेसर्स [illegible] पार्टनर मोहन लाल अग्रवाल, के नाम पर है। उत्खनन हेतु सहमति पत्र

प्रस्तुत किया गया है। शेष खसरा क्रमांक 752, 754, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, एवं 938 आंशिक के भाग पर है।

9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी मुंगेली, वनमंडल मुंगेली के क्रमांक मा./मानचित्र/898/2021 मुंगेली, दिनांक 13/04/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 31 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 350 मीटर, स्कूल ग्राम-[illegible] 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-[illegible] 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 430 मीटर एवं राजमार्ग 15.50 कि.मी. दूर है। तालाब 320 मीटर, नहर 4.87 कि.मी. एवं नाला 1.4 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.2 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 10,72,776 टन, माईनेबल रिजर्व 9,07,774 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 8,16,996 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 13,927 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,718 घनमीटर है, जिसमें से 4,743 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (सेफ्टी बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 1,975 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर खसरा क्रमांक 938 एवं 937 भाग के भूमि में संग्रहित कर रखा जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	88,860.75	षष्ठम	93,052.5
द्वितीय	90,416.25	सप्तम	93,765
तृतीय	91,021.88	अष्टम	90,816.63
चतुर्थ	91,485	नवम	89,632.5
पंचम	92,268.75	दशम	84,330

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.17 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस प्रकार भू-जल की उपयोगिता हेतु केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 2,?00 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रारंभ अनुमान पौधों के लिए राशि 37,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,25,400 रूपये, खाद के लिए राशि 67,575 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 50,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 25,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,85,0?? रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,42,875 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। इस संबंध में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि खनन के दौरान 30 मीटर की गहराई के बाद सामान्य वाटर टेबल आने पर खनिज विभाग एवं संबंधित विभाग से अनुमति उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जाए। इस संबंध परियोजना प्रस्तावक द्वारा "जल अधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जिला–मुंगेली द्वारा जारी पत्र अनुसार प्रस्तावित लीज क्षेत्र में खुदाई के दौरान 30 मीटर से अधिक गहराई में पानी की उपलब्धता है।" की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

17. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – आवेदित लीज क्षेत्र के कुछ भाग में एवं इसकी आसपास [illegible] भूमि पर कुल चार खदान क्रमशः [illegible] 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 0.886 हेक्टेयर एवं 0.848 हेक्टेयर को [illegible] जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (वर्ष 2017 से वर्ष 2018) जारी की गई थी, जिसके कारण [illegible] आवेदित लीज क्षेत्र में लीज गढ्ढे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अतः आवेदित लीज क्षेत्र में निर्मित गढ्ढों से किसी तरह खनन कार्य का [illegible] में आवेदक (श्री [illegible]) से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर में कुछ भाग लीज प्राप्त होने के पूर्व से ही उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में है। भविष्य में उनके द्वारा उत्खनित क्षेत्र का मिट्टी से पुनर्भराव कर वृक्षारोपण करते हुये फोटोग्राफ सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. [Corporate Environment Responsibility] हेतु समिति के समक्ष [illegible] उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at **Village-Mohbhatta**	
124.5	2%	2.49	Plantation with fencing around TALAB & 5 year AMC	2.748
			Total	**2.748**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम-गोडमरा के शासकीय विद्यालय (खसरा क्रमांक 461/1 एवं 462) के चारों तरफ आम एवं जामुन के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 47 नग पौधों के लिए राशि 9,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 9,400 रूपये, खाद के लिए राशि 1,175 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 30,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 69,975 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,04,800 रूपये हेतु कार्ययोजना व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

19. उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र में अलग संग्रहित एवं संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण हेतु किये जाने संबंध में निरीक्षणकर्ता / अधिकारी को उनके निरीक्षण / भ्रमण के दौरान निरीक्षण कराए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थानों से फ्यूजिटिव धूल उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियंत्रित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नाला, नदी, तालाब, जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राजस्व विभाग द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्संबंध कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एस.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 07/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 23/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 453वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. श्री मोहन लाल अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 818/खनि 02/पट्टा/02/2020-21, दिनांक 28/07/2020 द्वारा जारी की गई थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 76/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 25/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"निरीक्षण के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(6) परन्तुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला मुंगेली को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** लेख किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

4. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, वन मंडलाधिकारी के प्रतिनिधि/अधिकारी एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

5. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक क्रा./खनि-03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/10/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य ऑपरेशनल खदानों की जानकारी निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-मोहभट्ठा) का रकबा 4.97 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स मोहभट्ठा डोलोमाइट माईन्स (प्रो.- श्री मोहन लाल अग्रवाल), ग्राम-मोहभट्ठा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 692, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 758, 760, 940, 953/1, 953/2, 954, 956/2, 962, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 938, 976, 977, 986/2, 936 एवं 931, में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.97 हेक्टेयर, क्षमता — 94,226 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स गेवरा-2 सॉइल माईन्स (प्रो.- श्री मनोज राम चौहान), ग्राम-गेवरा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (प्रतिवेदन का नस्ती क्रमांक 1901)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 227201/2021, दिनांक 07/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित मिट्टी खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-गेवरा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 334/1, कुल क्षेत्रफल — 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शासकीय भूमि से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता — 96,862 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 387वीं बैठक दिनांक 27/01/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **नगर पालिक निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — पेड़ उत्खनन के संबंध में नगर पालिक निगम कोरबा का दिनांक 01/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड** — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड का घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशा.), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 4004/खनि-4/2020 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3980/खनि-01/रेत. नी.(नियम 23)/न.क्र. 03/2021 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 3979/खनि-01/रेत नी.(नियम 23)/न.क्र.03/2021 कोरबा, दिनांक 03/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, जलाशय, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** — एल.ओ.आई. श्री [illegible] के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2179 खनि-01/रेत नी. (नियम 23)/न.क्र.03/2021 कोरबा, दिनांक 24/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला-कोरबा के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/5696 कटघोरा, दिनांक 25/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-[illegible] 2 कि.मी. एवं अस्पताल कोरबा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 कि.मी., राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।

11. **क्रिटिकली प्रदूषित/इकोलोजिकली संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, इकोलोजिकली सेंसेटिव क्षेत्र एवं घोषित बायोडायवर्सिटी क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** — आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई — अधिकतम 326 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर तथा खनन स्थल की लंबाई — अधिकतम 278 मीटर, न्यूनतम 272 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई — अधिकतम 110 मीटर, न्यूनतम 107 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारों से दूरी अधिकतम 50

मीटर, न्यूनतम 25 मीटर है, जबकि इसकी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए।

13. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** — आवेदित अनुसार स्थल पर रेत की गहराई — 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई — 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा — 66,582 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर सर्वेक्षण में उपलब्ध रेत परत की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, सचित्र विवरण के प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.08 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु फोटोग्राफ प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** — रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के चारों तरफ में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 09/06/2021 को रेत सतह के सर्वेक्षण लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें सचित्र विवरण से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। समिति का मत है कि आर.एल. एवं रिकार्ड सहित ग्रिड मेप में सचिव द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के पश्चात उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Gerva ghat & Anganbadi**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC	0.70
			Total	**1.40**

समिति का मत है कि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की स्थापना एवं वास्तविक पेय जलप्रदाय फाईल के माध्यम से पीने बोतल एवं पेय जल हेतु अलग-अलग राशी स्थापित किया जाएगा।

16. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 80 मीटर, न्यूनतम 23 मीटर है। नये जिला मिनरल के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से खनन क्षेत्र की दूरी नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें [illegible] हेक्टेयर नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के आवंटित [illegible] हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

18. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रस्तुत पंचनामा में खनि निरीक्षक के हस्ताक्षरित है, परन्तु खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः समिति का मत है कि उक्त के संबंध में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) दस्तावेज जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर पर उपयुक्त स्थल (शासकीय विद्यालय सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एन.ओ.आई. की विस्तृत पुष्टि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. आर.एल. सर्वे रिपोर्ट सहित डिजिटल रूप में सर्वेयर द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित स्थल पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा में खनि निरीक्षक द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) दस्तावेज जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के स्थान पर सबमर्सिबल पंप लगाकर पाईप के माध्यम से पेयजल सील एवं पेय जल हेतु अलग-अलग टंकी स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर पर उपयुक्त स्थल एवं सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर पर उपयुक्त स्थल पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
7. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 08/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की आगामी बैठक दिनांक 16/03/2022

समिति द्वारा पाया कि, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. श्री [illegible] के नाम पर है, जो [illegible], भौमिकी तथा खनिकर्म, [illegible] के ज्ञापन क्रमांक 4326/खनि 02/[illegible]/[illegible]/1086 [illegible] दिनांक 14/02/2022 द्वारा [illegible] हेतु जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह (अर्थात् दिनांक 23/08/2022) हेतु वैध है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में रेत स्तर के तल (Levels) लेकर [illegible] से प्रमाणित [illegible] (Surveyor) के हस्ताक्षर एवं सील सहित की रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

3. रेत उत्खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पर रेत की वास्तविक गहराई हेतु [illegible] के [illegible] द्वारा प्रमाणित (नाम, सील एवं हस्ताक्षर सहित) जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.18 मीटर है।

4. सी.ई.आर. के तहत् रेत खदान [illegible] के समीप पर [illegible] के माध्यम से [illegible] एवं पेय जल हेतु अलग-अलग [illegible] स्थापित किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस बाबत् प्राथमिक स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, Village- Gena ghat & Anganbadi	
			Running Water Facility for Toilets	0.50
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in School	0.45
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in Anganbadi	0.45
			Total	1.40

5. खदान के नदी तट, पहुंच मार्ग के दोनों ओर एवं [illegible] स्थान में 1,500 नग वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,82,000 रूपये, खाद, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि

1,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 4,00,000 रूपये 5 वर्षों हेतु पर्यावरण एवं सामाजिक दायित्व का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण (plantation) के लिए हुए, पट्टा क्षेत्र के दोनों ओर या पहुंचमार्ग (अथवा) किये जाने हेतु वार्ड क्रमांक-53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में प्लांटेशन की अनुमति की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि नगर निगम आयुक्त की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक से वार्ड क्रमांक-53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किये जाने हेतु नगर निगम आयुक्त/ जोन कमिश्नर की अनुमति प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 428वीं बैठक दिनांक 21/09/2022

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. वार्ड क्रमांक-53 नगर निगम कोरबा के खसरा क्रमांक 12/1, क्षेत्रफल 0.243 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किये जाने हेतु आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा का दिनांक 02/09/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. एल.ओ.आई. की विस्तार वृद्धि हेतु जारी पत्र की वैधता दिनांक 23/08/2022 को समाप्त हो गई है। अतः समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की विस्तार वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की विस्तार वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 31/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ग) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 09/02/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. एल.ओ.आई. की विस्तार वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 60/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 20/01/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7(4) के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला कोरबा को प्रत्यावर्तित किया जाता है।**" होना बताया गया है।

2. समिति का मत है कि डी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (ग्रामपंचायत/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही डी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के हैं। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। उक्त नदी बड़ी नदी है तथा इसके जलग्रहण में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का रकबा 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (ग्राम [illegible] के खसरा क्रमांक 12/1 रकबा 0.242 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 1,500 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,92,000 रूपये, खाद के लिए राशि 12,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 36,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,15,000 रूपये प्रथम वर्ष में एवं आगामी 4 वर्ष कुल राशि 1,44,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) संबंधी सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व मापदंडानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सही मापन कर, उसके आंकड़े सचिवालय एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा नदी लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का माप पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार रेत खदान उत्खनन पश्चात् के पूर्व (नई) खदान के अंतिम सप्ताह/माह के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत खदान के लेवल्स Levels का मापन किया जायेगा।

iv. रेत खदान के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत खदान के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। प्री–मानसून के आंकड़े सितम्बर 2023, 2024, 2025 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़े अक्टूबर 2023, 2024, 2025 तक अभिलेख रूप में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत अनुशंसा की मेसर्स नेवरा–2 सेण्ड माईन (प्रो. – श्री गणेश राम कौशिक), खसरा क्रमांक 884/1, ग्राम–नेवरा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, कुल लीज क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर में से नॉन माईनिंग क्षेत्र 7.5 मीटर बफर क्षेत्र कम करने पर 2.428 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 29,280 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन दिए जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जायेगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 80 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स [illegible] स्टील एण्ड पॉवर, तिल्दा औद्योगिक क्षेत्र, पटवारी हल्का नं. 13, खसरा क्रमांक 6, ग्राम–[illegible], तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2188)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 404417/2022, दिनांक 28/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तिल्दा औद्योगिक क्षेत्र के ग्राम–[illegible], तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित पटवारी हल्का नं. 13, खसरा क्रमांक 6, कुल क्षेत्रफल – 2.428 हेक्टेयर (6 एकड़) में प्रस्तावित रि–रोल्ड प्रोडक्ट, स्ट्रीप एण्ड पाईप थ्रू इन्डक्शन फर्नेस (2 नग x 8 टन प्रतिघंटा) विद कॉन्टीनुअस (हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल) क्षमता – 86,600 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना की कुल लागत 7.84 करोड़ रूपये होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 08/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा स्थल, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **प्रस्तावित स्थल विशेषताओं संबंधी जानकारी –**

   - प्रस्तावित उद्योग ग्राम–सोंडरी 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन बैकुंठ 3.7 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 34 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग से दूरी के संबंध में जानकारी संलग्न करना आवश्यक है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, इकोसेंसिटिव/बायोडायवर्सिटी क्षेत्र एवं घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **भू-स्वामित्व** – भूमि पटवारी हल्का नं. 13, खसरा क्रमांक 8, कुल क्षेत्रफल 11.865 हेक्टेयर (29.32 एकड़) को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा दिनांक 07/10/2022 के माध्यम से मेसर्स एस.आर.एस. स्टील एण्ड पॉवर (पार्टनर श्री विवेक अग्रवाल) के पक्ष में लीज प्रदान की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 06/10/2121 तक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

3. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) से कुल क्षेत्रफल 11.865 हेक्टेयर (29.32 एकड़) भूमि प्राप्त है, जिसमें से प्रस्तावित उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता हेतु कुल क्षेत्रफल – 2.428 हेक्टेयर (6 एकड़) का ही उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

4. **क्षेत्र सुविधा स्टेटमेंट –**

S.No.	Particular	Area in Sq.M	Area (%)
1.	Induction furnace Area	2,670.90	10.99
2.	Rolling Mill Area	2,800.00	11.53
3.	Pipe Mill Area	2,800.00	11.53
4.	Finished Good Area	1,215.00	5.00
5.	Raw material Yard	1,106.00	5.53
6.	Parking Area	971.40	4.00
7.	Road Area	1,160.48	4.78
8.	Greenbelt Area	9,718.00	40.01
9.	Area for future Expansion	1,836.32	7.57
	Total	24,281	100

5. रॉ–मटेरियल :–

S.No.	Raw Material	Total (TPA)	Source
1	Sponge Iron	48,500 TPA	Open market through road
2	Scrap	15,000 TPA	Open market through road
3	Alloys	980 TPA	Open market through road

6. मटेरियल बैलेंस :–

For Induction Furnace	
Input	
Sponge Iron	48,500 TPA
Scrap	15,000 TPA
Alloys	980 TPA
Output	
Billets	59,500 TPA
Slag	2,450 TPA
Burning losses	2,210 TPA
For Rolling Mill	
Input	
Billets	59,500 TPA
Output	
Re-rolled product	59,500 TPA

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – इण्डक्शन फर्नेस से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रैक्शन बैग फिल्टर एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/नॉर्मल घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाती है। परिसर में मॉडल 1 नग 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट एकॉस्टिक इन्क्लोज़र सहित लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी चिमनी की ऊँचाई 12 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था :–

S.No	Item	Qty (TPA)	Disposal
1	Slag	2,250	Sold to Slag processing unit
2	Mill Scale	300	Re-used in the process
3	End cutting	500	Re-used in the process
4	Used Oil	150	Sold to Authorized vendors
5	Kitchen waste	12kg/day	Bio Composting

9. जल प्रबंधन व्यवस्था :–

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 32 घनमीटर प्रतिदिन (कूलिंग सीस्टम हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति इन्फिल्ट्रेशन वेल वॉटर सप्लाई से किया जाना प्रस्तावित है।
- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगा। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जायेगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी,

निकासी व्यवस्था हेतु एसबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। डिस्इन्फेक्शन हेतु अल्ट्रावायलेट का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित जल को फ्लश, वाशिंग एवं वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** — प्रस्तावित स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) पुनः एवं [illegible] उद्योगों को कम से कम 80 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर निकासी हेतु अनापत्ति नई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** — प्रस्तावित परिसर में वर्षा जल का कुल वार्षिक उपलब्धता 14,888.03 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 6 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 2.75 मीटर, चौड़ाई 2.75 मीटर एवं गहराई 2.75 मीटर) क्षमता का निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पर्याप्त क्षमता से पूर्ण स्थल को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें अधिकतम मात्रा में वर्षा जल का संग्रह हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** — प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु 8.5 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 250 के.वी.ए. का डी.जी. सेट एकॉस्टिक एनक्लोजर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

11. **प्रदूषण भार संबंधी जानकारी** — प्रस्तावित इण्डक्शन फर्नेस सहित सी.सी.एम. तथा [illegible] आधारित रोलिंग मिल के संचालन की दशा में प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित चिमनी से पर्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से कुल उत्सर्जन की मात्रा 10,886.4 किलोग्राम प्रतिवर्ष होगी।

12. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** — ग्रीन बेल्ट के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 46.01 प्रतिशत क्षेत्र में कुल 2,450 नग पौधों का वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,70,180 रूपये, खाद के लिए राशि 16,225 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,81,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,48,325 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 8,18,730 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

13. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कि उपयुक्त नहीं है। समिति का मत है कि प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं पंचायत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु पुनः स्पष्ट का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही शासकीय स्कूल में

सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित एवं पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को भी सी.ई.आर. मद में शामिल किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित परियोजना के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है इस आशय शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने के आशय शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा आवश्यक जानकारी के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग से दूरी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम-कोसमी, तहसील-सिमगा, जिला-रायपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र कब अधिसूचित किया गया है? अधिसूचना की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाए।
3. दूरी के-आधार प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित उत्पाद/उत्पादन क्षमता कैसे प्राप्त किया जाना इस संबंध में प्रोसेस फ्लोचार्ट सहित मटेरियल बैलेंस प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के प्रस्ताव में निकट स्थित शासकीय स्कूल एवं पंचायत क्षेत्र में क्रियान्वयन किये जाने हेतु पुनः गणना कर विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सामाजिक सहमति से सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित एवं पर्यावरण संबंधी गतिविधियों को भी सी.ई.आर. मद में शामिल करते हुए संशोधित सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/02/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(4) समिति की बहत्तरी बैठक दिनांक 08/02/2023:

समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग से दूरी के संबंध में के.एम.एल. फाईल में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार स्थल से राष्ट्रीय राजमार्ग की दूरी 2.27 कि.मी. एवं राज्यमार्ग की दूरी 12.5 कि.मी. है।
2. ग्राम-कोसमी, तहसील-सिमगा, जिला-रायपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त भूमि के एवं छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग द्वारा जारी इण्डस्ट्रियल पॉलिसी की प्रति प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि उक्त से यह स्पष्ट नहीं है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उक्त क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया गया है अथवा नहीं। अतः ग्राम-कोसमी, तहसील-सिमगा, जिला-रायपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र को

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वन अधिसूचित किया गया है, के संबंध में अधिसूचना का दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा के-आकार फॉर्म प्रस्तुत किया गया है, किन्तु के.एम.एल. एवं फाईल सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. प्रस्तावित उत्पाद/उत्पादन क्षमता हेतु 8 टन युक्त 2 इण्डक्शन फर्नेस प्रस्तावित है। 2 इण्डक्शन फर्नेस में प्रत्येक फर्नेस 8 हीट एवं 1 इण्डक्शन फर्नेस में 8 हीट लिया जाएगा। इस प्रकार प्रतिदिन 200 मीट्रिक टन बिलेट्स का उत्पादन किया जाएगा, जिसे 300 दिन चालाने जाने पर प्रतिवर्ष 60,000 मीट्रिक टन बिलेट्स का उत्पादन किया जाएगा, जिसे बीलेट्स एवं हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल में भेजा जाकर टी.एम.टी. प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाएगा।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
784	2%	15.68	Following activities at nearby	
			Pavitra Van Nirman in **Village-baroda**	19.043
			Rain Water Harvesting System at Middle School **Village-Konari**	1.60
			Potable Drinking Water Facility with 3 year AMC at Middle School **Village-Konari**	1.20
			Providing Almirah and Environmental Books in Middle School **Village-Konari**	1.25
			Total	**23.093**

6. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (फलदार, छायादार, बड़, पीपल, नीम, आम, जामुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 1,00,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,00,000 रुपये, खाद के लिए राशि 30,000 रुपये, सिंचाई राशि 1,50,000 रुपये, तथा देख-रेख आदि के लिए राशि 1,80,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 8,60,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 10,44,300 रुपये हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत बरौदा के सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थल (खसरा क्रमांक 392/3, क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित राशि के उपयोग बाबत् सरपंच ग्राम पंचायत सोंडरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. ग्राम–सोंडरा, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कब अधिसूचित किया गया है, के संबंध में अधिसूचना का दस्तावेज प्रस्तुत करें।
2. के–आकार प्लान प्रस्तुत किया गया है, किन्तु के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. **मेसर्स सर्वोदय स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रियल एरिया फेस–II, तहसील व जिला–रायपुर (परियोजना का नस्ती क्रमांक 2173)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी/404768/2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलतरा इण्डस्ट्रियल एरिया फेस-II, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. [illegible] एवं [illegible], कुल क्षेत्रफल–4.841 एकड़ में रि–हीटिंग फर्नेस [illegible], स्ट्रीप्स एवं पाईप व ट्यूब्स [illegible] (टोटल क्षमता) क्षमता–58,800 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनिवेश राशि 4.8 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 15/12/2022

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री [illegible], प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**
   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर द्वारा [illegible] स्ट्रीप्स एवं [illegible] पाईप, [illegible] उत्पादन क्षमता–72,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 15/06/2022 को जारी की गई। जो कि दिनांक 31/07/2023 तक वैध है।
2. **सर्वाधिक निकट [illegible] संबंधी जानकारी –**
   - निकटतम आबादी ग्राम–सोंडरा 2.50 कि.मी. एवं शहर रायपुर 13.70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन [illegible] 3.7 कि.मी. की दूरी पर

स्थित है। समीप [illegible] रायपुर 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.65 कि.मी. दूर है। खारून नदी 3 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, घोषित [illegible] क्षेत्र या घोषित [illegible] क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू-स्वामित्व** — यह औद्योगिक भूमि है। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा मेसर्स [illegible] के नाम से [illegible] प्लॉट नं. 130(पार्ट) एवं [illegible](पार्ट), कुल क्षेत्रफल-4.941 एकड़, सिलतरा इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर-II, तहसील व जिला-रायपुर को दिनांक 30/10/2021 को लीज डीड आवंटित की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 23/12/2108 तक है।

4. लैण्ड यूटिलिटी स्टेटमेंट —

S. No.	Particular	Existing Area (m²)	Total Area After Expansion (m²)	Total Area (%)
1	Induction Furnace Area	-	2,155.98	10.90
2	Rolling Mill Area	-	1,588.0	8.02
3	Pipe Mill Area	2,340.0	2,340.0	11.82
4	Galvanizing Area	2,080.0	2,080.0	10.51
5	Finished Good Area	882	882.0	4.5
6	Raw Material Yard	980.25	980.25	5.00
7	Parking Area	500.0	500.0	2.59
8	Road Area	582	582.0	2.96
9	Green Belt Area	5,880	7,941.98	40.01
10	Open Area	6355.75	659.53	3.41
	Total	19,800	19,800	100

5. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी —

S. No.	Particular	Existing Activities	Activities After Expansion
1.	Production	Galvanizing Pipe & Black Pipe, Electric Pole and Transmission Tower- 72,000 TPA	No Change
2.		-	Re-rolled Products through Induction Furnace With CCM (Hot Charge)-39,500 TPA
3.	Working Hours	12	18

6. रॉ-मटेरियल :—

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode of Transport
For Induction Furnace				
1.	Sponge Iron	46,500	Open Market	By Road
2.	Scrap	15,000		
3.	Alloys	880		
For Re-rolled Product				

1.	Billets	59,500	-	-
For MS Pipe				
2.	Strips	59,500	In House	-
3.		12,500	Open Market	By Road

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में गेल्वेनाइजिंग इकाई में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु [illegible] एवं [illegible] एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पी.टी.एफ.ई. बैग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 8.558 कि.ग्रा. प्रतिघंटे है। [illegible] उत्सर्जन नियंत्रण हेतु [illegible] किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S. No.	Waste	Existing Quantity (TPA)	After Proposed Quantity (TPA)	Method of Disposal
1.	Slag	-	2,400	Sold to Slag Processing Unit
2.	Used Oil	100 Lit/year	160 Lit/year	Sold to Authorized Vendors
3.	Kitchen Waste	4.5 kg/day	10 kg/day	Bio Composting
4.	Mill Scale	-	600	Reuse in process
Solid & Hazardous Waste Generation				
1.	Zinc fines or dust		30 MTPA	Sold to Authorised recyclers.
2.	Spent acid & alkali		2 KLPA	After treatment to be used within the premises / to be sold to authorized recyclers.
3.	Chemical sludge from waste water treatment		2 TPA	Co-processing in cement kiln / Dispose in the CTSDF

9. प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (मिल स्केल एवं कटिंग्स) को स्वयं की इकाई में प्रक्रिया में पुनः उपयोग किया जाएगा। इस बाबत् [illegible] द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. [illegible] प्लांट से [illegible] का उपयोग [illegible] के रूप में स्वयं की इकाई के द्वारा पुनः [illegible] किया जाएगा।

11. जल प्रबंधन व्यवस्था –

- **जल स्त्रोत एवं खपत** – वर्तमान में [illegible] हेतु कुल [illegible] घनमीटर जल प्रतिदिन (कूलिंग हेतु [illegible] घनमीटर प्रतिदिन, डाट सेक्शन हेतु [illegible] घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु [illegible] घनमीटर प्रतिदिन, [illegible] हेतु [illegible] घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत कुल [illegible] घनमीटर जल प्रतिदिन (कूलिंग हेतु [illegible] घनमीटर प्रतिदिन, डाट सेक्शन हेतु

4 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 1 घनमीटर प्रतिदिन, ग्रीन बेल्ट हेतु 4 घनमीटर प्रतिदिन एवं डी.जी. के लिए 6 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से किया जाना प्रस्तावित है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल ज़ोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) व्यापारिक जल निकासी हेतु अनापत्ति एवं तकनीकी तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकासी जाने की अनुमति केंद्रीय भूजल प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होगी। कूलिंग उपयोग द्वारा दूषित जल को टंका का पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। वर्तमान में औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु 8 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का ई.टी.पी. (न्यूट्रलाईजेशन सिस्टम) स्थापित है। उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सोक पीट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर तकनीक आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 8 घनमीटर प्रतिदिन की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्त्रावण की स्थिति रखी जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत भी रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 13,132 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) क्षमता का निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज पिट (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) क्षमता का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। इसे रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनसे प्राकृतिक बहाव में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 4 मेगावॉट विद्युत खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 6.6 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। बैकअप व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का 2 नग डी.जी. सेट एकॉस्टिक इनक्लोज़र में स्थापित है। जिसमें 12 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 4,880 वर्गमीटर क्षेत्र में 1,950 नग पौधे रोपित किया गया है।

अस्वीकृत आरक्षित कार्यक्षेत्र के तहत 1.850 हेक्टेयर क्षेत्र में 800 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार परियोजना के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 6.580 हेक्टेयर (33.40 प्रतिशत) क्षेत्र में 1,880 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 800 नग पौधों के लिए राशि 38,700 रूपये, खाद के लिए राशि 24,000 रूपये तथा सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,81,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 2,42,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु तथा 4,76,400 रूपये राशि आगामी चार वर्षों हेतु व्ययभार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सेन्ड स्टोन खदान में वृक्षारोपण के लिए खसरा में 6.580 हेक्टेयर एवं अस्वीकृत कार्यक्षेत्र के तहत 1,061.36 हेक्टेयर क्षेत्र, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 7,641.36 हेक्टेयर (40.71 प्रतिशत) क्षेत्र तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षारोपण संबंधी प्रस्ताव में परिसर के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु खसरा में 4.580 हेक्टेयर एवं अस्वीकृत कार्यक्षेत्र के तहत 1.850 हेक्टेयर क्षेत्र, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 6.580 हेक्टेयर (33.40 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के पश्चात् संशोधित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
450	1%	4.5	Following activities at Nearby Govt. Higher Secondary School <u>Village-Sittara</u>	
			Rain Water Harvesting in nearby School	1.60
			Construction of Toilets for Students	4.05
			Plantation around the boundary in near by pond	6.60
			Total	**12.25**

16. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

17. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के किनारे में वृक्षारोपण हेतु (नीम, पीपल, आम, करंज, कदम एवं जामुन आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 22,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 50,000 रूपये, खाद के लिए राशि

3,000 रूपये, सिंचाई एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,21,200 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,08,200 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 4,54,000 रूपये हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्रामपंचायत के किनारे में कम से कम 250 नग वृक्षारोपण (करंज, आम एवं जामुन) किये जाने हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (80 प्रतिशत जीवित दर के आधार पर) का पर्यावरण व्यय का विवरण विस्तृत प्राक्कलन सहित एवं ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थल (खसरा नं. एवं लोकेशन सहित) हेतु सहमति पत्र ग्राम का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वृक्षारोपण संबंधी प्रस्ताव में परिसर के चारों तरफ हरित पट्टिका के विकास हेतु उपरोक्त सिफारिशों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्रामपंचायत के किनारे में कम से कम 250 नग वृक्षारोपण (करंज, आम एवं जामुन) किये जाने हेतु पौधे, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों (80 प्रतिशत जीवित दर के आधार पर) का पर्यावरण व्यय का विवरण विस्तृत प्राक्कलन सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत वृक्षारोपण स्थल (खसरा नं. एवं लोकेशन सहित) हेतु सहमति पत्र ग्राम का प्रस्तुत किया जाए।
3. परिसर के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता दर (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को नियमानुसार रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 44वीं बैठक दिनांक 15/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 01/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 08/02/2023

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुत [illegible] अनुसार वृक्षारोपण के लिए परिसर में 5,880 वर्गमीटर एवं प्रस्तावित कार्यस्थल के तहत [illegible] वर्गमीटर क्षेत्र, इस प्रकार

कुल क्षेत्रफल 7.641 के अंतर्गत (40.01 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम के विकास में वृक्षारोपण हेतु (पौधे, फेंसिंग, खाद, सिंचाई एवं रखरखाव आदि) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 250 नग पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 75,000 रूपये, खाद के लिए राशि 7,500 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 75,000 रूपये एवं रख–रखाव आदि के लिए राशि 82,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,89,500 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 6,12,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना के अंतर्गत वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता दर (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया फेस–II, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लाट नं. (पार्ट) एवं (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.641 एकड़ में रि–रोलिंग स्टील प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर एवं पाईप्स (टीएमटी बार्स) क्षमता–59,500 टन प्रतिवर्ष की स्थापना करने हेतु **परिशिष्ट–08** में उल्लेखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स बेलटाकला ब्रिक्स अर्थ वर्क खदान (प्रो.–श्री रामलाल साहू), ग्राम–बेलटाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 2116)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81039/ 2022 दिनांक 27/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–बेलटाकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 591/5, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 608/1, 608/2, 612, 614/1, 614/2, 615, 617, 611, 613, 618 एवं 622 कुल क्षेत्रफल–4.47 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–2,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किया जायेगा एवं गिट्टी उत्पादित नहीं की जायेगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्संबंध सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं गिट्टी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 09/02/2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् गिट्टी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

१५. मेसर्स बेलगांवकला [illegible] (प्रो.– श्री [illegible]), ग्राम–बेलगांवकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा (आवेदन का नस्ती क्रमांक २११४)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 400299/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (लघु खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–बेलगांवकला, तहसील–बेरला, जिला–बेमेतरा, स्थित खसरा क्रमांक 614/3, 615, 639/1, 639/2, 640, 641/1, 641/2, 641/3, 644, 678, 695/1, 695/5 एवं 695/11, कुल क्षेत्रफल–2.2 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता – 3,360 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट उत्पादन लगभग 33,50,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की ४३४वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित खदान क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किया जाएगा एवं गिट्टी उत्पादित नहीं की जाएगी। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति से संबंध फॉर्म में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को फॉर्म में त्रुटि सुधार करने एवं गिट्टी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान क्षेत्र में केवल मिट्टी उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् गिट्टी को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त मूलभूत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स सुजाता मिनरल्स (प्रो.– श्रीमती सुजाता [illegible], रामपुर साईन स्टोन क्वारी), ग्राम–रामपुर, तहसील–[illegible], जिला–राजनांदगांव (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2071)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 274703/2022, दिनांक 07/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियां होने से ज्ञापन दिनांक 16/08/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 26/08/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–रामपुर, तहसील–[illegible], जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 78/8, 78/10, 78/11, 79(भाग), 436/2(भाग) एवं 438/8, कुल क्षेत्रफल–1.[illegible] हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–10,000 टन (4,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 28/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ... आवेदक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत रामपुर का दिनांक 10/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान सहित) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (खनि.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 2741/खनि. 02/मा.प.अनुमोदन/न.क्र.05/2018(1) नवा रायपुर, दिनांक 30/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 356/खनि/02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 4 खदानें, कुल रकबा 3.72 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 358/खनि/02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 22/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स गुजरात मिनरल्स प्रो.– श्रीमती गुजराती सार्वजनिक के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर, (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 150/खनि/02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 01/02/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 78/8, 78/10, 79(पार्ट), 438/2(पार्ट) एवं 438/9 की ... राम एवं खसरा क्रमांक 78/11 की ... राम के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2020 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./ग.क्र. 10-1/2022/1800 राजनांदगांव, दिनांक 25/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 13.204 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-रामपुर 450 मीटर एवं स्कूल ग्राम-रामपुर 1 कि.मी. अस्पताल 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 18 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 400 मीटर दूर है। शिवनाथ नदी 25 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खदान का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,81,260 टन, माईनेबल रिजर्व 44,680 टन एवं रिकवरेबल 42,480 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,268 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जावेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
प्रथम	8,000
द्वितीय	8,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	8,000
पंचम	8,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेंट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – खदान के कुछ क्षेत्र संकीर्ण (Narrow area) होने के कारण 2,181 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarised undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचारण के पश्चात् उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Village- Rampur	
			Paudha Van Nirman	2.76
			Total	2.76

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत "सघन वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अमरूद, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 36,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रूपये, तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,20,000 रूपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्षों में कुल राशि 2,76,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् सघन वन हेतु ग्राम पंचायत रामपुर के सहमति उपरांत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 115, रकबा 0.404 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी का लीज क्षेत्र के अंदर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
4. कांटेदार फेंसिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम Minerals Concession Rules के तहत् बाउण्ड्री पिलरों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसका पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 14/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 08/02/2023

समिति द्वारा चाही गई, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का पुनर्उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 57,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,26,500 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,83,750 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु पंचवार्षिक व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
3. गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का पंचवार्षिक व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कानूनी निर्देशों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसकी संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिए जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ऊपरी मिट्टी के रख-रखाव हेतु ऊपरी मिट्टी की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
2. गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही गैर माईनिंग क्षेत्र पर वृक्षारोपण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स बरतरी सेण्ड माईन (रेत) (प्रो.- श्री सुरेन्द्र सिंह), ग्राम-बरतरी, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली (अभिलेखन का नस्ती क्रमांक 2175)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव संख्या- एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40X027/2022, दिनांक 03/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बरतरी, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 290, कुल क्षेत्रफल-1.283 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मशीनरी नहीं से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता-0,768 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 441वीं बैठक दिनांक 16/12/2022 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुरेन्द्र सिंह, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 31/07/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित एवं घोषित है।

4. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खि.प्रशा.), जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्र. 1682/खनि/रेत/उत्खनन प्लान/2022 बिलासपुर, दिनांक 07/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदाने** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 595/खनि-03/2022 मुंगेली, दिनांक 16/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 596/खनि-03/2022 मुंगेली, दिनांक 16/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्मारक एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 01/खनि-03/2022 मुंगेली, दिनांक 11/04/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु वैध थी। समिति का मत है कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-कारीमेटा 300 मीटर, स्कूल ग्राम-[illegible] 1.60 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-लोरमी 17 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 29.30 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.8 कि.मी. दूर है। नाला 10 मीटर, नहर 1.18 कि.मी., पुल 4 कि.मी., बांध 2.80 कि.मी., एनीकट 2.8 कि.मी. एवं तालाब 430 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर तथा खनन स्थल की लम्बाई – अधिकतम 520 मीटर, न्यूनतम 509 मीटर एवं खनन स्थल की चौड़ाई – अधिकतम 22 मीटर,

न्यूनतम 18 मीटर दर्शाई गई है। खदान की दूरी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 13 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर एवं पश्चिमी नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 15 मीटर, न्यूनतम शून्य मीटर है, जबकि दूसरी नदी तट से न्यूनतम दूरी 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होना चाहिए (जो भी अधिक हो)।

12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2.38 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 8,708 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत स्तर की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत गहराई 2.378 मीटर है। पिट की वास्तविक गहराई हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई 3 मीटर से अधिक है। समिति का मत है कि प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवस्थित रेत की मोटाई संबंधी जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत स्तर के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/04/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर, उसे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 45 मीटर, न्यूनतम 24 मीटर है, जबकि खदान नदी तट के किनारे से लगी हुई है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। आवश्यकतानुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर को छोड़ते हुए 2,360 वर्गमीटर क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 1.028 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। तदनुसार का उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.65	2%	0.253	Following activities at nearby, Village-Ghanaghath	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	0.252
			Total	0.252

16. डी.ई.आर. की अंतर्गत तालाब की डिजाइन अनुसार कुल 20 नग गेटों को स्थापित किया जा सकता है, वर्तमान में 6 नग गेट तालाब के किनारे लगे हैं। पुनर्भरण हेतु (नीम, जामुन एवं बरगद) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 10 नग पौधों के लिए राशि 1,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,250 रूपये, खाद के लिए राशि 750 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 16,800 रूपये तथा आगामी वर्ष में कुल राशि 12,750 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पंजीकृत बंधपत्र (स्टाम्प क्रमांक 04, मूल्य 1,000 [illegible]) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तालाब कार्यपद्धति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में बेड रॉक (Bed Rock) के ऊपर अवशिष्ट रेत की मोटाई संबंधी जानकारी स्वप्रमाणित विवरण के उल्लेखित करवाकर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की आगामी बैठक दिनांक 09/02/2023

समिति द्वारा भरपूर प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. एन.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्र. 806/खनि 02/रेत(न.ए.)/न.क्र.38/1996 नवा रायपुर, दिनांक 02/02/2023 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता 6 माह (अर्थात् दिनांक 29/07/2023) की अवधि हेतु वैध है।
2. प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 06/02/2023 अनुसार बेड रॉक (Bed Rock) की गहराई 3 मीटर से 3.6 मीटर तक बताया गया है।
3. समिति का मत है कि डी.ई.आर. एवं पुनर्भरण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन व छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही डी.ई.आर. एवं पुनर्भरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है, अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से कराई जावे।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति चाही है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है। नदी में पानी बहती नहीं है तथा इसकी सम्भावना में वास्तव में 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खनन पट्टा (ग्राम-बावली) का रकबा 1.283 हेक्टेयर है। खनन पट्टे की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित पट्टों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खनन बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – वृक्षारोपण (नदी तट पर पंचायत भूमि पर कुल 280 नग पौधे) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 2,800 रूपये, ट्रीगार्ड के लिए राशि 32,800 रूपये, खाद के लिए राशि 13,000 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रूपये, तथा रख-रखाव के लिए राशि 1,00,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,86,100 रूपये प्रथम वर्ष में एवं द्वितीय वर्ष कुल राशि 1,60,000 रूपये हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खनन क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेंगे, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, पारिस्थितिकी, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवश्यकतानुसार निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें।

   ii. पोस्ट-मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं चिह्न बिन्दुओं में स्वीकृत लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा उभय लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) का मापन किया जायेगा।

   iv. रेत खनन के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के स्तरों (Levels) के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जायेगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक ऑनलाईन रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से मेसर्स बावली सेण्ड माईन्स (प्रो.- श्री सुरेन्द्र सिंह), खसरा क्रमांक 230, ग्राम-बावली, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली, कुल लीज क्षेत्रफल 1.283 हेक्टेयर में से नॉन माइनिंग क्षेत्र 2,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 1.028 हेक्टेयर क्षेत्र के कुल 80 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 8,768 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट-अ1** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जायेगी। नदी तल (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में

किया जाकर खुदाई गड्ढे (Excavation pits) में अधिकतम पाइट तक जल का परिवहन ईंधन ढोलों द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माइनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
7. इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माइनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (उदेपा एवं भटिया बाक्साइट माईन्स), ग्राम–उदेपा एवं भटिया, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2586)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – आई.ए./सीजी/एमआईएन/250201/2022, दिनांक 26/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/405826/2022, दिनांक 11/11/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साइट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–उदेपा एवं भटिया, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा, कुल क्षेत्रफल – 179.595 हेक्टेयर (निजी भूमि – 168.124 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 11.471 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता – 11,00,000 टन प्रतिवर्ष [अधिकतम उत्पादन क्षमता – 8,50,000 टन प्रतिवर्ष (मेटलर्जिकल बॉक्साइट खनिज 4,20,000 टन प्रतिवर्ष, केमिकल खनिज 1,32,500 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 2,97,500 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता – 2,50,000 टन प्रतिवर्ष] है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 12.73 करोड़ होगी।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक No.IA-J-11015/9/2022-IA-II(NCM), दिनांक 11/03/2022 द्वारा स्टेण्डर्ड टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है। तत्पश्चात् भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1886(अ), दिनांक 20/04/2022 के प्रावधानों के तहत कोयला के अलावा अन्य प्रमुख खनिज खनन पट्टे के संबंध में 250 हेक्टेयर से कम के प्रकरण पर विचार राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.)/ राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.) को है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 442वीं बैठक दिनांक 16/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, [illegible] जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में [illegible] लाईम लिमिटेड, [illegible] की ओर से श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा [illegible] प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 08/07/2022 एवं ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 08/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक रायपुर/[illegible]/खनि-1304/2021-रायपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-7/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 30/06/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई है, जो दिनांक 28/02/2023 तक वैध है।
5. **भू-स्वामित्व** – भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – [illegible] वनमंडलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.ची./2313 अम्बिकापुर, दिनांक 13/12/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार निम्न तथ्यों का उल्लेख है–
   i. प्रस्तावित खनिपट्टा क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्यप्राणी शेड्यूल 1 के नहीं है, खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. दूरी पर प्रवासी पक्षियों का [illegible] होता है। समिति का मत है कि 10 किलोमीटर की परिधि में पक्षियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) तथा मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
   ii. प्रस्तावित बाक्साइट खनिपट्टा क्षेत्र से 10 कि.मी. त्रिज्या (कोर एवं बफर जोन) में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, हाथी कॉरिडोर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, प्रवासी पक्षियों का मार्ग एवं अन्य वन प्राणियों के लिए कॉरिडोर आदि स्थित नहीं है।
   iii. प्रस्तावित बाक्साइट खनिपट्टा क्षेत्र राजस्व भूमि और निजी भूमि होने के कारण वन अधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है।
8. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 80 मीटर, शहर [illegible] 6.3 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 68 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.8 कि.मी. दूर है। [illegible] नाला 1.6 कि.मी., [illegible] नदी 3 कि.मी. दूर है।

9. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** — अनुमोदित खनन प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,07,17,590 टन एवं माईनेबल रिजर्व 26,96,750 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 17 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,44,540 टन एवं ओवरबर्डन वेस्ट 4,80,000 टन अनुमानित है। जिसका उपयोग पुनर्भराव एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। खदान की प्रस्तावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	बोल्डर निस्तारण (टन)	वेस्ट निस्तारण (टन)	सब ग्रेड निस्तारण (टन)
प्रथम	1,55,640	55,536	54,474	45,629
द्वितीय	1,96,200	74,962	68,670	52,568
तृतीय	2,37,960	1,00,111	83,286	54,563
चतुर्थ	4,79,160	1,43,490	1,67,706	1,67,962
पंचम	4,77,600	1,98,750	1,67,160	1,10,690

11. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 28 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

12. **वृक्षारोपण कार्य** — प्रस्तावित क्षेत्र के अंदर एकीकृत कृषि भूमि होने के कारण उत्खनन उपरांत भूमि का पुनर्भराव कर भू-स्वामी को पुनः प्रदान की जाएगी, जिसके कारण वृक्षारोपण ग्राम पंचायत के माध्यम से उपलब्ध की गई भूमि में कुल 10,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** —

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** — मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**—

Concentration level ($\mu g/m^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu g/m^3$)	Maximum ($\mu g/m^3$)	CPCB Standard ($\mu g/m^3$)
$PM_{2.5}$	11.2	21.8	60
PM_{10}	38.3	51.1	100

SO_2	5.7	10.9	80
NO_2	8.5	14.4	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता– ई.आई.ए. की Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, सल्फेट्स, आयरन, नाइट्रेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण पेयजल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	39.5	54.6	75
Night L_{eq}	33.3	40.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 133 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.01 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 611 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात कुल 744 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.056 होगी। विश्लेषण के उपरांत भी से–श्रेणियाँ / सेवास्तर के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड क्षमता निर्धारित मानक (zone of free flow) के भीतर है।

14. लोक सुनवाई दिनांक 20/09/2022 प्रातः 11:00 बजे स्थान – शासकीय प्राथमिक शाला के सामने, ग्राम–लखनपुर, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 21/10/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं–**

i. परियोजना के अंतर्गत जिन भू–स्वामियों से उनकी भूमि ली जाती है उन्हें खदान में रोजगार नहीं मिलता है।

ii. खदान के कारण आस–पास के क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा एवं परिवहन मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से धूल उत्सर्जन होगा।

iii. खदान क्षेत्र के आसपास कृषि/रहवासी क्षेत्र को ब्लास्टिंग के दौरान होने वाली नुकसान की रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाये जायेंगे?

iv. ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीएसआर एक्टिविटी संचालन किये जा रहे हैं, लेकिन वहां के ग्रामवासियों को न तो काम दिया जाता है, न सामान दिया जाता है, न सी.सी. रोड/सोलरलाइट से लाभ पहुंचाया जाता है।

v. हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग परेशान है, न तो पानी की व्यवस्था है, न तो रोड की व्यवस्था है, न तो स्वास्थ्य की सुविधा है।

vi. गांव के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रस्तावित प्रतिबद्धता/कमिटमेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. इस परियोजना के अंतर्गत भू-स्वामियों से उनकी भूमि का समस्त मुआवजा दे कर केवल 7 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया जायेगा। प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को उनकी योग्यतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

ii. खदान के चारों तरफ वृक्षारोपण किया जायेगा। साथ ही सम्पूर्ण प्रभावित एवं खनिज परिवहन मार्ग के दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण एवं नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा।

iii. डी.जी.एम.एस. के नियमानुसार कन्ट्रोल ब्लास्टिंग एवं वेट ड्रिलिंग किया जायेगा, ताकि फसलों एवं कृषि योग्य भूमि को क्षति न हो।

iv. सीएसआईडीसी की प्रस्तावित उरला-बरौंडा लाइमस्टोन खदान में सीएसआईडीसी द्वारा प्रत्येक प्रभावित परिवार से 1 सदस्य को योग्यतानुसार रोजगार दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही उनका नाम भी एस.डी. रजिस्टर में प्राथमिकता के आधार पर जुड़वाया जायेगा।

v. ग्राम उरला-बरौंडा एवं आस-पास के अन्य ग्रामों के ग्रामीण विकास में सहयोग एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया जायेगा। पेय जल उपलब्ध कराने हेतु गांव की आवश्यकतानुसार नलकूपों का खनन किया जायेगा। सड़कों का रख-रखाव एवं प्रतिष्ठानों का निर्माण आदि सुविधाएं ग्राम पंचायत के सहयोग से आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जायेगा।

vi. निर्माण कार्यकलापों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

17. **इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष में टैंकर के माध्यम से जल छिड़काव हेतु 25 लाख, गारलैण्ड निर्माण हेतु 3 लाख, सिल्टेशन पाण्ड हेतु 2 लाख, [illegible] हेतु 1.5 लाख, पानी टैंकर हेतु 1 लाख, मॉनिटरिंग हेतु 2 लाख, [illegible] हेतु 1 लाख, [illegible] हेतु 1 लाख, श्रमिकों के हेल्थ चेकअप सर्विलेंस, ट्रेनिंग, जागरूकता आदि हेतु 1 लाख, श्रमिकों के सुरक्षा उपकरण हेतु 0.22 लाख एवं अन्य हेतु 2 लाख रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल 52.72 लाख रूपये एवं आगामी वर्षों में रूपये 20 लाख प्रतिवर्ष व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत 25.6 लाख रूपये का ईको पार्क निर्माण हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्षा जल के बहाव को रोकने हेतु गारलैण्ड ड्रेन एवं धूल सिल्टेशन को रोकने के लिए

निर्धारित सीमा की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाईडलाईन्स के अनुसार समय समय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना किया जाएगा।

20. खदान की आयु तक 133.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्खनन कार्य किया जाएगा एवं शेष 40.126 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण एवं खनिज उपलब्धता नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य नहीं की जाएगी।

21. प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 133.47 हेक्टेयर में से 105.47 हेक्टेयर क्षेत्रफल का पुनर्भरण किया जाएगा, 28 हेक्टेयर क्षेत्रफल का उपयोग सम्बंधित वाटर एवं 3 हेक्टेयर को प्राकृतिक रिजेनरेशन के रूप में उपयोग किया जाएगा।

22. "सी.एम.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र से प्रभावित होने वाले खसरा क्षेत्र के प्रत्येक भू-स्वामी/खातेदारों को रूपये 72,400 प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 22 वर्षों की अवधि के लिये क्षतिपूर्ति स्वरूप मुआवजा का भुगतान किया जायेगा। उक्त 22 वर्ष की अवधि संबंधित भूमि में खनन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रारंभ हो कर आगामी 22 वर्ष की अवधि की समाप्ति तक माना जायेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

23. "भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस खदान के लिए अनुमोदित माईनिंग प्लान/माईनिंग स्कीम के अनुसार ही सी.एम.डी.सी. द्वारा भूमि स्वामियों की भूमि को खनन के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न चरणों में लिया जाएगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

24. "समस्त खातेदारों द्वारा खनन संचालन हेतु पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान किया जायेगा एवं भविष्य में खनन कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जायेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

25. "इस सहमति के आधार पर भू-अर्जन अधिकारी द्वारा खान क्षेत्र तथा उसके प्रभावित भूमि स्वामियों के भूमि के लिए क्षतिपूर्ति मुआवजा निर्धारण आदेश जारी किया जायेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

26. "सी.एम.डी.सी. द्वारा खातेदारों को मुआवजा का भुगतान भू-अर्जन अधिकारी के माध्यम से ही किया जायेगा।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

27. "सी.एम.डी.सी. के खनन क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों/ भू-स्वामियों को कार्य में प्राथमिकता होगी। समस्त खातेदारों को उनकी भूमि उत्खनन पश्चात् समतलीकरण करके वापस की जावेगी।" इस आशय का सहमति पत्र (Notarized Agreement) प्रस्तुत किया गया है।

28. "सी.एम.डी.सी. द्वारा निजी भूमि से भू-स्वामी को बाक्साईट खनिज का उत्खनन एवं परिवहन करने के पश्चात् समतलीकरण कर समयावधि में वापस किया जाना है उपरोक्त भूमि के स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी पर वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य होता है परन्तु निजी भू-स्वामियों द्वारा निजी भूमि पर वृक्षारोपण का विरोध किया जाता है क्योंकि उनकी खसरा उपयोग खेती किया जाना होता है।" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. "सी.एम.डी.सी. को स्वीकृत क्षेत्र में निजी भूमि के बाबत (7.5 मीटर की सीमित पट्टी) अन्य क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों/शासन/अन्य अधिकृत प्रतिनिधियों के बताया गया एवं क्षेत्रों में पुनर्वास किये जाने हेतु सी.एम.डी.सी. वचनबद्ध है।" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. "CMDC undertakes that the contents of EIA/EMP are true and correct to best of my knowledge and belief, that nothing has been concealed" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. "This is new project, therefore Hon'ble Supreme court of India' judgment dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and ors. Shall not be applicable to this project." शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

32. "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

33. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) form PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही खनिपट्टा हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र की प्रति (यदि आवश्यक हो तो) प्रस्तुत किया जाए।
2. 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत होने वाले निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/02/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(4) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 09/02/2023:

समिति द्वारा पी.पी. प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. भूमि संबंधी दस्तावेज सहमतिपत्र सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area

before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है।

2. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) form PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त इसकी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) तथा मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. जेरेनाईट खनिज उत्खनन के संबंध में प्रस्तावित मात्रा, खनन अवधि, जेरेनाईट उत्खनन योजना आदि संबंधित जानकारी/दस्तावेज/ अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक [illegible]/[illegible]/2023 के माध्यम से कार्यालय, जिला-[illegible] को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु जिला [illegible] के क्षेत्र में 2 से 5 हेक्टेयर तक की शासकीय भूमि आबंटित किये जाने हेतु मांग किया गया है।

ईको पार्क निर्माण किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) अनुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है। ईको पार्क हेतु प्रस्तुत डी.पी.आर. (Detailed Project Report) निम्नानुसार है:-

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,160	1	80	2,52,800
4	Butterfly Garden	3,098	1	80	2,47,840
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	880 Mtr (Running 4m Size)	6,032	78 per Kg	4,70,496
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,780	1	50	3,39,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	6	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
	Total				**50,91,551**

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम–[illegible] एवं बरिमा) का रकबा 179.595 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. वन प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यजीव) से अनुमोदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की समिति अनुशंसा की जाती है।

3. लेटेराइट खनिज उत्खनन के संबंध में उपयोगिता मात्रा, उत्खनन क्षमता, लेटेराइट प्रबंधन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की समिति अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ([illegible] एवं बरिमा बाक्साइट माइन्स) को ग्राम–[illegible] एवं बरिमा, तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा में स्थित बॉक्साइट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–179.595 हेक्टेयर (निजी भूमि–168.124 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि–11.471 हेक्टेयर), कुल उत्खनन क्षमता – 11,00,000 टन प्रतिवर्ष (अधिकतम उत्खनन क्षमता – 8,50,000 टन प्रतिवर्ष [मेटलर्जिकल बॉक्साइट खनिज 4,00,000 टन प्रतिवर्ष, केमिकल खनिज 1,52,000 टन प्रतिवर्ष, लेटराइट खनिज 2,98,000 टन प्रतिवर्ष] एवं ओवर बर्डन क्षमता – 2,50,000 टन प्रतिवर्ष) हेतु **परिशिष्ट–87** में वर्णित शर्तों के अधीन खदान पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स कार्तिक प्रोजेक्ट लिमिटेड (धौरभाटा लाईम स्टोन क्वारी, डॉयरेक्टर– श्री धुव कुमार अग्रवाल), ग्राम–धौरभाटा, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (वर्तमान में जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़) (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2186)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नंबर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 296266/ 2022, दिनांक 08/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/10/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धौरभाटा, तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (वर्तमान में जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़) स्थित खसरा क्रमांक – 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/2, कुल क्षेत्रफल–1.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–61,500 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 05/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 43वीं बैठक दिनांक 07/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा पत्रावली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 12/09/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – [illegible] प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–रायगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1457/खलि–2/2022 रायगढ़, दिनांक 16/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1543 खनि/खलि/2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1543 खनि/खलि/2022 रायगढ़, दिनांक 03/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल, पुल, नदी, रेल्वे लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट/बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। 120 मीटर की दूरी पर नाला स्थित है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स [illegible] प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, डायरेक्टर–श्री [illegible] कुमार अग्रवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1180/खलि–2/2022 रायगढ़, दिनांक 04/07/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/8, 140/10 एवं 140/3 की भूमि आवेदक, मेसर्स [illegible] प्रोजेक्ट्स लिमिटेड रायगढ़ के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, रायगढ़ वनमंडल, जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./1890/2019 रायगढ़, दिनांक 11/04/2019 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.88 कि.मी. एवं गोमर्डा अभयारण्य से 12.8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-[illegible] 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम-[illegible] 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राजमार्ग 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। [illegible] 8 कि.मी. एवं नाला 120 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है। निकटतम [illegible] [illegible] 10.8 कि.मी. की दूरी पर है।

12. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 12,85,000 टन, माईनेबल रिजर्व 4,03,040 टन एवं मिनिएबल रिजर्व 3,02,880 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,800 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की अनुमानित आयु 7 वर्ष से अधिक है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। लीज क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जायेगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	60,000
द्वितीय	60,000
तृतीय	60,300
चतुर्थ	60,750
पंचम	61,500

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जावेगी। इस बाबत् केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउन्ड्री में (1,000 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (मय प्रतिस्थापन पौधा) दर हेतु राशि	70,000	7,000	7,000	7,000	7,000
	फेंसिंग हेतु राशि	1,74,800	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	10,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	सिंचाई एवं रख-	1,86,000	1,86,000	1,86,000	1,86,000	1,86,000

	रखरखाव हेतु राशि					
कुल राशि = 10,86,000		4,40,000	1,64,000	1,64,000	1,64,000	1,64,000

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. गैर माईनिंग क्षेत्र — लीज क्षेत्र के कुल हेक्टेयर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर कुछ क्षेत्रों में 8 मीटर से बाद उत्खनन किया जाना संभव नहीं है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,900 घनमीटर है, जिसमें से 8,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में पौधारोपण वृक्षारोपण के लिए एवं लगभग 4,800 घनमीटर को लीज क्षेत्र के भीतर प्रथम वर्ष में जिस क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाना प्रस्तावित है उस क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी को संग्रहित रखा जाकर उत्खनित क्षेत्र में पुनर्भरण हेतु उपयोग किया जाएगा तथा शेष 2,400 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर उत्तर-पूर्वी भाग के 1,200 वर्गमीटर क्षेत्र में संग्रहित किया जायेगा।

18. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचारण के पश्चात् निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.76	Following activities at Govt Primary School Village-Dhaurabhatha	
			Running Water in the toilet	0.40
			Plantation in school	0.73
			Total	1.13

19. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (कोसम, जामुन, करंजन, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत अनुमान अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 1,200 रुपये, फेंसिंग हेतु राशि 8,000 रुपये, खाद के लिए राशि 200 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 15,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 24,400 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,560 रुपये हेतु वास्तविक व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

20. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य हेतु स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:-

1. नोटरी प्रमाणित किये जाने वाला शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 31/01/2023 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 07/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(4) समिति की 4[illegible]वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

समिति द्वारा चाही गई, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

8. समिति का मत है कि डी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (खदानधारक/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही डी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1942 खलि./खनि/2022 रायगढ़, दिनांक 03/11/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का रकबा 1.62 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स [illegible] प्रोजेक्ट लिमिटेड ([illegible] लाईम स्टोन खदान, डायरेक्टर- श्री [illegible] कुमार अग्रवाल), ग्राम-[illegible], तहसील-[illegible], जिला-रायगढ़ ([illegible] में जिला-रायगढ़-छत्तीसगढ़) के खसरा क्रमांक 142/8, 152/4, 140/1, 142/11, 150, 141/3, 140/6, 140/12 एवं 140/2, में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.62 हेक्टेयर, क्षमता – 21,900 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-08** में उल्लेखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 783)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नंबर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 25179/ 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नंबर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 25179/ 2018, दिनांक 08/02/2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, कुल रकबा 121.40 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.528 हेक्टेयर में स्वयं की क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल निवेश रुपये 1450 लाख प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 13/04/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (जन सुनवाई सहित) क्षमता–0.72 मिलियन टन/वर्ष हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (प्रमाण फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमांक दिनांक 08/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 38[illegible]वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, जनरल मैनेजर एवं मेसर्स [illegible] प्राइवेट लिमिटेड की ओर से [illegible] के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – उद्योग में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 18/02/2018 द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की जानकारी निम्नानुसार है–

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Sponge Iron	2,70,000 Tonnes per Annum (Two Lakh Seventy Thousand Tonnes per Annum)
2.	Steel Division	3,31,500 Tonnes per Annum (Three Lakh Thirty one Thousand Five Hundred Tonnes per Annum)
3.	Rolling Mill (3+one additional)	3,84,000 Tonnes per Annum (Three Lakh Eighty Four Thousand Tonnes per Annum)
4.	Waste Heat Recovery Based Power Plant	25 MW (Twenty Five Megawatt)
5.	Coal Based Power Plant	2x30 MW (Two into Thirty Megawatt)
6.	Ferro Alloys Plant	29,400 Tonnes per Annum (Twenty Nine Thousand Four Hundred Tonnes per Annum)
7.	Coal Gasifier Plant	5x8,000 Nm^3 / hr (Five into Eight Thousand Nm^3 / hr)
8.	Oxygen / Nitrogen Gas Plant (One No.)	170 Nm^3 / hr (One Hundred Seventy Nm^3 / hr)

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–भाठा 8 कि.मी. एवं शहर रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन मंढर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारून नदी 0.88 कि.मी. एवं कोल्हान नाला 1.03 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.80 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 26/08/2006 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **ओनरशिप स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 2.124 हेक्टेयर है, जिसमें से खसरा क्रमांक 18/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 28/1 के अंतर्गत 0.252 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/2 के अंतर्गत 0.836 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 28/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड के नाम पर है।

5. **कोल–लिंकेज** – कोल–लिंक 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष से ... कोल – 0.54 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा कोल लिंकेज – 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। कोल–लिंक एस.ई.सी.एल. / ओपन मार्केट के माध्यमों से आपूर्ति किया जाना है। खदान से सीधे तक कोल का परिवहन ढका एवं ... वाहनों के द्वारा हुई

एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। कच्चा कोल का उपयोग खाद के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** — कोल वाशरी इकाई, क्रेशर एवं स्क्रीन हाउस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्वेयर बेल्ट्स को पूर्ण ढककर बैग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर चिमनी से छोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही वाटर स्प्रिंकलिंग / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्वेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

7. **ठोस अपशिष्ट की मात्रा** — रिजेक्ट कोल 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रिजेक्ट्स का उपयोग खाद के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जायेगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था** —

- **जल स्रोत एवं स्वीकृत मात्रा की जानकारी** — कोल वाशरी में प्रोसेस हेतु लगभग 72 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं डस्ट सप्रेशन उपयोग हेतु 18 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। इस प्रकार कुल 92 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में जल की आपूर्ति महानदी से की जाती है, इस हेतु 4,800 घनमीटर प्रतिदिन जल दोहन हेतु अनुमति जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया गया है। यही व्यवस्था कोल वाशरी की अपनाई जायेगी। वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** — उद्योग द्वारा जेड डिस्चार्ज पर आधारित (क्लोज्ड सर्किट वॉटर सिस्टम व्यवस्था) कोल वाशरी स्थापित किया गया है। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जायेगा। कोल स्लरी के रिसर्कुलेशन हेतु व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल को आवश्यकतानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.6 घनमीटर/दिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्त्राव की स्थिति रखी जायेगी।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** — परियोजना स्थल केंद्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) कृषक एवं स्थल उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) भूजल स्तर निगरानी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** — प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 60 मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – प्रतिवेदित ग्रीनबेल्ट प्लांट परिसर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 700 से 800 नग वृक्षारोपण किया गया था। प्रति हेक्टेयर के मान से लगभग 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण:-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – बेसलाइन डाटा 15 मार्च 2019 से 15 जून 2019 के मध्य लिया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. बेसलाइन परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 11 से 39.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 112.8 माइक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.$_2$ 8 से 23.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर तथा एन.ओ.$_x$ 10 से 28.1 माइक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुरूप है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 51.6 डेसीबल से 73.0 डेसीबल एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.3 डेसीबल से 61.4 डेसीबल पाया गया। जो उद्योग क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

12. लोक सुनवाई दिनांक 26/11/2020 प्रातः 11:00 बजे स्थान सी.एस.आई.डी.सी. भवन, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-2, ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई उपरांत कार्यवाही सहित, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 08/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-**

i. चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण आच्छादित हो रहा है। साथ ही काले धुएं के कारण तालाब का पानी भी प्रदूषित होता है।

ii. प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iii. जनसुनवाई स्थल जाने की सूचना हेतु ग्राम पंचायतों में मुनादी नहीं कराये जाने के कारण जनता अपनी समस्या रख नहीं पाए।

जनसुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. कोल आधारित इकाईयां, रोटरी किल्न एवं सबमर्ज आर्क फर्नेस में उच्च दक्षता इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उच्च चिमनियों की व्यवस्था की जाएगी। ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की परिधि में आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है।

ङ. निर्धारित मापदण्डों को पालन के आधार पर स्थापित उद्योगों को आवश्यकतानुसार विस्तार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

च. जनसुनवाई के संदर्भ में जानकारी दी गई थी एवं संबंधित समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी गई थी।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु 57.116 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) की गणना की गई है। उक्त गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं होना बताया गया है, जबकि यह उल्लंघन का प्रकरण है। अतः इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समयबद्ध विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त चर्चानुसार से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उद्योग के स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा युटिलिटीज को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

3. सामान्य जल निकासी व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

4. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार आवश्यक कम लागतीय रेमेडिएशन प्लान तथा नेचुरल एवं कम्युनिटी आग्युमेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

5. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

6. स्पष्ट निर्धारण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 383वीं बैठक दिनांक 04/05/2021 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ख) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 01/06/2021

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. उद्योग के स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कम से कम 10-15 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. सामान्य वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का समस्त सहित विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. स्थल निरीक्षण के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. कोल वॉशरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु प्रोजेक्ट में लगभग 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होना बताया गया है। जल की मात्रा वॉशरी की क्षमता के संदर्भ में कम प्रतीत हो रही है। गणना सहित विस्तृत वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी अप्राप्त है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

2. सामान्य वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का समस्त सहित विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

3. Environmental Compensation हेतु की गई गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अवलम्ब का संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. कोल वॉशरी क्षमता-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वॉटर बैलेंस चार्ट प्रस्तुत किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरान्त सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं प्रस्ताव सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतिकरण हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई-मेल दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 372वीं बैठक दिनांक 18/08/2021।

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री दीपक कुमार, प्रबंध संचालक एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स ग्रीनसर्कल इंक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्री उपस्थित हुए तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही गई प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. क्रेशर मशीनरी एवं इन्स्टॉलेशन सहित प्लान्ट के विभिन्न इकाईयों तथा इंस्टालेशन को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रक्षेत्र परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,10,368 घनमीटर है। परिसर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) एवं 4 नग रिचार्ज (पिट्स) क्षमता 4,94,302 घनमीटर स्थापित है। प्रस्तावित कार्ययोजना हेतु अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिचार्जपिट से परिसर के पूरे रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनकी समतल सतह से वर्षा जल का बहाव हो सके।

3. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना**–

   i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशियो-इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का समावेश करते हुए क्षेत्रिय प्रभाव एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 34,23,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,38,000 (कुल–रुपये 61,89,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,38,000 (कुल–रुपये 27,48,000/–) को आस–पास के गांवों में सोलर लाइट की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, हैण्ड पम्प के निर्माण, स्कूल भवनों में इंफ्रास्ट्रक्चर, शौचालय के निर्माण, हेल्थ चेकअप किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में स्थापित विन्ड–ब्रेक का फोटोग्राफ्स सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5. आरा मशीनरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना वॉटर बैलेंस चार्ट सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना हेतु कुल 288 घनमीटर प्रतिदिन जिसमें से मेकअप वॉटर हेतु 80

पर्यावरण प्रशिक्षण (ओरोग हेतु 12 पर्यावरण अतिरिक्त, अवधि संयोजन एवं पुनर्गठन हेतु 14 पर्यावरण अतिरिक्त, परिसर उपयोग हेतु 2 पर्यावरण अतिरिक्त) एवं [illegible] होगा। [illegible]

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के पश्चात [illegible] निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	1%	14.5	Following activities at 12 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility	5.00
			Plantation	1.65
			Total	**20.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-[illegible], ग्राम-[illegible], ग्राम-[illegible], ग्राम-[illegible] एवं नवीन प्राथमिक शाला [illegible], शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], [illegible] माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], ग्राम-[illegible] में किये जाएंगे। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. की गणना 2 प्रतिशत की दर से कर कुल राशि 29,00,000/- का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव में तालाब के गहरीकरण का प्रावधान शामिल किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

i. Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट किया जाए। इससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाए।

ii. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में [illegible] व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं [illegible] किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

iii. सी.ई.आर. राशि की लगभग 2 प्रतिशत के दर से कर कुल राशि रूपये 28,00,000/- का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

iv. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपालन में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

v. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18/08/2021 एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/प्रस्ताव दिनांक 12/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ii) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा पाया गया, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. मेसर्स Chatla Chlorides Pvt. Ltd., District Solapur, Maharashtra एवं मेसर्स Sree Kartikeya Kameshwari Industries द्वारा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र को प्रस्तुत Remediation, Community and Resource Augmentation Plan अनुसार गणना की गई है। जिसके अनुसार Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, सोशियो-इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स का समावेश करते हुए क्षतिपूर्ति प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रूपये 24,15,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 23,15,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रूपये 4,38,000 (कुल-रूपये 51,68,000/-) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Environmental Compensation की गणना हेतु (1) कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत पानी की उपयोग कार्य किया गया, (2) संचालन प्रारंभ उपरान्त किसानी भूमि के लिए क्या-क्या संरक्षित किया गया, (3) कोल वॉशरी के विरुद्ध निर्णय की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की गई है अथवा नहीं? आदि की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से मंगाया जाना आवश्यक है, जिसके आधार पर Environmental Compensation की गणना की पुष्टि की जाकर Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर समुचित निर्णय लिया जा सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
1400	2%	28	Following activities at 10 Nearby Government Schools and Deepening of Pond	

			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility for Toilets	6.00
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	8.00
			Total	**29.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बरीहा; (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बरीहा; (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–बरीहा; (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–बरीहा; (5) डॉ. [illegible] उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–[illegible]; (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–सिरगिट्टा; (7) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–[illegible]; (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–[illegible]; (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–[illegible] में किया जाएगा। (10) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–बरीहा, ग्राम–सिरगिट्टा, ग्राम–[illegible] एवं ग्राम–[illegible] को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण किया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्यों के अनुमानित खर्चे आवंटित बताया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त मदों को शामिल करते हुये सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से निम्न जानकारी ली जाए:–
   1. क्या कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत पूर्व की उत्पादन कार्य किया गया है?
   2. कोल वॉशरी को कब–कब किसकी आदि के लिए संचालित किया गया?
   3. कोल वॉशरी का संचालन बन्द करने के लिए क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं? साथ ही क्या कोल वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल / विद्युत विभाग द्वारा की गई है?
   4. कोल वॉशरी वर्तमान में संचालित है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जाए। साथ ही वर्तमान में विद्युत विच्छेदित है अथवा नहीं? बताया जाए।
2. उपरोक्त निर्णय अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त मदों को शामिल करते हुये इसकी उपयुक्त समय का विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज सहित एवं Environmental Compensation की गणनानुसार समस्त उपरोक्त Remediation, Community and Resource Augmentation Plan पर प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी बैठक में ऑनलाइन उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 388वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/09/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ई) समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक, लिमिटेड वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा पूर्व प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित की गई है जिससे निम्न जानकारी प्राप्त हुई है:-

   i. उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय द्वारा पूर्व में स्थापित प्लांट परिसर में कोल वॉशरी-0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु स्थापना सम्मति दिनांक 02/08/2007 को जारी की गई थी। इस संबंध में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 08/12/2009 को किया गया था, तत्समय उद्योग द्वारा कोल वॉशरी 200 टी.पी.एच. का निर्माण का प्रारंभिक कार्य आरंभ किया गया था।

   ii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2878 दिनांक 28/10/2010 के द्वारा उद्योग को निर्देशित किया गया कि आपके द्वारा 200 टी.पी.एच. क्षमता की कोल वॉशरी स्थापित की गई है। इस कोल वॉशरी के लिये अभी तक पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त नहीं हुई है। नियमानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं संचालन सम्मति प्राप्त किये बिना कोल वॉशरी संचालित नहीं की जा सकती है। निरीक्षण पर उद्योग की इस कोल वॉशरी इकाई में विद्युत कनेक्शन पाया गया है। अतः कोल वॉशरी के चालू करने की संभावना को समाप्त करने के लिये कोल वॉशरी इकाई का विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को विच्छेदन कर सूचित करें।

   iii. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन क्रमांक 2878 दिनांक 28/10/2010 के पालनार्थ कार्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 480 दिनांक 24/12/2010 के अनुसार कोल वॉशरी प्लांट के लिए स्थापित मेन एल.टी. केबल को दिनांक 08/12/2010 को सील करने तथा तत्समय विद्युत [illegible] द्वारा स्थल पर जाकर मय पंचनामा की प्रति प्रस्तुत की गई है।

   iv. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा दिनांक 14/09/2021 को किये गये निरीक्षण के दौरान कोल वॉशरी बंद पाई गई तथा कोल वॉशरी के इलेक्ट्रिकल पैनल्स सील पाये गये।

उल्लेखनीय है कि उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक 14/09/2021 के माध्यम से बताया गया कि कोल वॉशरी के स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। कोल वॉशरी हेतु स्थापना सम्मति

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय के पत्र क्रमांक 3236, दिनांक 02/08/2007 जारी किया गया था व उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2576, दिनांक 26/10/2010 के माध्यम से विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का विच्छेदन करने का निर्देश दिया गया था जिसके बाद उद्योग द्वारा स्वतः ही विद्युत आपूर्ति विच्छेदन कर दिया गया था। विद्युत विभाग द्वारा दिनांक 08/12/2010 को क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 2576 दिनांक 26/10/2010 के निर्देशानुसार उद्योग में स्थापित कोल वॉशरी का निरीक्षण कर उद्योग बंद किया है पाया व संयुक्त रूप से प्रमाणित सील किया। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार व विद्युत विभाग की कार्यवाही विद्युत विच्छेदन के बाद से अब तक कोल वॉशरी पूर्णतः बंद है व अब उद्योग आश्वस्त करता है, पर्यावरणीय स्वीकृति व स्थापना सम्मति मिलने तक कोल वॉशरी में कोई उत्पादन नहीं किया जाएगा।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त मदों को शामिल करते हुए निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 14 Nearby Government Schools, 01 Govt. Hospital and Deepening of 04 villagers Pond	
			Rain Water Harvesting System	13.5
			Potable Drinking Water Facility	2.56
			Running Water Facility for Toilets	2.5
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	29.21

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-[illegible], (2) शासकीय प्राथमिक शाला केन्द्र ग्राम-[illegible], (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], (5) [illegible] उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], (7) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम-[illegible], (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-[illegible], (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-[illegible], (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-[illegible] (11) शासकीय प्राथमिक शाला [illegible] (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम-[illegible] (13) शासकीय प्राथमिक माध्यमिक शाला

ग्राम–भुरेटी (१४) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धनगीया शाला (१५) शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–धनगीया में किया जाएगा। (१६) सड़क के मरम्मतीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–बरौदा, ग्राम–सिलतरा, ग्राम–धनसुली एवं ग्राम–धनगीया को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Ecological Damage, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इम्पेक्ट्स, सोशियो–इकोनॉमिक इम्पेक्ट्स का आकलन करते हुए रेमेडिएशन प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 26,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 27,90,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 8,60,000 (कुल–रुपये 62,75,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्लान के तहत परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत भवन, आंगन बाड़ी में शौचालय पानी की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, स्कूल भवनों में वृक्षारोपण, जागरूकता कार्यक्रम, हेल्थ कैम्प आदि किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

4. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली के पत्र क्रमांक B-12016/63/2019-AS/469 dated April 10, 2019 के "Record notes of discussion in the 8th conference of Chairman and Member Secretaries of Pollution Control Boards / Committees held on March 18, 2019" के अनुसार Environmental Compensation हेतु निर्धारित फार्मूला EC=PIxNxRxSxLF (EC - Environmental compensation in Rs, PI - Pollution Index of Industrial Sector, N - Number of days of violation took place, R - a Factor in Rs. For EC, S - Factor for scale of operation LF - Location Factor) अथवा न्यूनतम 5,000 रुपये प्रति दिन का आंकलन किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में समिति द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु 5,000 रुपये प्रति दिन के आधार पर स्थापना सम्मति दिनांक 02/06/2007 एवं एन.जी. टेक्स सीम दिनांक 06/12/2010 से मध्य की अवधि को संज्ञान में लेते हुए कुल उल्लंघन दिवस 1,254 मान्य किया गया। जिसके अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 62,70,000/– रुपये (5000 X 1254) होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा Ecological Damage, Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan हेतु राशि 62,75,000/– रुपये की गणना कर प्रस्तुत की गई है। उक्त के संदर्भ में समिति अनुशंसा करती है कि सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ के माध्यम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज नाली निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का व्यय किया जाए। इस प्रयोजन हेतु उक्त राशि की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ड्रेनेज नाली निर्माण, परिवेशीय वायु गुणवत्ता सुधार हेतु सघन वृक्षारोपण, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण का सौंदर्यीकरण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव निर्माण हेतु राशि 62,75,000/– रुपये का विस्तृत प्रस्ताव सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ से प्राप्त कर 02 माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 18/1, 28/1, 28/2 एवं 28/1, में स्थित

कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ढुंकी पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/- रूपये का विस्तृत प्रस्ताव 02 माह में प्रस्तुत करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/- रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा करने की पुष्टि उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में निर्णय – प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2021 को संपन्न 114वीं बैठक में विचार किया गया था। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन उपरांत समिति की उपरोक्त की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/- रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि उक्त बैंक गारंटी की वैधता निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक होगी। बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से होने के पश्चात् पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने बाबत् विचार हेतु प्रस्तुत किया जाए।

तदनुसार एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 28/09/2021 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/10/2021 एवं 16/11/2021 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में निर्णय – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 30/12/2021 को संपन्न 117वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन कर नोट किया गया:-

1. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड की ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 35/1, 23/1, 24/2 एवं 28/1 में स्थित कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम से सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में ढुंकी पार्क निर्माण हेतु राशि 62,75,000/- रूपये का विस्तृत प्रस्ताव आज दिनांक तक अप्राप्त है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए निर्धारित राशि 62,75,000/- रूपये की बैंक गारंटी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर में जमा किया जाना बताया गया है। उक्त बैंक गारंटी प्राप्त होने की पुष्टि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 16/11/2021 द्वारा किया गया है, जिसकी वैधता दिनांक 31/03/2023 तक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा "कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.029 हेक्टेयर" में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के स्थान पर "**कुल एरिया 77.19 हेक्टेयर (190.74 एकड़) में से 2.029 हेक्टेयर**" में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारियों एवं समिति द्वारा किये गये पत्राचारों एवं जारी टी.ओ.आर. के

कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.xx हेक्टेयर का उपयोग किया जाना पाया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्कालय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. परियोजना प्रस्तावक से सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम के इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण, परियोजना वायु गुणवत्ता सुधार हेतु डस्ट कलेक्टर, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण का सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरणीय प्रभाव निवारण के लिए उक्त गतिविधियों की स्थापना हेतु राशि 62,75,000/- रुपये का विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत कराया जाए।

उपरोक्त तथ्यों तथा प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वॉशरी के संचालन संबंधी तथ्यों तथा सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम से इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण, परियोजना वायु गुणवत्ता सुधार हेतु डस्ट कलेक्टर, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण का सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरणीय प्रभाव निवारण के लिए उक्त गतिविधियों की स्थापना हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्ताव प्राप्त कर परीक्षण उपरांत उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण द्वारा तत्कालय कार्यवाही में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था।

(द) समिति की 2xxवीं बैठक दिनांक 14/02/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदित प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा जो तथ्यों का संज्ञान में लिया जाकर परियोजना प्रस्तावक से जानकारियां चाही गई थी, उसके संबंध में प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज अपूर्ण है। भूमि संबंधी अभिलेख पूर्ण नहीं है एवं भूमि संबंधी दस्तावेजों का पुनः परीक्षण आवश्यक है। कोल वॉशरी की स्थापना सम्मति कब स्वीकृत हुई, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट प्राप्त किया जाना आवश्यक है। संचालन सम्मति के पश्चात् कितना मीट्रिक टन कोयले कब से कब तक धौत किया गया एवं उससे कितना उत्पादन हुआ? इस दौरान पर्यावरण की कितनी क्षति हुई विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। विद्युत विच्छेदन कब किया गया? वर्तमान में कोल वॉशरी संचालित है अथवा नहीं? कोल वॉशरी को बंद करने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा क्या कार्यवाही की गई।

समिति द्वारा तत्कालय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. उपरोक्तानुसार जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. पर्यावरणीय क्षति का नये सिरे से मूल्यांकन कर प्रस्तुत किया जाए।
3. प्लांट के कुल क्षेत्रफल में से कोल वॉशरी के संचालन संबंधी तथ्यों तथा सी.एस.आई.डी.सी. छत्तीसगढ़ अथवा छत्तीसगढ़ राज्य विकास निगम से इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण, परियोजना वायु गुणवत्ता सुधार हेतु डस्ट कलेक्टर, सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण का सौंदर्यीकरण एवं पर्यावरणीय प्रभाव निवारण के लिए उक्त गतिविधियों की स्थापना हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना के कुल विनियोग का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस-शीट प्रस्तुत किया जाए।

6. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 414वीं बैठक दिनांक 30/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. सुरेश, उपाध्यक्ष मेसर्स [illegible] एवं श्री [illegible] कुमार, [illegible] मेसर्स [illegible] लिमिटेड की ओर से [illegible] की उपस्थित, [illegible] पर्यावरण [illegible] (1)। समिति द्वारा [illegible] प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. डैम्पो यार्ड निर्माण हेतु सी.एस.आई.डी.सी. से प्राप्त भूमि खसरा क्रमांक 517/1, 518/1, 518/2, 519, 520/1, 520/2, 524/1, 531/1, 532/1, 532/2 एवं 532/3 में स्थापना प्रस्तावित, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लि., [illegible] परियोजना मण्डल, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/[illegible]/[illegible]/2022/[illegible] रायपुर, दिनांक 25/11/2022 के अनुसार डैम्पो यार्ड निर्माण हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

वर्ष एवं कार्य	राशि
फेंसिंग व्यय	5,36,608
प्रथम वर्ष (क्षेत्र सफाई, कंटूरिंग कार्य, गड्ढा खुदाई, मिट्टी क्रय, [illegible] व्यय, खाद क्रय, सिंचाई, सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	29,72,630
द्वितीय वर्ष (मृत पौधा प्रतिस्थापन कार्य, [illegible] व्यय, खाद क्रय, सिंचाई, निंदाई कार्य, सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	10,48,873
तृतीय वर्ष (निंदाई कार्य, सिंचाई, सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	9,27,129
चतुर्थ वर्ष (सुरक्षा रख-रखाव, आदि)	4,50,405
चौकीदार हट का निर्माण	25,289
[illegible] निर्माण कार्य, [illegible]	3,09,375
कुल	62,75,000

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत ले-आउट प्लान में वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण प्रस्तावित [illegible] बताया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में आवंटित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से केवल [illegible] का क्षेत्र 2.526 हेक्टेयर है। समिति द्वारा उक्त के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी दस्तावेज में ग्राम-[illegible] एवं ग्राम-[illegible] का भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक

द्वारा केवल ग्राम पंचायत सिरसवल का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत कि ग्राम पंचायत भुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. समिति द्वारा पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूल में अतिरिक्त ईको लाइब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. विस्तारित औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई सहित वृक्षारोपण हेतु सर्वेक्षण में लिये गए वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का नक्शा, संख्या, रोपण क्षेत्रफल एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि कुल भूमि 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से लीज होल्ड का क्षेत्र 2.326 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

4. ग्राम पंचायत भुरेठी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत् कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसके रख–रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाइब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2011–12 तक की अवधि का परियोजना प्रस्तावक द्वारा कम्पनी का ऑडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की जावे जिससे कि कम्पनी का प्रस्तावित अवधि में टर्नओवर की जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार आंकलन निर्धारित किया जा सके।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/08/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ए) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 21/09/2022

समिति द्वारा भलीभांति प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. विस्तारित औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई सहित वृक्षारोपण हेतु सर्वेक्षण में लिये गए वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार विस्तारित औद्योगिक क्रियाकलाप के पृथक–पृथक इकाई परिसर के भीतर कुल भूमि 190.76 एकड़ में स्थित है। वर्ष 2020 में कराये गये सर्वे रिपोर्ट के अनुसार उद्योग परिसर के

वर्तमान कुल क्षेत्रफल के 64.64 एकड़ क्षेत्र में (लगभग 33 प्रतिशत) वृक्षारोपण किया जा चुका है तथा वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक 3 वर्षों में लगभग 8 एकड़ भूमि में (6 एकड़ स्टील प्लांट एवं 2 एकड़ में गैप फिलिंग) कुल लगभग 10,000 नग वृक्षारोपण का कार्य कराया जा चुका है, जिसके अनुसार कुल भूमि 140.76 एकड़ में से 72.64 एकड़ (37.16 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा आगामी मानसून वर्ष 2023-24 तक (40 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

2. पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का नाम, संख्या, लोकेशन क्षेत्रफल एवं फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार:-

Tree Sapling Location	Number of Plants
2020-21 to 2021-22	
Gate No. 4 & 5 gap filling	800
Near Gate No. 4 garden site	1,000
Gap filling in Plant premises	3,000
Near fly ash site no. 5 & 6 plant boundary site	500
Road side gap filling between Gate No. 1 to coal yard & Gate No. 4 & 5 road side (work in under progress)	1,000
Near rolling mill 4 dispatch yard	250
out side the premises of Maha-abhiyan Program	1,000
2022-23	
Near Gate No. 5	1,200
Near SMS cooling tower plant garden	800

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल सीमित 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (140.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.826 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि भूमि अंतर्गत कम्पनी की स्वामित्व ग्राम-सिलतरा की अधिग्रहित भूमि में किया जाना है। इस कारण ग्राम पंचायत सिलतरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। इस संबंध में समिति का मत है कि यह परियोजना ग्राम-भुरसी के अंतर्गत भी आता है। अतः ग्राम पंचायत भुरसी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. उद्योग द्वारा पूर्व में सी.ई.आर. के अंतर्गत 28 लाख रूपये व्यय किये जाने का प्रस्ताव दिया गया था। परन्तु प्रस्तुतिकरण के दौरान कम से कम 3 वर्षों तक एक-समान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके लिए उद्योग द्वारा 3 लाख रूपये अतिरिक्त व्यय करने का निर्णय लिया है। साथ ही स्कूलों में अतिरिक्त डेस्क लाइब्रेरी निर्माण हेतु एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए बच्चों में जागरूकता हेतु अतिरिक्त 1 लाख रूपये व्यय किया जायेगा। इस प्रकार सी.ई.आर. के अंतर्गत कुल 33 लाख रूपये व्यय किया जायेगा। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	2%	29	Following activities at 14 Government Hospitals School & 1 Village Pond	
			Rain Water Harvesting	15.525
			Potable Drinking Water Facility	2.944
			Running Water Facility for Toilets	2.875
			Plantation with fencing	1.897
			Total	**23.241**
			Development of Environmental Library	**4.152**
			Grand Total	**27.393**

सी.ई.आर. के अन्तर्गत कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने का लेख किया गया है, जबकि वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत सी.ई.आर. के प्रस्ताव में 27.393 लाख रूपये का ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत कार्यों एवं 5 वर्षों तक उनके रख-रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त इको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ङ. वित्तीय वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 तक की अवधि हेतु कम्पनी का आडिटेड बैलेंस शीट रिपोर्ट (Annual Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

च. समिति द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कुल आवेदन में वर्णित क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य [illegible] इस क्षेत्र में खनन योग्य नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

i. कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से [illegible] का क्षेत्र 2.528 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र (**Notarized undertaking**) प्रस्तुत किया जाए।

ii. ग्राम पंचायत भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

iii. सी.ई.आर. के तहत कुल 33 लाख रूपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव सी.ई.आर. प्रस्तुत किया जाए। साथ ही पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के तहत कार्यों एवं 5 वर्षों तक उनके रख-रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त इको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अथवा पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/02/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ई) समिति की 462वीं बैठक दिनांक 08/03/2023:

समिति द्वारा पाया गया कि प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन की श्रेणी के अंतर्गत ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.526 हेक्टेयर में कोल वाशरी क्षमता 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 44.21 हेक्टेयर (109.24 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग नहीं है। केवल 77.19 हेक्टेयर (190.76 एकड़) क्षेत्र इस परियोजना का भाग है, जिसमें से कोल वॉशरी का क्षेत्र 2.526 हेक्टेयर के संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि कुल एरिया 121.4 हेक्टेयर (300 एकड़) परियोजना क्षेत्र का खसरावार विवरण को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ii. ग्राम पंचायत सुंदरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कोलवाशरी की प्रस्तावित ग्राम-सिलतरा में अधिग्रहित भूमि खसरा क्रमांक 30/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1 कुल रकबा 2.526 हेक्टेयर में होनी है जो की ग्राम पंचायत सिलतरा के अंतर्गत आता है, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्तुत किया गया है। अतः ग्राम पंचायत सुंदरी के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

iii. सी.ई.आर. के तहत कुल 33 लाख रुपये व्यय किये जाने हेतु संशोधित प्रस्ताव सी.ई.आर. प्रस्तुत किया गया है। साथ ही पूर्व में किये गये सी.ई.आर. के समस्त कार्यों एवं 5 वर्षों तक उसकी रख-रखाव हेतु तथा स्कूलों में अतिरिक्त ईको लाईब्रेरी निर्माण करने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

iv. कोल वॉशरी की प्रस्तावित अधिग्रहित भूमि पर है। अतः प्लांट एवं मशीनरी का कुल विनियोग 14.5 करोड़ रुपये है। वर्तमान स्थिति के अनुसार परियोजना के कुल विनियोग 14.5 करोड़ रुपये का घटकवार ब्रेक-अप प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	सम्पत्ति	कीमत (करोड़)
1.	भूमि	शून्य
2.	प्लांट एवं मशीनरी	9.5
3.	भवन एवं संरचनाएं	2.4
4.	Misc. fixed assets	2.6
कुल		14.5

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों के लिए अर्थदण्ड की गणना हेतु निम्नानुसार प्रावधान है:—

  Penalty provisions for violation cases and applications:

  Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

  उक्त के संदर्भ में लेख है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17/02/2021 को किये गये ऑनलाईन आवेदन में परियोजना की कुल लागत 14.50 करोड़ उल्लेखित है।

- पूर्व में समिति की 390वीं बैठक दिनांक 14/09/2021 में स्थापना सम्मति दिनांक 02/06/2007 एवं एन.ओ.सी. (सी.ई.) बोर्ड दिनांक 06/12/2010 के मध्य की अवधि को उल्लंघन में लेते हुए कुल उल्लंघन दिवस 1,264 मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 आता है।

  साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेखित टर्न ओवर निम्नानुसार है:—

क्र.	वर्ष	टर्न ओवर (रूपये लाख में)
1.	2007-08	1,02,398.23
2.	2008-09	96,815.42
3.	2009-10	96,288.63
4.	2010-11	97,632.13
कुल टर्न ओवर (उल्लंघन अवधि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2010-11)		3,93,136.21

- उक्त अधिसूचना के अनुसार कुल लागत 14.50 करोड़ का 1 प्रतिशत लिये जाने पर 14.50 लाख रूपये तथा कुल टर्न ओवर 3,93,136.21 लाख रूपये का 0.25 प्रतिशत लिये जाने पर 982.84 लाख रूपये होता है।

- इस प्रकार कुल अर्थदण्ड = 14.50 लाख रूपये + 982.84 लाख रूपये = 997.34 लाख रूपये होता है।

  माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 606/2018, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार "updated action plans be got prepared and executed by the Chief Secretaries of all States/UTs. The recovered compensation may be credited to a separate account under the Chief Secretary and used as per said plans only. This will apply to compensation deposited with the State PCBs/PCCs and also other regulators such as SEIAAs, Water Resource Authorities etc."

समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड राशि रूपये = 997.34 लाख रूपये का भुगतान लिया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त राशि को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना आवश्यक है। ताकि आदेशानुसार उक्त राशि को मुख्य सचिव के खाता में जमा कराया जा सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कुल रकबा 12.14 हेक्टेयर (30 एकड़) परियोजना क्षेत्र का खसरावार विवरण को के-आकार पत्रक में समिति द्वारा केएमएल फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त में दिये गये विवरण अनुसार कार्पोरेट सामाजिक दायित्व = 997.24 लाख रुपये का प्लान तैयार किया जाए। साथ ही उक्त अनुमोदित प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से जमा कराया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात आगामी कार्यवाही की जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(डॉ. [illegible])
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. सोनकर)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–एक

मेसर्स रामनगर क्लिन ब्रोक्स अवसी माईन एण्ड मिनरल मिट्टी खनिज खदान (प्रो.– श्री मनोज कुमार जायसवाल) को खसरा क्रमांक 1259/2 एवं 1259/3, ग्राम–रामनगर, तहसील व जिला–सूरजपुर, कुल लीज क्षेत्र 0.8 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (ईंट मिट्टी) क्षमता – 848.75 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 4,51,544 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित मिट्टी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 0.8 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (ईंट मिट्टी) क्षमता – 848.75 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 4,51,544 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगवाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी निर्मित संरचना से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की सीमा सुनिश्चित किया जाए। निजी मिल्कियत से भूमि लगकर उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 24/06/2013 एवं जारी अधिसूचना दिनांक 22/02/2022 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड-लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर से ऊपर अथवा जलस्तर प्रभाव में भी जानकारी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का उचित प्रबंधन कर न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)
8. ईंट उत्पादन हेतु स्थापित मिट्टी जिग-जैग सिस्टम आधारित ईंट भट्ठे की स्थापना 2 वर्ष के भीतर किया जाए। यदि जिग-जैग सिस्टम की स्थापना नहीं किये जाने की दशा में पर्यावरणीय स्वीकृति अमान्य होगी। जिग-जैग सिस्टम का डिजाईन, दिशानिर्देश

एवं प्लान फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

9. ईंट भट्ठे की चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। कच्चे मार्ग, पिट, उत्खनन क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जित बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाए।

10. ईंट भट्ठे में केवल स्वीकृत आधुनिक फ्यूल, कोयला, ईंधन लकड़ी और/या कृषि का उपयोग किया जाए। पेट कोक/टायरों/प्लास्टिक/खतरनाक अपशिष्टों का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाए।

11. खदानों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों (जो भी लागू हों) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

12. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई ऐश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्ठे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू-भरण एवं रोड के अनुरक्षण हेतु उपयोग किया जाए।

13. फ्लाई ऐश को उड़ने से बचाने के लिए समय-समय पर पानी का छिड़काव किया जाये। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये की फ्लाई ऐश उत्सर्जन आस-पास के क्षेत्रों में वैकल्पिक पर्यावरण को प्रदूषित न करे, जिससे कि आस-पास के रहवासियों पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

14. उत्खनन के दौरान खोदी गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डेन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

15. ओवरबर्डेन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें एवं खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभराव (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का पुनः उपयोग अथवा अधिक वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित ढ़ेर की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डेन ढ़ेर का कटाव रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट खनन क्षेत्र के आस-पास के रहवासी जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, खनन क्षेत्र, ईंट भट्ठा क्षेत्र के निर्धारित सीमा /परिधीय ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

17. मिट्टी, फ्लाई ऐश एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढकी हुई वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। वाहनों का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

18. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		
			Particulars		CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17	2%	0.34	Following activities at Nearby Govt. Primary School, **Village-Adhapara-Ramnagar**		
			Drinking water arrangement with filter & its AMC		
			UV water filter		0.218
			AMC		
			Running Water Arrangement in Toilet		
			Water tank		0.150
			Pipeline & Installation		
			Total		**0.368**

19. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. की उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्णता प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाविष्ट करते हुए प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। उल्लंघन अवगत होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

20. सी.ई.आर. कार्य एवं 1 मीटर की ग्रीन पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं सत्यापन हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपोनेन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं 1 मीटर की ग्रीन पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किए जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निर्धारित क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी पट्टी), ग्रीन बेल्ट, ओवरबर्डन तथा आदि में स्थानीय प्रजाति के पौधों/वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन्स के अनुसार किया जाए।

23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023–24 में कम से कम 200 नग पौधे ग्रीन बेल्ट के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीता आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण 3 पंक्तियों में खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार से बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

24. रोपित किये जाने वाले पौधों में नामांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर समस्त वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

28. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

29. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

30. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।

31. कार्य स्थल पर यदि बाहरी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

32. श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर समुचित पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

33. श्रमिकों का समय-समय पर व्यावसायिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक है।

34. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों/नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें विस्तृत उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वीकृति में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा परित्याग/निरस्त्र की कार्यवाही करने और स्पष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

37. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम दो स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

39. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन समय नहीं पाए जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कहीं भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुन: नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत

निर्णय ले सकें। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उत्पादन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–02

मेसर्स अमुनाही सैण्ड माईन्स (ई–2) (प्रो.– श्री सुखेन्द्र सिंह) को खसरा क्रमांक 82/1, कुल क्षेत्रफल–3.7 हेक्टेयर में से 3.56 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में, ग्राम–अमुनाही, तहसील–ओड़गी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) में [illegible] नदी से रेत उत्खनन क्षमता 34,018 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** — परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, भौतिक, रसायनिक जलवायवीय, जैव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.0 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 3.56 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 34,018 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व तकनीकीआधार निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं स्थिर बिन्दुओं से स्वीकृत लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खदान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर किया जावेगा। इसी प्रकार रेत खदान उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं स्थिर बिन्दुओं पर रेत सतह के तत्पश्चात Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित स्थिर बिन्दुओं पर रेत सतह के तत्पश्चात Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

6. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए किसी उत्खनन यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हांकित, सीमांकित एवं स्वीकृत क्षेत्र से ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा सर्वेक्षण जल स्तर की ऊपरी सतह,

दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (उसके नीचे) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का कटाव न हो। किसी भी पुलिया, क्रासड्रेन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से उत्खनन के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन से प्रवाह नदी जल का बेड, टोपोग्राफी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। जन्तुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न उपकरणों तथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढंके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में नदीतट के कटाव की रोकथाम हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, नीबू, आम, इमली, सीसम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 750 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

16. रोपित किये जाने वाले पौधों में क्रमांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at nearby Village-Ghanaghath	
18.95	2%	0.379	Plantation with fencing in periphery of village pond area	0.40
			Total	0.40

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्ययोजना 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण पश्चात संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब की क्षेत्रफल अनुसार कुल 25 नग पौधों का रोपण किया जा सकता है, जबकि वर्तमान में 5 नग पौधे तालाब के किनारे पर हैं। वृक्षारोपण हेतु (आम, जामुन एवं करंज) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 2,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,000 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 16,500 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 22,500 रूपये तथा आगामी वर्षों में कुल राशि 17,500 रूपये हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा चयनित तालाब (खसरा क्रमांक 44, क्षेत्रफल 1.960 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

22. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय कमेटी (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया

जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/स्टाफ के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अधिकारी दल से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य संपन्न नहीं करने जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

25. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, एजेन्सी एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

26. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/1/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

27. कार्य स्थल पर यदि श्रमिक अस्थाई रूप से लगाये जाते हैं तो उन श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल एवं सीवरेज, अथवा खाद्य सामग्री के रैपर, प्लास्टिक आदि का निस्तारण प्रतिबंधित रहेगा।

29. श्रमिकों का समय-समय पर आक्युपेशनल हेल्थ परीक्षण कराया जावे।

30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विनियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

32. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्खनन / निष्पादन के कार्यों को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ अभिलेखार्थ, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विशेषज्ञों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाए जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पूर्ण नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्धारित करने बाबत निर्णय ले सके। प्रस्ताव में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

परिशिष्ट–83

मेसर्स मोहभट्ठा डोलोमाइट स्टोन खदान (प्रो.– श्री मोहन लाल अग्रवाल) की खसरा क्रमांक 682, 745, 746/1, 746/2, 747, 752, 753, 754, 758, 760, 940, 953/1, 953/2, 954, 958/2, 960, 932/1, 932/2, 932/3, 937/1, 937/2, 936, 976, 977, 986/2, 936 एवं 931, कुल लीज क्षेत्र 4.97 हेक्टेयर, ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली में डोलोमाइट (गौण खनिज) उत्खनन कुल क्षमता 94,335 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.97 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाइट का अधिकतम उत्खनन कुल क्षमता 94,335 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगवाए जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खदान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापन इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह चारा, वन्यजीवन, जीवों आदि के उपयोग हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माइन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट स्रोतों से परिस्थितिक वेष्टन उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, खदान, ट्रांसफर

फ्यूजिटिव (यदि कोई हो) से वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, हैण्ड लोडिंग, लदाई एवं अन्य डस्ट उत्पादित बिन्दुओं तथा ट्रांसफर प्वाइंट पर जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। नियत ड्रिलिंग सेल का नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

9. खदानों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में उत्सर्जित वायु की गुणवत्ता मापन स्थलों के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का ढेर / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / मिट्टी अथवा खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थान पर भण्डारित किया जावेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढेर की ऊंचाई 3 मीटर तथा ढलान 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / मिट्टी अथवा खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के प्राकृतिक जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गारलैण्ड ड्रेन तथा खनन क्षेत्र में सिल्टेशन पॉन्ड / चेकडैम की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन मैकेनिकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन वाहन की भार क्षमता से अधिक नहीं करना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
124.5	2%	2.49	Following activities of Village-Mohbhatta	
			Plantation with fencing around TALAB & 5 year AMC	2.748
			Total	2.748

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही छः माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों तरफ उपयुक्त वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 47 नग पौधों के लिए राशि 4,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 8,400 रूपये, खाद के लिए राशि 1,175 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 69,975 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 2,04,825 रूपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोपोनेन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्ठा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 2,703 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 104 नग पौधों का रोपण (कुल 3,848 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं समुचित व्यवस्था (जैसा कांटेदार तार की बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुए जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी छःमाही प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुए मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अक्षांशीय विवरण से समर्थित करते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनित करने एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्थानों में यथोचित प्रकाश उपलब्ध होगा, उन स्थानों पर निर्धारित प्रकाश विन्यास की व्यवस्था किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति प्राप्त विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग संचालित किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे धूल का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतृप्त क्षेत्र में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुरूप किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि लोकल/बाहरी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर समस्त मेडिकल चिकित्सकीय सुविधा, पेयजल, टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ परीक्षण कराना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं उत्पादित सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विनियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता में परिवर्तन अथवा निर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा प्रत्याहरण / निरस्तीकरण की कार्यवाही को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की छः माही रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आंकड़ों का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विशेषज्ञों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन सतत नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी अविलंब सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्धारित करने बाबत् निर्णय ले सके। वर्तमान में कोई भी परिवर्तन अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समयावधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स मेरवा–2 सेण्ड माईन्स (प्रो.– श्री रामेश्वर राम चौहान) की खसरा क्रमांक 894/1, कुल क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में से 2.929 हेक्टेयर के कुल 88 प्रतिशत क्षेत्रफल में, ग्राम–मेरवा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) में हसदो नदी से रेत उत्खनन क्षमता 29,290 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद आकलन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद आकलन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद आकलन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, जिसका 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5.0 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 2.929 हेक्टेयर के कुल 88 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्पादन 29,290 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपलेखानुसार निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े सचिवालय एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खदान लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के तत्समय Levels का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के तत्समय Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े जून 2023, 2024, 2025 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

6. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उत्खनन यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। नदी बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल निर्धारित, सीमांकित एवं स्वीकृत क्षेत्र से ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.0 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह,

दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 1 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, बराज/बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य सरकारी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 200 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टोपोग्राफी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। जन्तुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रकार्यों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु जैव क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, नींबू, आम, इमली, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 800 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

16. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित छःमाही अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
68.27	2%	1.36	Following activities at Nearby Government Primary School, **Village- Gerva ghat & Anganbadi**	
			Running Water Facility for Toilets	0.50
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in School	0.45
			Potable Drinking Water Facility with 3 Year AMC in Anganbadi	0.45
			Total	**1.40**

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्ययोजना 06 माह में अधिकतम [illegible] को पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल की प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की उपयोगिता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

21. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपोनेन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

22. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु खदान पर आयें, तब उन्हें खदान/प्लांट/क्रशर के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य कराया नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

24. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, संस्थाओं एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

25. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 1/1/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

26. खदान स्थल पर यदि प्रवासी श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खदान स्थल पर समस्त प्राथमिक चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अपशिष्ट खाद्य सामग्री व रैपर, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

28. श्रमिकों का समय-समय पर व्यावसायिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जावे।

29. उत्खनन की तकनीक, खदान क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उपरोक्त / निरस्तता के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसकी

अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की छः मासिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, कोरबा, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।

34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हस्तालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पुनः विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्धारित करने बाबत् निर्णय लें सकें। परियोजना में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–कलेक्टर एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF INDUCTION FURNACE WITH HOT CHARGING ROLLING MILL (RE-ROLLED STEEL PRODUCTS, STRIPS & PIPE) OF CAPACITY - 59,500 TONNES / YEAR OF M/S SARVOTTAM STRIPS PRIVATE LIMITED

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

iv. Induction furnace shall be operated electrically only.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31[st] March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay, otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by

the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit :-

Particulate Matter in Induction Furnace	30 mg/Nm³ (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in cooling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 05 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of

Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Furnace slag shall be used as sub base material in road construction/ will be given to brick manufacturer/cement units. End cutting shall be used recycled back as raw material in own induction Furnaces. Mill Scales and filter dust shall be reused in own induction Furnaces. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vi. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40.01% (0.784 Ha) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
450	1%	4.5	Following activities at Nearby Govt. Higher Secondary School **Village-Sitara**	
			Rain Water Harvesting in nearby School	1.00
			Construction of Toilets for Students	4.00
			Plantation around the boundary in near by pond	6.00
			Total	**11.26**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry

of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Additional Conditions

i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorisation of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the

Ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall be with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

परिशिष्ट–अ

मेसर्स बरारी सैण्ड माईन (रेत) (प्रो.– श्री सुरेन्द्र सिंह) को खसरा क्रमांक 298, कुल क्षेत्रफल–1.263 हेक्टेयर में से 1.028 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में, ग्राम–बरारी, तहसील–लोरमी, जिला–मुंगेली (छ.ग.) में मनियारी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 9,768 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 03 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

2. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** — परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, सहायक उपनदियों, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।

3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, जिसमें 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 4.9 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

4. उत्खनन क्षेत्र 1.028 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्पादन 9,768 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

5. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व जानकारीनुसार निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह की ऊंचाई (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़े तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जावें। पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह) में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह की ऊंचाई (Levels) का सर्वे पुनः निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार रेत खनन पश्चात् मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्हीं चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels का मापन किया जाएगा। रेत खदान के पूर्व निर्धारित चिन्ह बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स Levels के मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक नियमित किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2023, 2024, 2025 एवं प्री–मानसून के आंकड़े जनवरी 2023, 2024, 2026 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जावेंगे।

6. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उत्खनन यंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। लीज क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हांकित, सीमांकित एवं स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह,

होगी से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जायेगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जायेगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, बराज, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन से उक्त नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन निर्गमन प्रणाली यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

15. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022–23 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु जीव क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 250 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।**

16. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित छःमाही आवधिक रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

17. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों का प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

18. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स आवधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रावधान पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.65	2%	0.253	Following activities at nearby Village-Ghanaghath	
			Plantation with fencing in periphery of village pond area	0.252
			Total	0.252

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्णता प्रतिवेदन प्राप्त कर आवधिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 20 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में 5 नग पौधे तालाब के किनारे पर है। वृक्षारोपण हेतु (गड्ढा, खाद एवं कटाई) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 15 नग पौधों के लिए राशि 1,800 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,250 रूपये, खाद के लिए राशि 750 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 16,800 रूपये तथा आगामी वर्षों में कुल राशि 12,750 रूपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण स्थल (खसरा क्रमांक 44, रकबा 1.000 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

22. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के अधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया

जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नवीन त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/प्लांट/भट्ठा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य कराया नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

25. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, संस्थाओं एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

26. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/1/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

27. खदान स्थल पर यदि श्रमिक बाहर से लाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में ही करायी जाए, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

28. श्रमिकों के लिए खदान स्थल पर आवश्यक पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लास्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

29. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ परीक्षण कराया जाये।

30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी स्वामित्व अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता के परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्खनन / निष्कासन के मामलों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रकाशित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय

स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी परिवर्तन अथवा परिवर्धन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा इस विषय पर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BAUXITE MINING OF TOTAL CAPACITY = 11,00,000 TON PER YEAR (ROM CAPACITY – 8,50,000 TON PER YEAR (SALEABLE BAUXITE CAPACITY - 4,00,000 TON PER YEAR, SUBGRADE BAUXITE CAPACITY - 1,52,500 TON PER YEAR, WASTE BAUXITE CAPACITY – 2,97,500 TON PER YEAR) & OVER BURDEN CAPACITY – 2,50,000 TON PER YEAR) BY M/S CHHATTISGARH MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED AT VILLAGE – URANGA & BARIMA, TEHSIL - MAINPAT, DISTRICT- SARGUJA OVER AN AREA OF 179.986 HECTARES

I. **Statutory Compliance:**

i. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/ judgement of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

ii. The Project proponent complies with all the statutory requirements and judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August,2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations.

iii. The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors.

iv. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendations of the Standing Committee of National Board for Wildlife, if applicable to the Project.

v. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

vi. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish / Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.

vii. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Development & Regulation), Act 2015 and rules & regulations made there under. PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.

viii. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it.

ix. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II (M), dated 29th October, 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine

lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area"

x. The Project Proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.

xi. This environmental clearance is subject to the condition that the project proponent shall do all the mining activities itself and not to auction / tender to others.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCI-I, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed in front of the main Gate of the mine site.

ii. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM_{10} and $PM_{2.5}$ are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/ Central Pollution Control Board.

iii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986.

iv. The project proponent shall submit monthly summary report of air quality monitoring and manual monitoring of air quality /fugitive emissions to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.

v. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed stack emission and fugitive emission standards.

vi. The project proponent use leak proof trucks/dumpers carrying ore and other raw materials and cover them with tarpaulin.

vii. Wind shelter fence shall be provided on the storage area.

viii. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, Oil Cellars.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. In case, immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case, mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA and MoEFCC is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.

ii. Regular monitoring of the flow rate of the springs and perennial nallahs flowing in and around the mine lease shall be carried out and records maintain. The natural water bodies and or streams which are flowing in an around the village, should not be disturbed. The Water Table should be nurtured so as not to go down below the pre-mining period. In case of any water scarcity in the area, the Project Proponent has to provide water to the villagers for their own use. A provision for regular monitoring of water table in open dug well located in village should be incorporated to ascertain the impact of mining over ground water table. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iii. The Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/ State Ground Water Department (if any). The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iv. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease and maintain its records. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby/ adjacent to the mine lease and maintain its records. Sufficient number of gullies shall be provided at appropriate places within the lease for management of water. PP shall carryout regular monitoring w.r.t. pH and included the same in monitoring plan. The parameters to be monitored shall include their water quality vis-a-vis suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEF&CC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre- monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. Clearly showing the trend analysis on six-monthly basis.

v. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off, acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended

Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. J-20012/21/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.

vi. The Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually.

vii. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

viii. The water balance/water auditing shall be carried out and measure for reducing the consumption of water shall be taken up and reported to the Regional Office of the MoEF&CC and State Pollution Control Board/Committee.

ix. The project proponent shall provide the slime disposal facility with impervious lining and collection wells for seepage. The water collected from the slime pond shall be treated and recycled.

x. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Domestic effluent shall be properly treated to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

xi. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

xii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

xiii. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area.

xiv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

xv. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

IV. Noise and vibration monitoring and prevention

i. The peak particle velocity at 500m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.

ii. The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. Project Proponent must ensure that the biological clock of the Villages is not disturbed; by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day /night hours.

iii. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The worker engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The Project Proponent shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.

iv. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar as a part of six-monthly compliance report.

v. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Mining plan

i. The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. No change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz. method of mining, overburden & dump management, O.B & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc.) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environmental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the form to Short Term Permit (STP), Query license or any other name.

ii. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the Provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/ Guidelines made there under. A copy of approved final mine closure plan shall be submitted within 2 months of the approval of the same from the competent authority to the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for record and verification.

iii. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-a-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan. PP shall ensure the monitoring and management of rehabilitated areas until the vegetation becomes self- sustaining. The compliance status shall be submitted half-yearly to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.

VI. Land reclamation

i. The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.

ii. The reject/waste generated during the mining operations shall be stacked at earmarked waste dump site(s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of waste dumps.

iii. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum Progressive Mine Closure Plan.

iv. The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stability, prevent erosion and surface run off. The selection of local species regulates local climatic parameters and help in adaptation of plant species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dumps. The dump mass should be consolidated with the help of dozer/ compactors thereby ensuring proper filling/ leveling of dump mass. In critical areas, use of geo textiles/ geo-membranes / clay liners / Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.

v. The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slope stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC.

vi. Catch drains, settling tanks, siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.

vii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby allowing proper settling of

sedimented silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.

viii. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as per the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.

VII. Transportation

i. No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations. In such cases, PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village/ rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

ii. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a permanent water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements. The air pollution control equipments like bag filters, vacuum suction hoods, dry fogging system etc. shall be installed at Crushers, belt-conveyors and other areas prone to air pollution. The belt conveyor should be fully covered to avoid generation of dust while transportation. PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.

VIII. Green Belt

i. After excavation of the land will be backfilled & returned to the land owners. The equivalent area of the 7.5 meter safety green belt which is about 6.63 hectare will be brought in nearby villages in consulatation with Collector/Gram Panchayat. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

ii. The Project Proponent shall carryout plantation/ afforestation in backfilled and reclaimed area of mining lease, around water body, along the roadsides, in community areas etc. by planting the native species in consultation with the State Forest Department / Agriculture Department / Rural development

department / Tribal Welfare Department / Gram Panchayat such that only those species be selected which are of use to the local people. The CPCB guidelines in this respect shall also be adhered. The density of the trees should be around 2000-2500 saplings per Hectare. Adequate budgetary provision shall be made for protection and care of trees.

iii. The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the scorching sun, should be scrupulously guarded/ protected against felling and plantation of such trees should be promoted.

iv. The Project Proponent shall undertake all precautionary measures for conservation and protection of endangered flora and fauna and Schedule-I species during mining operation.

IX. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

X. Waste Management

i. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

ii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

iii. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

XI. Public Hearing and Human Health Issues

i. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly. Project Proponent shall also carryout Occupational Health check-ups in respect of workers like BP, diabetes, habitual smoking, etc. The check-ups shall be undertaken once in six months and necessary remedial/ preventive measures be taken. A status report on the same may be sent to MoEF&CC Regional Office and DGMS on half-yearly basis.

ii. The Project Proponent must demonstrate commitment to work towards 'Zero Harm' from their mining activities and carry out Health Risk Assessment (HRA) for identification workplace hazards and assess their potential risks to health and determine appropriate control measures to protect the health and well being of workers and nearby community. The proponent shall maintain

accurate and systematic records of the HRA. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for Sanitation, Personal Hygiene, Hand washing, not to defecate in open, women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.

iii. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

iv. The activities proposed in Action plan proposed for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

XII. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. After the the government land was provided by the Collector District Sarguja. Eco park will be developed as per the submitted DPR (Detailed Project Report). As per proposal (Eco park, Detailed Project Report) submitted following activities shall be carried out.

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,162	1	80	2,52,960
4	Butterfly Garden	3,096	1	80	2,47,680
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	880 Mtr (Running 4m Size)	6,032	78 per Kg	4,70,496
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,760	1	50	3,38,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	6	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
	Total				**58,91,551**

ii. The Project proponent shall complete the Corporate Environmental Responsibility activity within 03 years.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approval by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of

reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XXI. Additional Conditions

i. The Project Proponent shall prepare digital map (land use & land cover) of the entire lease area once in five years purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concerned Regional Office of the MoEF&CC.

ii. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Mine, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive. The Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientists and Mining Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MoEF&CC.

v. Local persons shall be given employment during mining, development and operation of the site.

vi. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition , this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

vii. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies

in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. In pursuant to Ministry's O.M No 22-34/2018-IA.III dated 16.01.2020 to comply with the direction made by Hon'ble Supreme Court on 08.01.2020 in W.P. (Civil) No. 114/2014 in the matter Common Cause vs Union of India, the mining lease holder shall after ceasing mining operations, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to other mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

xxi. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxiii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC

मेसर्स [illegible] प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(ग्राम–[illegible] लाइम स्टोन क्वारी, डायरेक्टर– श्री [illegible] कुमार अग्रवाल)
की खसरा क्रमांक 140/5, 152/4, 140/1, 140/11, 150, 141/3, 140/6, 140/10 एवं 140/3, कुल लीज क्षेत्र 1.82 हेक्टेयर, ग्राम–[illegible], तहसील–सारंगढ़, जिला–रायगढ़ (वर्तमान में जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़) में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन कुल क्षमता 61,380 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.82 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन कुल क्षमता 61,380 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगवाए जाएं।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खनन संक्रिया बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनरुद्धारण इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माइन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी सिंचाई / डेम / पब्लिक रोड से [illegible] दूरी [illegible] बिल्डिंग / आवासीय परिसर से [illegible] सुनिश्चित किया जाए। ब्लास्ट, ड्रिलिंग, ट्रांसपोर्ट

ध्वकरण (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुंच मार्ग, पिट, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर डस्ट कंटेनमेंट कम वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विस्तृत ग्रीन बेल्ट का विकास सुनिश्चित किया जाए।

9. खदानों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई खनन कार्य / उत्खनन नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः भराव हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को ढकने (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हांकित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। ढेर की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माइंस पीट तथा अन्य क्षेत्र में सेटलिंग टैंक / गारलैंड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन तिरपालयुक्त ढके वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रावधान कर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
38	2%	0.76	Following activities at Govt. Primary School **Village-Dhaurabhathu**	
			Running Water in the toilet	0.40
			Plantation in school	0.73
			Total	**1.13**

17. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही छः माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की समयावधि सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या मध्यप्रदेश पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

19. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/प्लांट/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

20. ग्रीनबेल्ट हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (खदान लगभग 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), लीज रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,000 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

21. **ग्रामसभा के अनुमोदन पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, नीबू, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 384 नग पौधों का रोपण (कुल 1,384 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा कांटेदार तार की बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

22. रोपित किये जाने वाले पौधों में नम्बरिंग (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अक्षांश-देशांश विवरण से सत्यापित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य सम्पन्न नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

26. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्थानों से बहुतायत मात्रा उत्सर्जित होगा, उन स्थानों पर निर्धारित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमानुसार खनिज रियायत नियम Minerals Concession Rules के तहत बहाखड़ी सीढ़ियों द्वारा खनन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उपचार उपलब्ध भी कराया जाए।

30. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक अनुज्ञप्ति धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग कार्य संपादित किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

31. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर अनुमोदित प्लान में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

34. कार्य स्थल पर यदि अधिकांश श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। अस्थायी व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिन्हें परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

35. श्रमिकों के लिए खदान स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

36. श्रमिकों का समय-समय पर व्यावसायिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना आवश्यक है।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार खनिज योजना, जिसमें उत्पादन, खनिज की मात्रा एवं आवंटित सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्पादन / निष्पादन को स्थगित करने और रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायगढ़, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी तत्काल सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। पालन में कोई भी विस्तार अथवा उल्लंघन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण,

वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.